राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ३० वां दिवस [संख्या २०

बुधवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६२.

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, कृषि एवं विद्युत्-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय।

सड़क निर्माण

१७१. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बामनवास कस्बे से मोराकुंड तक जाने वाली सड़क का कार्य कब तक पूरा होने वाला था तथा भविष्य में कब तक पूरा होगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं था; अतः पूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसहाय : कौनसी योजना में है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अभी तो किसी योजना में नहीं है।

श्री गोविन्दसहाय : उस पर पहले भी काम चला था और बीच में बन्द कर दिया था, अगर किसी योजना में नहीं था तो काम कैसे चला ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : तीसरी पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत लिया जायगा। पहले नहीं था।

श्री गोविन्दसहाय : मेरा अर्ज करना है कि पहले चल रहा था। अगर कोई योजना में नहीं था तो काम कैसे चालू किया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फेअर वेदर रोड है, उस पर पी० डब्ल्यू० डी० ने काम नहीं किया है।

Page No. 2

श्री गोविन्दसहाय : आगे इरादा नहीं है पी० डब्ल्यू० डी० से कराने का ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने अर्ज किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में थोड़ा बहुत किया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : 'थोड़ा बहुत' की लिमिट बता दीजिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना: दो मील।

श्री विजयसिंह झाला : दो मील बनाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फंड पर निर्भर करती हैं सारी चीजें।

श्री गोविन्दसहाय : जी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फंड पर निर्भर करती हैं, पैसा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

जल प्रदाय योजना, नाथद्वारा

१७२. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नाथद्वारा में वाटर वर्क्स द्वारा जो ५८ नल लगाये गये थे उनमें से १५ नलों पर भी पानी ठीक समय पर सप्लाई नहीं किया जाता ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : यह सही नहीं है। इस समय ३८ नल चालू हैं जो पूरा पानी देते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि नाथद्वारावालों की यह शिकायत है कि शहर में उनको पानी नहीं मिलता।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पानी निर्धारित समय पर मिलता है; सुबह नौ बजे तक और शाम को ४ बजे से ६ बजे तक।

श्री विजयसिंह झाला : क्या नाथद्वारा नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में शिकायत की है या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या आपने पूरी जानकारी पी० डब्ल्यू० डी० से इस सम्बन्ध में कर ली है कि पानी मिलता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां।

प्रश्न संख्या १७३

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला।

जल-प्रदाय योजना, नाथद्वारा का हस्तान्तरण

१७४. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री विजयसिंह झाला)

क्या यह सही है कि नाथद्वारा के वाटर वर्क्स को अभी तक वहां को नगरपालिका के सुपुर्द नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस वाटर वर्क्स को नगरपालिका को सुपुर्द कब तक कर दिया जायगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां, यह सही है ।

(२) चालू होने के दो वर्ष की अवधि के उपरान्त, यदि नगरपालिका मांगेगी ।

श्री विजयसिंह झाला : अब तक उसको नगरपालिका को सुपुर्द नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अब तक उसको सुपुर्द करने का प्रश्न नहीं उठता दो वर्ष अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि नगरपालिका ने कहा कि जो रुपया व्यय हो रहा है उसकी जिम्मेदारी नगरपालिका पर आती है और पैसा ठीक तरह से खर्च नहीं हो रहा है, इसलिये नगरपालिका इसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह मेरी जानकारी में नहीं है । दो साल के लिये यह सरकार के सुपुर्द किया गया है ।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि नगरपालिका इसलिये इसको नहीं लेना चाहती कि जितना रुपया वाटर वर्क्स ने खर्च किया है वह वाजिब नहीं है और उसकी जिम्मेदारी नगरपालिका लेना नहीं चाहती ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी जानकारी की जावेगी कि कितना पैसा खर्च होना चाहिये था और कितना पैसा खर्च किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मथुरेशबिहारी ।

विद्युत्-व्यवस्था

१७५. श्री मथुरेशबिहारी माथुर [(बांदी कुई) श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) द्वारा पूछा गया]: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बांदीकुई कस्बे में चुनाव के दौरान में अस्थाई तौर पर जो बिजली के वितरण की व्यवस्था की गई थी उसे स्थायी तौर पर चालू रखने की सरकार की क्या योजना है ?

(२) बांदीकुई में बिजली की योजना कब तक पूरी हो जायगी व उसका वितरण आम जनता को कब तक कर दिया जावेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) वितरण की व्यवस्था प्रोग्राम के अनुसार की गई है । इन्जिन लगा कर बिजली नहीं दी गई है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

(२) बिजली का वितरण आज कल भी हो रहा है । पूरा कार्य जून तक समाप्त होने की आशा है ।

प्रश्न संख्या १७६

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १७७

श्री गंगासिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ रोड की मरम्मत

१७८. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ रोड की हालत खराब है ?

(ख) यदि हां, तो इस सड़क को पक्का बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की है, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) यह ग्रेवल रोड है और ग्रेवल रोड जैसी होनी चाहिये वैसी ही है ।

(ख) ६ मील पक्की सड़क बनादी गई है और बाकी हिस्से को पक्का बनाने का काम फन्ड्स की सहूलियत होने पर हाथ में लिया जा सकेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेवल रोड किस प्रकार की होती है, उसके क्या ग्रेवल लगे होते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह मिट्टी की होती है।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दूरी कितने मील की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : २४ मील है, इसमें से ६ मील पक्की बना दी गई है।

श्री अब्दुलजब्बार : अब तक यह ६ मील कितनी वर्षों में बनाई गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : योजना में ली जाती है।

श्री अब्दुलजब्बार : पक्की अभी तक ६ मील बनी है। ग्रेवल रोड कैसी है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ग्रेवल रोड मिट्टी की होती है।

श्री अब्दुलजब्बार : ग्रेवल रोड है या मिट्टी की रोड है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या ६ मील पक्की सड़क बनी है वह भी रिपेयर के योग्य हो गई है और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं ? क्या इसकी जांच की है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह ठीक हालत में है। ग्रेवल रोड में खड्डे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : क्या उसमें टूटफूट हो रही है। क्या इस प्रश्न के आने के बाद में आपने जांच की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह रोड ठीक हालत में है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कभी आप कहते हैं कि गड्ढे पड़े हुए हैं और कभी आप कहते हैं कि रोड ठीक हालत में है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये गड्ढे फेयर वेदर रोड पर हैं या ग्रेवल रोड पर हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ग्रेवल रोड पर हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार अपनी यह जिम्मेदारी नहीं समझती कि सड़क को जल्दी से जल्दी तैयार कराए ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : फंड की सहूलियत होगी तभी कराई जायेगी ?

श्री भैरोंसिंह : क्या फंड की दिक्कत यहीं चित्तौड़ में आई है या दूसरी जगह भी आई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : अर्थाभाव की बात तो सभी जगह रहती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : आज तक सन् १९४७ से ६२ तक कितना रुपया खर्च किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर दूंगा ।

श्री अब्दुलजब्बार : भविष्य में बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया इस पर लगेगा और उसका आश्वासन देंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ग्रेवल रोड की नई परिभाषा का निर्माण हुआ है, खड्डे वाली रोड को ग्रेवल रोड कहते हैं क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : उन्होंने प्रश्न पूछा है कि खड्डे पड़े हुए हैं, उसका उत्तर दिया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सड़क कब तक खत्म हो जावेगी बन कर ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : वह योजना में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : सड़क का काम शुरू हो गया है क्या, सो कब तक समाप्त हो जाएगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : योजना खत्म हो जावेगी ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : योजना चल रही है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री विजयसिंह झाला ।

सड़क की मरम्मत

१७९. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देवली से टोंक जाने वाली सड़क पर ग्राम होलता के पास से एक सड़क राजमहल को जाती है ? यदि हां, तो इस समय उसकी क्या हालत है ?

Page No. 6

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि इस सड़क की मरम्मत कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी और नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस सड़क को ठीक कराने के लिए गत वर्ष में कुछ धनराशि रखी गई थी ? यदि हां, तो उसका उपयोग हुआ या नहीं ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। यह फेयर वेदर रोड है ।

(२) यह सड़क पंचायत समिति, देवली के अधीन है ।

(३) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री विजयसिंह झाला ।

मछलियां पकड़ने का ठेका

१८०. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि जयसमन्द तालाब, जिला उदयपुर में मच्छियां पकड़ने का ठेका दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि इस ठेके के लिये कोई कोटेशन्स नहीं लिये गये ?

(३) ठेकेदार कौन है तथा कब से है ? कितने रूपयों में ठेका दिया गया ?

(४) क्या यह सही कि बिना कोटेशन्स लिये ठेका देना अनियमित है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्रीमती कमला-बेनीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी हां, प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(३) ठेकेदार श्री एच. सी. कपूर हैं। इनको ठेका सन् १६५३ में दिया गया है । ठेका ३०,०००) रू० साल के हिसाब से दस वर्ष के लिये दिया गया है ।

(४) कोटेशन का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ठेका प्रथम महाराणा उदयपुर द्वारा दिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो ठेका सन् १६५३ में दिया गया वह महाराणा ने दिया या राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सन् ५३ में महाराणा ने दिया और क्योंकि उनको ठेका देने का अधिकार नहीं था इसलिये गवर्नमेंट ने मना किया और उसको रिव्यू किया ।

श्री भैरोंसिंह : उनके अधिकारों को राज्य सरकार ने क्यों छीन लिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : महाराणा को ठेका देने का अधिकार नहीं था, उनको खुद को कृषि करने का अधिकार था । उन्होंने ठेका देकर गैर कानूनी काम किया था ।

श्री भैरोंसिंह : १६५३ में जब आपके नोटिस में आया तब आपने उस ठेके को कैन्सिल क्यों नहीं किया ?

Page No. 7

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब आपके नोटिस में आया कि महाराणा गलत ठेका दे रहे हैं तो आपने उसको कैन्सिल करके दूसरे व्यक्ति को ठेका क्यों नहीं दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमेंट को जो आमदनी होनी चाहिये थी उसको लूज नहीं करना चाहती थी। इसलिये उसी व्यक्ति को जिसको महाराणा ने ठेका दिया उससे दुगुना करके तय किया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह समझती थी कि सन् ५३ में पब्लिक ऑक्शन से इसको ठेका देते तो जितनी आमदनी आज होती है उससे ज्यादा नहीं होती ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ये सारी बातें तय करके ही किया।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह किस प्रकार तय किया कि पब्लिक ऑक्शन से आमदनी कम होगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह सब कमेटी ने लीगल, प्रोस्पेक्ट को देख कर ही किया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सरकार ने उसका ऑक्शन क्यों नहीं किया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमेंट को इससे जो इन्कम होती थी उससे ज्यादा इन्कम की सम्भावना नहीं दिखाई देती थी।

एक माननीय सदस्य : क्या सन् ५३ में और भी लोगों की एप्लीकेशन्स आई थी, इसका ठेका लेने के लिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : जब कोटेशन्स ही नहीं आये तो क्या आधार था कि इसको डबल रकम पर दे दिया गया ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : महाराणा इस तरह का ठेका नहीं दिया करते।

श्रीमती कमला बेनीवाल : असलियत यह है कि ठेका दिया गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐसे ठेके नहीं दिये जाते हैं महाराणा की तरफ से।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह इन्फॉर-मेशन सही है और यह रेकॉर्ड पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार कैसे इस आधार पर पहुंची कि महाराणा ने जो ठेका दिया उससे ज्यादा पैसा ऑक्शन में वसूल नहीं हो सकता ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : गवर्नमेन्ट ने कमेटी बैठाई और केबिनेट में भी यह मामला आया। ५० हजार से १॥ लाख कर दिया और यह तय हुआ कि इससे ज्यादा पैसा नहीं आ सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लीगल डिफिकल्टीज़ के कारण गवर्नमेन्ट द्वारा कॉन्ट्रेक्टर से निगोशियेशन्स किये गये थे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह भी एक कारण है।

श्री भैरोंसिंह : यह भी एक कारण है, तो

Page No. 8

(श्री भैरोंसिंह)

क्या यह सही माना जाय कि पब्लिक ऑक्शन लीगल डिफिकल्टीज़ के कारण नहीं कराया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया कि यह भी कारण है और वह भी कारण है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो यह तो कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है और अब जो दी जा रही है ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले भी यही कहा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले तो यह कहा था कि दुगुने से ज्यादा नहीं मिल सकता था, इसलिये पब्लिक ऑक्शन नहीं करके कॉन्ट्रेक्टर को दुगुनी रकम में दे दिया गया।

श्री अध्यक्ष : यह भी कहा था और यह भी कहा था कि लीगल डिफिकल्टीज थीं।

श्री विजयसिंह झाला : अब इसके पीरियड के खत्म होने पर तो पब्लिक ऑक्शन किया जायगा न ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ६३ में खत्म हो जायगा। नोटिस दे दिया गया है कि पब्लिक ऑक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

सड़क निर्माण

१८१. **श्री मनफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक पक्की सड़क के निर्माण का कार्य चालू है ? यदि हां, तो यह सड़क पूरी कहां तक हो गई है और कितने समय में हुई है ?

(२) क्या इस सड़क के निर्माण में काफी लम्बा समय खर्च हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) अब इस सड़क के सूरतगढ़ तक पूर्ण होने की कब तक सम्भावना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। हनुमानगढ़ से मील ०।० से ७।२ का कार्य २ वर्ष में तथा ७।२ से १५।० तक का कार्य ३ वर्ष में पूरा हुआ है।

(२) कार्य योजनानुसार चालू है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) आशा है पुलियों को छोड़ कर सड़क का कार्य आगामी वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो जावेगा।

प्रश्न संख्या १८२

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जयसिंह।

विद्युत् व्यवस्था

१८३. **श्री जयसिंह** (मालपुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि मालपुरा से डिग्गी ग्राम तक बिजली लाने की कोई सरकारी योजना है ?

Page No. 9

(श्री जयसिंह)

(२) क्या यह भी सही है कि मालपुरा से डिग्गी तक सरकार ने बिजली के पोल्स लगा दिये हैं ? यदि हां, तो यह कार्य कब चालू किया जायगा ?

(३) क्या यह भी सही है कि अब राज्य सरकार उन पोल्स को हटाने का विचार करती है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

(४) क्या यह सही कि आज कल वहां कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां।

(२) जी हां, गत नवम्बर मास के अन्तिम सप्ताह से।

(६) जी नहीं, इस कार्य के जून, १९६२ तक पूरा होने की सम्भावना है।

(४) जी हां, आवश्यक तार व ट्रान्सफॉर्मर के अभाव से।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस लाइन के ऊपर बिजली देने का काम तृतीय पंचवर्षीय योजना के फर्स्ट ईयर में जो गवर्नमेंट के प्रोपोज़ल्स थे उनमें नहीं था ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : प्रोपोज़ल्स, जो स्कीम बनाई, उसमें हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब यहां प्लान के संबंध में डिस्कशन हुआ तो उस समय गवर्नमेंट की ओर से यह बताया गया था कि इसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार कह सकती है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के फर्स्ट ईयर का फेज़्ड प्रोग्राम है उसमें यह कार्य शामिल है ?

श्री हरिश्चन्द्र : १९६१-६२ के प्रोग्राम में शामिल है।

श्री भैरोंसिंह : १९६१-६२ के प्रोग्राम में पहले से था ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री जयसिंह : क्या वहां पर जल्दी काम चालू कराया जावेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने जवाब दिया कि नवम्बर माह के अन्तिम सप्ताह से चालू है।

श्री भैरोंसिंह : इलेक्शन के पहले चालू किया और इलेक्शन होते ही बन्द क्यों कर दिया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : आवश्यक साधन, तार ट्रान्सफॉर्मर आदि नहीं पहुंचने के कारण रोक दिया था। अब आने लग गये हैं तो चालू कर दिया जायगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : चुनावों में तो इतनी भगदड़ रही तो भी साधन उपलब्ध हो गये और चुनाव खत्म होते ही साधन बन्द हो गये ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : सूचना, दे नहीं रहा हूँ सूचना ले रहा हूँ; सीधी सी बात है। कह दीजिये कि चुनावों के कारण चालू किया, हार गये तो बन्द कर दिया। फिर कुछ नहीं पूछेंगे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : वजह भी बता दी, कब शुरु हुआ, यह भी बता दिया और कब पूरा होगा यह भी बता दिया।

श्री भैरोंसिंह : इस बिजली ने तो काम खराब कर दिया, वहां करेन्ट तोड़ दिया।

श्री मथुरादास माथुर : आप सावधान रहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

सड़क निर्माण का ठेका

(दिनांक ३० मार्च, ६२ का स्थगित प्रश्न)

५६. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) छोटी सादड़ी से बड़ी सादड़ी जाने वाली सड़क का ठेका किसको कितने रुपयों में दिया गया ?

(२) ठेके की शर्त के अनुसार इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था ?

(३) इस सड़क पर कुल कितनी पुलियां आती हैं ? इनमें से कितनी बन चुकी हैं तथा कितनी बनना बाकी हैं ?

(४) इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) श्री भंवरलाल भवानीसिंह को ४,७७,४३६) रुपये में तथा जदाना कोऑपरेटिव सोसाइटी, रासमी को १२,५८३) रुपये में।

(२) श्री भंवरलाल भवानीसिंह का कार्य २०-१-५९ को पूरा किया जा चुका है व जदाना कोऑपरेटिव सोसायटी, रासमी का कार्य जून, १९६२ तक पूरा किये जाने को है।

(३) बड़ी ३६, छोटी ६ तथा १ बड़ी पुलिया बन चुकी है। २९ पुलियां बाकी हैं।

(४) जून, १९६२ तक।

श्री विजयसिंह झाला : ठेका दिया उसमें पुलिया बनाने की शर्त नहीं थी क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला : ठेका देते समय पुलिया बनाने का प्रावधान नहीं किया गया था तो कब किया ?

श्री भवनीशंकर नन्दवाना : पुलियों का प्रावधान तो अब किया जा रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : पहले नहीं सोचा गया था क्या ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पहले सोचा जाता है पर पुलियों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में रकम रखी गई है और इसका काम अब चालू होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

(११.२० म. पू.)

मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग

इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): ४४. मांग संख्या २१,मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर जिले की औद्योगिक विकास की असफलता पर विचार करने हेतु)

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़):४५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (नए लघु उद्योगों के स्थापित किए जाने से संबंधित वर्तमान प्रशासकीय पद्धति में अधिक सुधार किए जाने की आवश्यकता पर बहस करने हेतु)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ४६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की वैयक्तिक क्षेत्र के बड़े उद्योगों में धनराशि invest करने की गलत नीति पर बहस करने हेतु)

४७. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार की छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असमर्थता पर बहस करने हेतु)

४८. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार की पक्षपात पूर्ण लाइसेन्सिंग नीति पर बहस करने हेतु)

४९. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा ऊन उद्योग को उचित संरक्षण, ऋण व प्रोत्साहन न देने पर बहस करने हेतु)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ५०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००)रु० की कटौती की जाय (हनुमानगढ़ में खाद के कारखाने का कार्य शुरू कराने में राज्य सरकार की नितांत असफलता पर बहस करने हेतु)

५१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (गंगानगर शुगर मिल की अव्यवस्था के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)

५२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५—उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की डीडवाना Sodium

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

Sulphate Industry के सम्बन्ध में उपेक्षा-पूर्ण नीति पर बहस करने हेतु)

५५. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार की उद्योग नीति पर बहस करने हेतु)

८०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (राज्य सरकार की Small Scale Industries से संबंधित नीति पर बहस करने हेतु) ।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु.): ५३. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रु० की कटौती की जाय (सूत का कोटा दिये जाने की नीति पर विवाद हेतु)

श्री मानसिंह महार (आमेर): 54. Demand No.XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Government to organise Industries (big or small) in a proper way so as to result in the Industrialisation of Rajasthan).

57. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Government to control the prices of those finished goods for which raw-materials are given at controlled rates).

58. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of Government to stop mis-management in Khadi Board).

59. Demand No. XXI, Major Head 35-Industries be reduced by Re. 1/- (to request the Government to stop the quota of Cement and Iron Sheets to the various industries for three months so that it may be given to the agriculturists during the summer months).

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : ६०. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १)रु० की कटौती की जाय (भीलवाड़ा जिले के बिनोद नामी ग्राम में रूरल इण्डस्ट्रीयल एस्टेट की स्थापना कराने पर बहस करने के लिये)

७४. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५--उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (भीलवाड़ा स्थित इण्डस्ट्रीयल एस्टेट में धन्धा चलाने वाले उद्योगपतियों को सरकार द्वारा उचित मेटीरियल न दिलाने से उद्योग बन्द पड़े हैं, इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाने हेतु)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : ७१. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (जिला जालोर में औद्योगिक विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु)

७२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १) रुपये की कटौती की जाय (जालोर में Plaster of Paris की Industry लगवाने के बारे में सरकार के असहयोग पर बहस करने हेतु) ।

श्री अध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों ने

Page No. 13

(श्री अध्यक्ष)

इन कटौती प्रस्तावों पर और बोलने की इच्छा प्रकट की थी ।

श्री गोकुलचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसहाय ।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग में १००) रु० की कटौती की जाय (सवाई माधोपुर जिले की औद्योगिक विकास की असफलता पर विचार करने हेतु) ।

मेरा निवेदन यह है कि सवाई माधोपुर जिले का औद्योगिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखा गया है । वहां सीमेंट फैक्टरी तो है, इसके अलावा और किसी प्रकार के उद्योग का विकास नहीं किया गया है । गंगापुर स्टेशन से १० मील दूरी पर सुपीरियर क्वालिटी का स्टोन उपलब्ध है पर वहां सरकार ने अभी तक कोई तवज्जोह नहीं दी है । मेरा निवेदन यह है कि वहां खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, फिर भी सरकार की तरफ से उस जिले में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है । सपोटरा से एक मील दूर बिल्लौरी पत्थर की खान है पर इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है । करौली गंगापुर से करीब २० मील पड़ता है, वहां पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी खानें हैं पर वहां यातायात के साधन नहीं होने के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है । कुछ दिनों पहले हमारे मुख्य मन्त्रीजी करौली पधारे थे तो वहां जनता को आश्वासन दियाथा कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में गंगापुर से करौली रेलवे लाइन बनाने को प्राथमिकता दी जायगी । पर थर्ड फाइव ईयर प्लान में इसका कहीं नाम तक नहीं है । श्री लालबहादुर शास्त्री जब रेलवे मन्त्री थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हर हालत में तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस रेलवे लाइन का नम्बर आ जायगा । पर अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस लाइन का नाम तक नहीं रखा गया है । इस लाइन को रखते तो काफी डकैत जो चम्बल के किनारे आकर शरण लेते हैं और डकैतियां करते रहते हैं, वे भी खत्म हो जाते और खनिज पदार्थ जो उस इलाके में, भूमि में बहुत पड़े हुए हैं, उनसे राजस्थान का औद्योगिक विकास होकर राजस्थान की आय बढती ।

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि गंगापुर से १० मील की दूरी पर मलारना है, वहां पर चाइना क्ले मौजूद है, इस तरफ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है । अगर इस तरफ ध्यान दे तो चीनी मिट्टी के बर्तन अच्छे बन सकते हैं । इस बारे में राजस्थान सरकार को कई बार लिखा है पर सरकार ने अभी तक कोई गौर नहीं किया है ।

गंगापुर में लोहारों की काफी संख्या है ! वहां पर अगर उनको कन्ट्रोल रेट पर टिन चद्दर मिल सकती है तो वे बाल्टियां बना

(श्री गोविन्दसहाय)

सकते हैं और इतने होशियार कारीगर भी हैं कि वे आलमारियां भी बना सकते हैं। अब तक गंगापुर को हर प्रकार से उपेक्षित समझा गया है। कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की ओर से वहां पर इन्जीनियर्स आये थे। हाईड्रो-इलेक्ट्रिक पार्ट्स की एक योजना थी जो गंगापुर के लिए ही नहीं किन्तु सारे राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसके लिए ८० करोड़ का बजट था, परन्तु उसमें कई बार लोकल आदमियों ने यहां पर अर्ज किया था, इस ओर राजस्थान सरकार ध्यान दे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इन्जीनियर्स आये थे। आखिर उसको टालमटोल करके ज्वालापुर में उस कारखाने को खोला है।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि सवाई माधोपुर में पुराने टाइप से कागज बनता था। वह पुराना उद्योग खत्म हो गया। कुछ ग्राम सेवा मंडल ने सोसाइटी बना कर कागज उद्योग को पनपाने के लिए एक वर्ष पहले मकान बनाया था लेकिन उसको आज तक टिन नहीं मिल पाये हैं। कोटा आता है, ब्लेक में चला जाता है। इलाके के किसान आते हैं, उनको नहीं मिलता। बड़े उद्योगपतियों को मिल जाता है। छोटे २ उद्योग वालों को नहीं मिलता यदि वे कन्ट्रोल रेट पर चद्दर लेना चाहें। इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना है।

गंगापुर में काफी बड़ी मंडी है। मूंगफली वहां काफी बड़ी तादाद में आती है। वहां कई ऑयल मिलें हैं, वे डालडा वालों को, लिवर ब्रदर्स को सप्लाई करते हैं और डालडा बनाया जाता है। यदि औद्योगीकरण की दृष्टि से कोई बड़ा कारखाना वहां खोलें तो काफी मजदूरों को काम मिल सकता है।

वहां पर बुनकर भी काफी हैं। उनको खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से कुछ मजदूरी मिल पाती है। कई सीमेन्ट फेक्टरी में या दिल्ली जाकर मजदूरी करते हैं।

वहां के गृह उद्योग प्रायः समाप्त हो गये हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी से अर्ज करूंगा कि आप वहां कई बार पधारे हैं, लेकिन आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां के गृह उद्योगों को पनपाने के लिए उनकी ओर ध्यान दें और सवाई माधोपुर क्षेत्र को जिस उपेक्षा से आज तक देखा गया है वैसी उपेक्षा न बरती जाय।

श्री अध्यक्ष : फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र में नये नये उद्योग लगाने के लिए कुछ अर्से से प्रयास चल रहे हैं और इसके लिए बाहर से भी जो औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान में प्रगति लाने वाले लोग हैं उनको आमन्त्रित किया जाता रहा है और मैं समझता हूँ, प्रवासी राजस्थानियों में काफी उत्साह का वातावरण बना है और काफी लोग यहां आये हैं। उनकी जो दिक्कतें यहां पर रहती हैं उनके बारे में मैं यहां सदन में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। वे लोग यहां पर आते हैं और चाहते हैं कि यहां पर हम लोगों को कुछ सुविधायें मिलें जिससे हम वहां पहले से ही उद्योग धन्धे चला रहे हैं उसके बजाय राजस्थान में आकर यहां पर भी औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान को समृद्धिशाली बनाने की कोशिश करें।

Page No. 15

(श्री फूलचन्द जैन)

राजस्थान में आने के बाद कुछ लोगों को जो तजुर्बा हुआ है और मेरी जानकारी में जो बातें आयी हैं उनके अनुसार मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उन लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत हमारे प्रशासनिक ढांचे की रहती है। उन लोगों को किस प्रकार के उद्योग धन्धों में लगाया जाय, इसके बारे में जानकारी के लिए संस्थान जरूर खुले हुए हैं लेकिन जिस प्रकार से जानकारी मिलनी चाहिये जिससे उनको सही दिशा मिल सके कि कहां पर और किस प्रकार का राजस्थान में उद्योग-धन्धा लगाना चाहिये उसके लिए वे निर्णय.ले सकें, इसकी समुचित व्यवस्था अब तक नहीं है। साथ ही साथ उन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है नीचे से उद्योग को शुरू करने की दृष्टि से कागज की जो शुरूआत होती है और उसमें जो दिक्कत आती है उस संस्थान को ऊपर तक दिक्कत आती है और उसका जो प्रोसीजर है, इतना बड़ा और इस प्रकार का कहना चाहिये कि उलझा हुआ है कि वे इस तरह की दिक्कत में फंस आते हैं कि उद्योग लगाने से पहले ही वे वापिस लौटने की बात सोचते हैं। इसके भी कई कारण हैं। मैं नहीं कहता कि सीधे आयें और उनको उद्योग-धन्धे की इजाजत दे दी जाय। लेकिन जो प्रोसीज़र है उसके बारे में हमें जरूर सोचना पड़ेगा। उन लोगों को आवश्यक सहूलियतें और रियायतें जरूर दें, जिस प्रकार का धन्धा लगाना चाहें और जो उचित सहूलियतें सरकार समझे। लेकिन अगर हम उनको उलझन भरे प्रोसीजर में पहले से ही डालते हैं तो उनके सामने एक परेशानी पैदा हो जाती है कि हम क्या करें? साथ ही साथ जो सुविधायें दी जाने का प्रावधान है, उसमें भी इस प्रकार की पेचीदगियां भरी रहती हैं कि जिससे उनके सामने एक समस्या पैदा हो जाती है कि किस प्रकार वे सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहां उद्योग धन्धा लगा भी दें और जो सुविधायें उनको मिलने की आशा रहती है वे न मिलें तो उनका इन्वेस्टमेन्ट बेकार जाता है और पहले इन्वेस्टमेन्ट नहीं करते हैं तो प्रगति करने के लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं मिलती। वे उलझन में फंस जाते हैं कि हम क्या करें? कोई आदमी उद्योग-धन्धे में रकम लगाना चाहता है तो वह आशा करता है कि जो सहूलियतें और सुविधायें सरकार द्वारा दी जावेंगी वे सही प्रकार की और सही दिशा में होंगी। परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कईयों को कटु अनुभव इसमें हुआ है और काफी प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में उद्योग-धन्धे चलाने का दृष्टिकोण रखते हैं लेकिन आज भी उनके दिमाग में यही उलझन है कि वहां उद्योग-धंधा शुरू करें तो हमारी क्या हालत होगी।

मैं आपसे निवेदन करूं कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि हमारे जो सरकारी स्तर के अधिकारीगण हैं उनके सामने दिक्कतें हो सकती हैं कि यदि इस प्रोसीजर को सही और सुलभ कर दें तो इसमें कई प्रकार की दूसरी खराबियां पैदा होंगी जिनको रोकने की वे कोशिश करते हैं। परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो जो गलतियां होती हैं उनको दुरुस्त करने का मार्ग न निकाल कर उन लोगों को इसके लिए सजा भोगनी पड़े तो यह उचित नहीं मालूम पड़ता है। जिन लोगों को कोटा और अन्य चीजें दी जाती हैं उनका गलत दुरुपयोग होता है तो उनकी किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की जाय कि दुरुपयोग न हो।

(श्री फूलचन्द जैन)

यह अलग बात है, यह मान कर कि आम तौर पर दुरुपयोग होता है उससे उस प्रोसीजर को सख्त बना दें या धन्धा करने के लिए आना चाहते हैं उनके सामने परेशानी रख दें जिससे वे यहां कदम भी न उठा सकें तो यह वाजिब बात नहीं होगी। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं कि हम लोगों को सोचना होगा कि इसका क्या कारण है कि आज उद्योग-धन्धा लगाने वाले अधिकतर इस फिराक में रहते हैं कि या तो केपिटल में कोई उद्योग धन्धा लगे या मुख्य मुख्य शहरों या कस्बों में उद्योग-धन्धा लगे जिससे हमारा काम जल्दी चालू हो सके। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे यह भावना है कि छोटे २ कस्बों में या डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट के कस्बों में कोई उद्योग-धन्धा लगाने की गुन्जाइश रहती है तो लोग उद्योग-धन्धा लगाने में दिक्कत महसूस करते हैं, क्योंकि जहां शुरू करने की कार्यवाही प्रारम्भ करनी पड़ती है उसको शुरु कर देने तक जो सारी कार्यवाही अथवा सरकारी काम काज कराना पड़ता है उसमें इतनी दिक्कत और परेशानी पैदा होती है जिससे निर्णय लेने में वे अपने आपको विवश पाते हैं। हमको ऐसी जगहों पर जाकर धन्धे करने चाहिये जहां पर सब डिपार्टमेन्ट्स मौजूद हों ताकि जल्दी से कागजात निकल जायं ! इसके लिये मैं जरूर निवेदन करूंगा हमारा जो इन्डस्ट्रीज़ का डिपार्टमेन्ट है, हमारी जो उद्योगों से सम्बन्धित कोरेस्पोन्डेन्स होती है और जो कुछ रिक्वायरमेन्ट्स होती हैं जिनसे काम काज चलता है उन सब बातों के लिये जो उद्योग खोलता है उसको विश्वास होना चाहिये कि जो जो चीजें जरूरी हैं और सरकार द्वारा सहायता दी जाती है उससे सम्बन्धित जितने भी कागजात हैं वे फौरन निर्णीत होकर आयेंगे। उनको जो सहूलियतें मिलने की हैं वे भी मिल जायेंगी, उसमें विशेष परेशानी का अनुभव न करना पड़ेगा। अन्यथा हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अगर इसी तरह से ज्यादा उद्योग धन्धे लगाने की बात चलती गई तो मार्केट कम्पिटीशन के कारण उद्योग-धन्धे जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी स्थिति भी विषम हो जायगी। इस पर सरकार को गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिये। उद्योग-धन्धों को लगाने की प्रवृति हमारे लोगों के अन्दर पैदा होती जा रही है वैसी हालत में लोगों के दिमाग से शहरों में उद्योग-धन्धे लगाने की प्रवृति को रोका जाय और कस्बों के अन्दर जहां-जहां भी जैसी-जैसी गुंजाइश हो वहां पर स्थापित करने में सहायता एवं सहयोग सरकार द्वारा मिलना चाहिये। इसके साथ ही अन्त में मैं फिर उन दो बातों को दोहराऊंगा जिससे हमारे उद्योग-धन्धे पनप सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट जो काम करते हैं उनका काम तेजी से इस ढंग से बनाया जाय जिससे उद्योग धन्धों को जो भी सहूलियतें मिलने वाली हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेन्ट्स हैं वे जल्दी से जल्दी पूरी हो सकें और उद्योग चलाने वालों को किसी प्रकार की दिक्कतों का अनुभव न करना पड़े।

दूसरा जो उद्योग-धन्धे लगाने वाले लोग हैं उनके दिमाग में यह विश्वास पैदा करना चाहिये कि क्रियात्मक ढंग से वे लोग इस बात को महसूस करें कि जो भी उद्योग-धन्धे लगाये जायेंगे उनके लिये जो आवश्यक सहूलियतें हैं उनको प्राप्त करने में सरकार पूरी तरह से मदद करेगी और जो भी वास्तविक दिक्कतें उनको होंगी उनको सरकार दूर करने का प्रयत्न करेगी।

(श्री फूलचन्द जैन)

इससे हम उद्योगों को सफलता के साथ चला सकते हैं। .

श्री मानिकचन्द सुराणा : (कोलायत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चार कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पहला मेरा प्रस्ताव इस बात का है कि राज्य सरकार ने बड़े उद्योगों में जो पैसा इन्वेस्ट करने की नीति बनाई है वह नीति राज्य के औद्योगीकरण में हमें बहुत ज्यादा मदद नहीं दे सकती। इन्वेस्टमेन्ट चैप्टर के पीछे जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें लाखों रुपया प्राइवेट सेक्टर में स्टेट ने पार्टनरशिप में लगाया है। यह जो नीति है उससे औद्योगीकरण में कौनसे उद्देश्य को प्राप्त कर सके हैं यह स्पष्ट होना चाहिये। आखिर अपने प्रान्त के अन्दर एम्प्लोयमेन्ट लाना चाहते हैं, यह हमारा फाइनल लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ दूसरा लक्ष्य यह है कि पर कपिटा इनकम जो हमारे प्रान्त के लोगों की है वह दूसरे प्रान्तों की तुलना में बढ़े। यह हमारा दूसरा लक्ष्य है। हमारी अपनी नीति है। जो हमारा बड़ा लक्ष्य होना चाहिये वह यह होना चाहिये कि हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिले। हमारे राज्य की उद्योग नीति इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्णतया असफल रही है।

हमारे मुख्य मंत्री बड़े गर्व से यह फरमाते हैं कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो न्यू एन्ट्रेन्ट्स थे उनमें से कुछ हजारों की संख्या को छोड़कर रोज़गार दे दिया गया है लेकिन वह संख्या कितनी थी यह पूरी तरह से बता नहीं पाये। हमारे हिन्दुस्तान के लेबर एम्प्लोयमेन्ट ने जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार इनकी संख्या साढ़े चार लाख है और उसमें से हमारी राज्य सरकार दावा करती है उसकी संख्या ३.७७ है। यह संख्या निकाल देते हैं तो भी ८२ हजार आदमी ऐसे रह जाते हैं जिनको दूसरी पंच वर्षीय योजना के प्लान के दौरान में एम्प्लॉयमेन्ट नहीं मिला। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त में १ लाख ८७ हजार बेकार थे और वे बढ़ते हुए दूसरे प्लान के अन्त में करीब २॥ लाख व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो बेकार और बेरोज़गार हैं। आज तृतीय पंच वर्षीय योजना का प्रथम वर्ष पूर्ण हो रहा है उसके भी यदि आंकड़े मिलाते हैं तो कम से कम चार लाख व्यक्तियों को रोजी देनी है। क्या हमारी सरकार की इन्डस्ट्रियल पोलिसी इस तरह की है कि तीसरी योजना के अन्त तक इनको रोज़गार दे सकेंगे। हैवी इन्डस्ट्रीज़ में जो पैसा हम लगाते हैं मैं उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशी तरीकों से सोचने का जो हमारा लक्ष्य है और जिस तरह का प्लान फ्रेम हम बना रहे हैं वह एक रूढ़िवादी तरीका है। इससे मेरा यह स्पष्ट मत है कि क्या राजस्थान की बेकारी समस्या, क्या अन्य प्रान्तों की बेकारी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें हमारे देश की आवश्यकता के अनुसार प्लान फ्रेम करना चाहिये। नये ग्राउन्ड्स, नये आइडियाज से प्रेरणा लेनी चाहिये। इस तरह से प्लान बनाकर हम राजस्थान में एक मिसाल कायम करें और तृतीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में हमारे प्रांत में यह हालात पैदा करदें जिससे हमारे प्रान्त में कोई बेकार न रहे। अगर हम हमारे प्लान फ्रेम के अन्दर इस बात की गुंजाइश नहीं रखते हैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

तो सब बेकारों को रोज़गार नहीं दे पायेंगे। इसके लिये मेरा तो यह निवेदन है कि हम इसके लिये दस करोड़ रुपये की एक इस प्रकार की योजना बनायें जिससे हम चार लाख लोगों को रोजगार के साधन दे सकें। आप अन्दाज लगाइये—यहां की पर केपिटा इन्कम २७८ है। १ से पचास रुपये मासिक आमदनी वाले लोग राजस्थान में ३ लाख हैं और ५१ से १०० रुपये माहवार वाले लोगों की संख्या २८ लाख है। ये आंकड़े मेरे दिये हुए नहीं है। 'इकोनोमिक टाइम्स' जो बिड़ला जी का अखबार है उसमें ये दिए हुए हैं! उनके अनुसार ३२ लाख लोग राजस्थान में ऐसे हैं जो पर केपिटा इनकम से लो लेवल के आदमी हैं। इसके अलावा चार लाख आदमी ऐसे हैं जिनकी इकन्म पर केपिटा इनकम से कम है और बेरोजगार है। क्या मुख्य मन्त्री और उनकी सरकार यह दावा कर सकती है कि आजादी के पन्द्रह वर्ष के बाद भी प्रांत में चार लाख आदमी ऐसे हैं जो किस प्रकार से अपनी जिन्दगी बसर करते हैं, जो रात दिन भूख से तड़पते हुए अपने दिन गुजारते हैं, क्या उनकी स्थिति को सुधारने का कभी खयाल किया है? अगर प्लान में उनके हित के लिए हम कुछ नहीं सोचते हैं तो ये प्लान हमारे किस काम के। हमें २३६ करोड़ नहीं चाहिये। हमें तो २२६ ही काफी हैं, लेकिन होना यह चाहिए कि उससे लोगों को फुल एम्पलोयमेंट मिले और बेरोजगार आदमी न रहे। आज दस करोड़ रुपये की राशि अलग रख कर हम पांच लाख आदमियों को रोजी दे सकते हैं। अगर हम प्लान फ्रेम बनाते रहे और बेकारों की संख्या इसी प्रकार बढ़ती रही तो हमारे प्लानिंग से किसी का फायदा होने वाला नहीं। हमें इस प्रकार के प्लान फ्रेम को तोड़ना भी पड़े तो किसी प्रकार से चिन्ता नहीं करनी चाहिए हमें उसमें नये आइडियाज को इन्क्लूड करके राजस्थान के अन्दर एक मिसाल कायम करनी चाहिये ताकि देश भी उस मिसाल पर चले, हमारे आइडियाज आदर्श रूप में रहे ताकि आने वाले लोग यह कह सकें कि राजस्थान के लोगों ने एक मिसाल कायम की है, जिससे देश के बेकारों की समस्या हल करने में सहायता मिली।

इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर का ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। केपीटलिस्ट ढांचे में और इसमें कोई फर्क नहीं। इसलिये समाजवादी इस बात की मांग करते हैं कि पब्लिक सेक्टर में यदि उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं और मजदूरों की प्रोबलम को हल करना चाहते हैं तो वर्कर्स मैनेजमेन्ट को पब्लिक सेक्टर में भी लागू करना चाहिये। इस बारे में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री सी० बी० गुप्ता ने भी इस बात का समर्थन किया है कि शीघ्र से शीघ्र पब्लिक सेक्टर में भी वर्कर्स मैनेजमेन्ट कायम करना चाहिये।

(१२. मध्यान्ह)

लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारे माननीय मुख्य मन्त्री और यह सरकार इस ब्यूरोकेट नौकरशाही के विचारों पर आधारित रहेगी तब तक ये समस्यायें हल होने वाली नहीं हैं। आज यह ब्यूरोक्रेसी कितनी ही इन्टेलेक्चुअल हो परन्तु यह ब्यूरोक्रेसी हमेशा से विचारों में दरिद्र रही

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है और स्वतन्त्रता का हमारा आदर्श इस ब्यूरोक्रेसी की देन नहीं है और ब्रिटिशर्स अगर हजार साल भी यहां शासन करते तो ब्यूरोक्रेसी यह आदर्श हमें नहीं देती। इसलिये इस पर हमें, कम से कम विचारों के लिए, आधारित या आश्रित नहीं रहना चाहिये। नये आदर्शों के लिये आप ब्यूरोक्रेसी पर आधारित न रहें।

डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज पर ही बताना चाहता हूँ। उन्होंने आज लेदर पर डिप्टी डाइरेक्टर बना रखा है; और भी डिप्टी डाइरेक्टर बना रखे हैं। लेकिन ऊन का जो इतना बड़ा उद्योग है राजस्थान का, १० करोड़ की ऊन राजस्थान से एक्सपोर्ट होती है, उसके लिये कोई डिप्टी डाइरेक्टर नहीं, कोई टैक्निकल एक्सपर्ट नहीं है जो सोचे कि इसका किस प्रकार का कारखाना राजस्थान में लगावें, किस तरह से ऊन का प्रोसेस करें जो यह दस करोड़ के स्थान पर ३० करोड़ की बन सके। इंगलैंड, अमेरिका में जहां यह जाती है, वहां भी मेनुफेक्चरिंग के प्रोसेस के जरिये इसको प्रोसेस किया जाकर काम में लिया जाता है। तो ऊन की इस तरह की बढ़िया इन्डस्ट्री यहां कायम करें, उसकी कीमत को तीन गुना बढ़ा सकें, ऐसी कोशिश की जानी चाहिये। अगर दस करोड़ को ऊन को हम अच्छे प्रोसेस से तीस करोड़ की में बदल सकते हैं तो बीस करोड की इन्कम हमें बच सकती है। तो इसके लिए अलग डिप्टी डाइरेक्टर होना चाहिये। यह नहीं कि चमड़े को याद रखें और ऊन को भूल जावें।

लेदर के लिये जैसे डिप्टी डाइरेक्टर को रखा है। लेदर ने बहुत कम प्रगति की है। ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स आप इसके लिये बनाना चाहते हैं, बनावें और इसे आप जिस जगह भी स्थापित करें, करें, मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। जयपुर में करते हैं, करें; पर मैं यह कहूंगा कि इसमें क्षेत्रीय भावना न आए। अगर मैं किसी जगह के लिये कहूँगा तो आप इसे क्षेत्रीय भावना की संज्ञा दे देंगे और इस तरह से मूल मुद्दे को साइड ट्रेक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसके स्थान के लिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप जहां ठीक समझें करें। कहीं भी लोकेट करें, पर कम से कम लेदर के डिप्टी डाइरेक्टर इसकी व्यवस्था अवश्य करें कि उसका प्रोडक्शन राजस्थान में बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उसकी ट्रेनिंग हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग सेन्टर्स खोलें। अभी इसकी व्यवस्था नहीं है। इसका जो काम है वह भी बहुत धीमा चल रहा है। इसमें बहुत प्रगति लाने की आवश्यकता है।

स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री के प्रश्न को भी रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके नाम पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह नगण्य है। अगर इसको आप इसी तरह बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुत कम, करीब एक परसेन्ट बेकारों को भी हम नहीं खपा पावेंगे। बिग इन्डस्ट्री से आपको मोह है। आप मोह रखिये बेशक। पर इसके साथ ही साथ इसका भी ध्यान रखिये। अगर आपने अपनी सारी एनर्जी हैवी इन्डस्ट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट कर दी तो हमारी स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री मर जावेगी और कम से कम हैवी इन्डस्ट्री के मोह में इसे मारना नहीं है, इसे भी प्रोत्साहन देना है। मैं यह और बता दूं कि अकेली हैवी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इन्डस्ट्री के मोह से हमारी बेकारी की समस्या का हल नहीं हो सकेगा। निश्चित रूप से स्मॉल स्केल और कॉटेज इन्डस्ट्री से ही यह हो सकेगा।

आज पैसा हमारा हैवी इन्डस्ट्री में लग रहा है, ८० लाख से हमारे यहां एक टैक्सटाइल मिल खुली। उसमें १८० लोग हैं। मिनिस्टर महोदय ने फिगर दिये कि वहां ४००,५०० आदमी काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। वे आंकड़े उनको उनकी नौकरशाही ने गलत दिये हैं। १८० मजदूर हैं। अब अगर ८० लाख रुपया लगा कर १८० लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट देते हैं वहां आप यह देखें कि स्मॉल स्केल के पैटर्न पर अगर आप चलें तो २॥ सौ रुपयों में एक आदमी को आप रोजगार आसानी से दे सकते हैं। ८० लाख का खर्चा करके १८० आदमियों को रोजगार देते हैं तो आप में इतनी शक्ति नहीं आ सकती कि आप करोड़ों रुपयों खर्च करके सारे बेकारों को रोजगार इस हैवी इन्डस्ट्री से दे सकें। प्लान फ्रेम में अगर आप इस तरह से सोचना चाहते हैं तो इससे आपके बेकारों की संख्या बढ़ेगी और इसका आप कोई हल नहीं कर सकेंगे।

आपके यहां से सांख्यिकी विभाग ने एक पुस्तिका निकाली। उसके आंकड़े देख कर आप सन्तोष कर सकते हैं कि इतना तो एम्प्लॉयमेन्ट अब तक आप दे चुके हैं। पर आपने जो यह पुस्तिका छापी है, इसके एम्प्लॉयमेन्ट के चैप्टर को आप गौर से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आपने ३.७७ लाख आदमियों को रोजगार दिया है। इसमें कोई भी रीजनेबल और बुद्धिमान आदमी अगर उसे पढ़े तो सन्देह ही होगा। वह यही समझेगा कि यह तो केवल आंकड़ेबाजी के तौर पर बताया है। आपने २॥ लाख को एम्प्लॉयमेन्ट दिया है, यह स्पष्ट लगता है। अब हमारी यह नौकरशाही इस तथ्य को कितना ही वाइटवाश करना चाहे, हमारे प्रान्त की दरिद्रता इस वाइट वाश से छिप नहीं सकती। असलियत प्रकट हो ही जाती है। तो यह मेरी निश्चित मान्यता है कि अगर इन्डस्ट्री की पोटेन्शियेलिटी को देख कर हम इनवेस्ट नहीं करेंगे तो जो रिओरियन्टेशन आना चाहिये वह नहीं आयेगा और जो पर कैपिटा सोर्स बताया है उससे भी हम नीचे रहेंगे। इस प्रकार पांच लाख को जो रोजगार देने का सवाल है वह हल नहीं हो पावेगा मैं निवेदन करूं, हमारे यहां डिप्टी डाइरेक्टर्स हैं डिवीजनल हैड क्वार्टरों पर, पर बीकानेर में डिवीजनल हैड क्वार्टर पर नहीं है। बीकानेर डिवीजन में तीन जिले हैं। बीकानेर, गंगानगर और चुरू। एक गंगानगर जिले को तो जयपुर के साथ जोड़ दिया है और बीकानेर और चुरू को जोधपुर के साथ। यह मैं इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई कोलायत से आया हूं। पर इसलिये कर रहा हूं कि नौकरशाही ने बीकानेर डिवीजन की इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी को नहीं समझा है। मैं अदब से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे प्रान्त का कोई भी हिस्सा हो, सब की इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी है और इसको ध्यान में रख कर सब जगह डिप्टी डाइरेक्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिये। बीकानेर डिवीजन का कोई इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं कराया गया। यह शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना चाहिये। जो उद्योग में दिलचस्पी रखते हैं, उद्योग में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आना चाहते हैं, इसमें इन्वेस्टमेन्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाने को तैयार हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिये, उनका आह्वान करना चाहिये और उनकी दिक्कतों को हमें दूर करना चाहिये। अगर आप यह चाहते हैं तो आपको बीकानेर में भी डिप्टी डाइरेक्टर को रखना चाहिये। यह मैं कोई क्षेत्रीय भावना से नहीं निवेदन कर रहा हूं, पर वास्तविकता की दृष्टि से कह रहा हूं। बीकानेर डिवीजन में कुछ नहीं किया। ग्लास फैक्टरी बन्द थी, आज भी बन्द है। कहते हैं तो उत्तर मिलता है कि प्राइवेट पार्टियों का आपस का झगड़ा है, सरकार इसमें क्या करे? ग्लास बनाने में सिलिका सेण्ड की जरूरत होती है, कोलायत क्षेत्र में यह बहुतायत से है और जब इतना नजदीक डिपोजिट है तो कोई कारण नहीं कि गवर्नमेन्ट सेक्टर में चलाने को तैयार न हों। आप इसे स्टेट सेक्टर में शुरू करिये। आपका तैयार माल बाजार में काफी चलेगा और यह इन्डस्ट्री चमकने वाली है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स इसके राजस्थान में हैं। शराब बनती है गंगानगर में। पांच-छः लाख बोतलों की उसको जरूरत पड़ती है और दूसरी डिस्टीलरीज़ को दस लाख बोतलों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आज राजस्थान के बाहर से मंगाना पड़ता है। आप इनको बोतलें यहीं बना कर दे सकते हैं और यहां का पैसा यहां रह जावेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपका मिनरल काम में आवेगा। इसलिये इस मामले में बड़ी मुस्तैदी के साथ काम किया जाना चाहिये। इसके साथ ही........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, तो अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं, अगर समय की कमी है तो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ५ कटौती प्रस्ताव इस मांग संख्या पर मैंने पेश किये हैं, जिनमें दो तो नीति संबंधी प्रस्ताव हैं और ३ प्रस्ताव सोडियम सल्फेट इन्डस्ट्री, गंगानगर शुगर मिल और हनुमानगढ़ की फर्टीलाइजर फैक्टरी के बारे में रखे हैं। दो नीति संबंधी प्रस्तावों में एक सरकार की उद्योगों के संबंध में जनरल नीति और दूसरा लघु उद्योगों के संबंध में सरकार की नीति के बारे में है। राजस्थान की अगर इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी की तरफ ध्यान दिया जाये, यहां की सम्पदा की तरफ ध्यान दिया जाये तो उसका वर्णन हर योजना के आरम्भ में हुआ है। यहां की सम्पदा के प्रयोगों का वर्णन पहली पंचवर्षीय योजना के पहले हुआ है और अब दूसरी योजना के संबंध में भी उसका वर्णन हुआ है। राजस्थान के अन्दर फुलर्स अर्थ है, ग्लास सेण्ड है, लिगनाइट है, माईका है, बेराइल है जो कि एटॉमिक इनर्जी के साथ काम में आता है। इसी प्रकार से लैड जिंक है, कॉपर के भण्डार हैं। २५ प्रतिशत भारत का यहां पर भोडल यानि माईका निकलता है। इस प्रकार की पोटेन्शियेलिटी हमारे यहां राजस्थान में है। फिर हमारे यहां मेंगनीज है, सोप स्टोन है और लिगनाइट तो ६२ प्रतिशत सम्पूर्ण भारत का राजस्थान में निकलता है। इसके अतिरिक्त यहां पर परम्परागत धन्धे हैं जो कि फॉरिन एक्सचेंज की समस्या को हल कर सकते हैं। यहां की कलात्मक वस्तुएं, मूर्तियां, लेदर का काम-इस प्रकार की चीजें हैं जो सारे संसार के अन्दर अपना महत्व रखती हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इन सारी तालमेल के बाद हमारी योजनाओं के अन्दर इस बात की ओर संकेत किया गया है कि बिग इन्डस्ट्री का निर्माण किया जायेगा और ग्रामोद्योग बोर्ड के नीचे जब कि १९५४ के अन्दर यहां ग्रामोद्योग विलेज इन्डस्ट्री बोर्ड को पूरे अधिकार प्राप्त हो गए थे, बॉम्बे कमीशन के द्वारा तो उसमें यह निर्णय किया गया था कि लघु उद्योग गांवों के अन्दर आरम्भ किये जायेंगे, कोऑपरेटिव के आधार पर किये जायेंगे और लक्ष्य इस प्रकार के रखे गये कि इन उद्योगों को और इन इन चीजों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य था बेरोजगारी दूर करना और इन वस्तुओं के विक्रय के लिए एम्पोरियम बनाना; ये योजनायें पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है, यह भी हमें देखना है। मैं समझता हूँ कि इन लक्ष्यों के सम्बन्ध में हमारी राजस्थान सरकार बुरी तरह फेल हुई है। ४।। लाख लोगों की बेरोजगारी की बात मेरे से पहले बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी, मैं उसको दोहराने का प्रयत्न नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि इस सम्बन्ध में जो सात सूत्री प्रोग्राम सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान में रखने के सम्बन्ध में बात थी उसमें सरकार बुरी तरह से फेल हुई। जो रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार लगाने वाली थी वह राशि ५७७ लाख थी। इस राशि में ५३७ लाख केवल इन्डस्ट्रीज़ के लिए थे और ४०.१५ लाख रुपया सरकार माइनिंग के लिए लगाने जा रही थी। इसके अतिरिक्त २२७.५१ लाख रुपया खादी ग्रामोद्योग बोर्ड पर राजस्थान सरकार लगाने जा रही थी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत खादी ट्रेडीशनल खादी, आटा चक्की, इस प्रकार की योजनायें थी। चावल की छुंटाई, इस प्रकार की विभिन्न योजनायें गांवों में लागू करने की बात थी। यह २२७.५१ लाख रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरा प्रयोग में नहीं लिया है, बल्कि इसमें से आधी राशि ही प्रयोग में आ सकी। इसके अतिरिक्त जो इन्डस्ट्री के लिए लोगों को ट्रेण्ड करने की बात थी उसके सम्बन्ध में एक मजाक सा रहा है। ३,६०० वीवर्स को लूम देने की बात थी, उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात थी और उनकी कॉलोनीज़ बनाने की बात थी। अगर उस पर दृष्टिपात करें तो ३,६०० वीवर्स को हैंडलूम दिये जा सके और इस सम्बन्ध में कोई ८५० सोसाइटीज़ का निर्माण हुआ और ५-६ वीवर्स की कॉलोनीज़ बनी।

अगर इस सारे को देखें तो यह बहुत बड़ा एचीवमेन्ट नहीं था कि सारे राजस्थान में ३,६०० वीवर्स को लूम्स प्रोवाइड कर सके। और राजस्थान की ग्रामोद्योग की बनी हुई चीजों की बिक्री का जहां तक सम्बन्ध है, उसमें ४-५ एम्पोरियम और २ टूरिंग कार्स का प्रबन्ध कर सके। अगर ट्रेनीज़ की संख्या देखें तो २५ केन्डीडेट्स फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग ले सके, कोई २२२ के करीब बीकानेर की वुलन इन्डस्ट्री में ट्रेनिंग ले सके और कोई तीन-चार सौ की संख्या और दूसरे ट्रेनीज़ की हैं; यह सारा लेखा-जोखा है। यह तो मैंने आपके सामने समय कम होने के कारण एक चित्र पेश किया कि क्या योजनायें थी, लघु उद्योगों के लिए

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और हैवी इन्डस्ट्रीज़ के लिए। वेट माइका ग्राइन्डिंग प्लान्ट की बात राजस्थान सरकार पहली पंचवर्षीय योजना से करती चली आ रही है। लेकिन इस सम्बन्ध में इतना सा कह कर इसको समाप्त कर दिया गया कि जो अमेरिकन फर्म इसको इन्सटाल करने जा रही थी उससे सस्ता इन्सटालेशन किसी नेशनल फर्म ने प्रपोज़ किया और इस कारण यह योजना विचार के झमेले में पड़ गई और पूरी नहीं की जा सकी। इसी प्रकार से एक्टीविटीज़ ऑफ फुलर्स अर्थ की बात की गयी। वहां हैदराबाद की किसी कमेटी ने रिपोर्ट की कि अगर आपके पास सल्फरिक एसिड का भण्डार नहीं है तो यह योजना काम नहीं कर सकती और इस प्रकार यह योजना समाप्त हो गई। यह प्राइवेट सेक्टर में चली गई।

हनुमानगढ़ की फर्टीलाइजर फैक्टरी या हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात या भारत सरकार की किसी भी इन्डस्ट्री की बात, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में लग सकती थी, वह हमारे यहां की शासन की कमजोरी की ओर दृष्टिपात करती है और विशेष रूप से इस बात की ओर दृष्टिपात करती है कि हमारे लोगों को रोजगार देने की उतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि हमें अपनी कुर्सियों की चिन्ता है। मैं आपके सामने फर्टीलाइजर फैक्टरी, हनुमानगढ़ की बात करता हूँ। यह बात तय हो चुकी थी कि अगर कोई फर्टीलाइजर फैक्टरी यहां लगती तो वह न केवल राजस्थान के किसानों को ही फर्टीलाइजर दे पाती; बल्कि भारत के किसानों को दे सकती थी, जब कि नागपुर के माइनिंग बोर्ड ने तय कर दिया कि सबसे उत्तम लिगनाइट राजस्थान में होता है। इसके अतिरिक्त जिप्सम का स्टॉक राजस्थान के अन्दर है। यह सारी कन्डीशन्स ऐसी थीं जो कि बहुत अच्छी कन्डीशन्स थीं और पर टन फर्टीलाइजर का था वह बहुत सस्ती रेट पर होने जा रहा था। भाखरा की बिजली के समीप फर्टीलाइज़र फैक्टरी लगती, लेकिन इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने रिप्रेज़ेन्टेशन किया। मुकर्जी कमीशन आया। उसके सामने आपने मेमोरेण्डम पेश किया, पर इनकी नहीं चली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सामने एक मिसाल रखूं कि आसाम के अन्दर इसी तरह ऑइल रिफाइनरीज़ का सवाल जब पेश हुआ तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने ऑइल रिफाइनरीज़ के लिए इन्कार कर दिया। उस समय आसाम की सरकार ने अपने इस्तीफे भारत सरकार के सामने देने की बात की। आसाम की सारी जनता ने उस समय आसाम की सरकार का साथ दिया। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर हनुमानगढ़ फर्टीलाइजर फैक्टरी की बात के ऊपर अपने इस्तीफे भारत सरकार के पास पेश कर देते तो राजस्थान को जनता इसका साथ देती। इतना ही नहीं, हैवी इन्डस्ट्रीज की बात के ऊपर........

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो झण्डा लेकर जिन्दाबाद का नारा लगाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : वह बात यहां नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसी प्रकार हैवी इन्डस्ट्रीज़ के लिए निहायत ओछापन है। हयात कमेटी आई। उसके सामने आपने

(श्री योगेन्द्रनाथ हांड़ा)

गोडे टेक दिये। इसी प्रकार एटॉमिक प्लान्ट के संबंध में मुझे ढिलमिल नीति प्रतीत होती है........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अखबार में उसकी जो रिपोर्ट आई वह आपके ध्यान में है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : है, साहब।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यही कि यहां हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी नहीं लग रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एटॉमिक पॉवर के बारे में।

श्री योगेन्दनाथ हांड़ा : मैं तो आपकी कमजोरी की ओर संकेत कर रहा हूँ और यह कह रहा हूँ कि वहां भी आप गोडे न टेक दें।

अब लीजिए सोडियम सल्फेट, डीडवाना की बात। अलवर से आये माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला है। लेकिन मैं अर्ज करूं कि १० लाख रुपये की जर्मन मशीनरी सरकार ने खरीदी। फॉरिन एक्सचेन्ज की दिक्कतों की बड़ी बातें होती हैं फॉरिन एक्सचेन्ज की कमी के कारण हमारे बहुत से काम ठप्प पड़े हैं। फॉरिन एक्सचेन्ज के कारण हमें बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, हैवी मशीनरी के अन्दर आ रही हैं और दूसरी चीजों में आ रही हैं। लेकिन दो, ढाई साल हुए इस सोडियम सल्फेट की मशीन के लिए फॉरिन एक्सचेन्ज मन्जूर हुई और मशीनरी आ गई। उसको एक साल होगया। मशीन को आते हुए ४ लाख की फॉरिन एक्सचेन्ज का नुकसान हो रहा है और सोडियम सल्फेट जिसका ६२) रु० पर टन प्रोडक्शन रेट है और २००) रु०, २५०) रु० के ऊपर के करीब इसकी मार्केट वेल्यू है और जो बड़ी आसानी से हमारे एक्सचेकर के भार को हटा सकती है, हमारे एक्सचेकर को रिच कर सकती है, उसके बारे में एक दुर्लदयपूर्ण पॉलिसी है। उसका सिविल वर्क्स करीब ३ महीने पूरे होने आये शुरू नहीं हुआ और बरसात में नीली छत्री के आसरे वह मशीनरी पड़ी हुई है।

राजस्थान सरकार इन्डस्ट्रियल एस्टेट जो बना रही है उसकी ओर मैं आपको दृष्टिपात कराऊंगा कि यहां पर भी उन ७ सूत्रों में से एक सूत्र था, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पेश किये गये थे। इन्डस्ट्रियल एस्टेट के जरिये रोजगार देने की बात और अलग अलग धन्धों को प्रोत्साहन देने की बात और एक कॉम्पेक्ट जगह, एक स्थान पर कई इन्डस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने की बात थी। लेकिन जितना करुण दृष्य इस एन्डस्ट्रियल एस्टेट ने उपस्थित किया उतना योजना के दूसरे आइटम ने नहीं किया। ८५ शेड्स, यह कहा जाता है कि इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स में जयपुर, बीकानेर और मुखपुर की इन्डस्ट्री दूसरी योजना के अन्त तक पूरी होंगी। इन ८५ शेड्स में से ७७ शेड्स प्राइवेट पार्टीज़ को इश्यू हुए हैं, जिसमें से कुल ५३ चल रहे हैं, बाकी का कोई पता नहीं लगता है। लोगों ने लोन्स ले लिए हैं, पैसा ले लिया है लेकिन काम शुरू नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किया है, स्टार्ट नहीं किया है और बाकी जो ८५ और ७७ के बीच की आठ हैं उनके सम्बन्ध में सरकार चुप है, वह काफी रहस्यमय है। इसके अतिरिक्त ५ शेड्स और करीब करीब पूरे हो रहे हैं गंगानगर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा में। गंगानगर में मैं आप से सच कहता हूं कोई खड़का-धड़का नहीं है किसी इन्डस्ट्रियल एस्टेट का और यहां कहा जा रहा है कि पूरे हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त एक और योजना है असिस्टेन्ट इन्डस्ट्रियल शेड्स की। इन इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स में जो शेड्स हैं उनको लगाने की जो मशीनरी आई है उसमें बड़ा घोटाला है। झूठे बिल प्राप्त करके सरकार के सामने पेश किये गये हैं। एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। अगर सरकार एक कमेटी बनाये और उस बात की जांच करे तो इन्डोफ्लेक्स के बारे में वह मिसाल पेश करूं कि जो कि बाइफरकेटेड flex cole tubes बनाता है; इसकी मशीनरी को एक लाख रुपये का बिल प्राप्त किया गया है, किसी फॉरिन कम्पनी की सरकार एक कमेटी कायम करके जांच करा सकती है कि यदि इस मशीनरी को बेचना पड़े तो १०,०००) रु० से अधिक में नहीं बेची जा सकती है। इसके बारे में एक झूठी रसीद प्राप्त की गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अर्ज करूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अगर देश की बेरोजगारी को दूर करना है, राजस्थान के साढ़े चार लाख बेरोजगारों को हमें बसाना है तो हमें निश्चित रूप से हमारी नीतियों के अन्दर मूलभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। कोई फायदा नहीं है कि सरकार के इस प्लान फ्रेम के अन्दर विश्वास करें। समय बहुत कम है वर्ना मेरे पास एक पेरेलल प्लान फ्रेम था जो कि सदन के सामने पेश करता। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह दूं कि आपको दोनों ही क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एक कमेटी इस संबंध में ऑफिशियल्स को और नॉन ऑफिशियल्स की निर्माण करनी पड़ेगी जो कि सेन्ट्रल सरकार—केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर के अन्दर इन्डस्ट्रियल शेड्स होने वाले इन्वेस्टमेंट के सम्बन्ध में बातचीत करें और ऐसी कोई भी बात, जैसी कि हनुमानगढ़ फर्टीलाइज़र फैक्ट्री के सम्बन्ध में खड़ी हो गयी, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के सम्बन्ध में कोई बात खड़ी हुई तो वह वार्तालाप करें, बातचीत करें। उसके संबंध में कोई स्टेन्ड लेना होगा।

इसके अतिरिक्त जो हमारी विलेज कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं उनकी बहुत बुरी दशा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके संबंध में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिये प्रोत्साहन देकर उनके विक्रय का प्रबन्ध करना है। तो जिस प्रकार का काम चल रहा है जिससे रकम लैप्स होती है उससे तो स्थिति संकटपूर्ण ही रहेगी।

श्री सांवलियाराम (रूपवास-सु.): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है सही तौर से सूत का वितरण नहीं करने के बारे में। आज राजस्थान में बुनकरों की आर्थिक अवस्था इस तरह से खराब हो रही है जिससे इनको किसी तरह की

(श्री सांवलियाराम)

सुविधा नहीं मिल रही है । कोई बेचारे मजदूरी करते हैं सड़क बनाने में, कोई मंडियों में जाते हैं । तो इनकी दशा खराब हो गई है । जिस तरह से किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं उसी तरह से सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए । किसान को अच्छा बीज, अच्छी जमीन, अच्छे खाद वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं तो इन बुनकरों को भी वे सुविधाएं मिलनी चाहिए । इन बुनकरों की संख्या हमारे राज्य में बहुत ज्यादा है जब कि इनको कोई सुविधा नहीं मिलती है । इन बुनकरों को जो सूत मिलता है वह सही रेट पर नहीं मिलता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन बुनकरों के लिए जो सूत मिलता है वह उनको बाजार से खरीदना पड़ता है और बाजार से खरीदा हुआ सूत महंगा पड़ता है । इसलिए सही तौर से इनको बुने हुए कपड़े पर मुनाफा नहीं मिल सकता है । तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ४ नम्बर से २० नम्बर तक के सूत के लिए सही रेट पर मिलने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए ।

इनके लिए बुनाई के जो सुधरे औजार हों वे सही तरीके से मिलने चाहिये । इनको बुनाई के सुधरे औजार दिलाने की व्यवस्था करें, जिससे यह पुराना उद्योग जो यह पुरानी परम्परा से करते चले आ रहे हैं– न इनके पास खेती है और न दूसरा साधन है–इसको अच्छी तरह से चला सकें और ये अपने बच्चों का गुजारा कर सकें ।

इसके अलावा इन बुनकरों को डिजाइन आदि की शिक्षा दिलाने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था करें जैसी बुनकर सहकारी समितियां, बुनकर समितियां हैं । इनके अलावा शिक्षण केन्द्र छोटे छोटे खोले जायं और इसके लिए सरकार द्वारा उनको चेतावनी दी जाय कि वे बुनकरों की बस्तियों में जाकर बुनकरों को शिक्षा दे सकें जिससे बुनकर अपने उद्योग को पनपा सकें और अपने बच्चों का गुजारा कर सकें ।

इनके अलावा अनुदान-व्यवस्था । अनुदान-व्यवस्था के बारे में जिस प्रकार से खादी को पनपाने के लिए सहायता, एड मिलती है उसी प्रकार इस कपड़े को भी अधिक से अधिक एड मिलनी चाहिए । ५ पैसा प्रति रुपया मिलता है तो इनको कम से कम १५ नये पैसे प्रति रुपया मिलना चाहिये जिससे कि वे अपने कपड़ा–उद्योग में सफल हों और बिक्री की व्यवस्था भी उसी तरह से होनी चाहिये । सरकारी महकमों में चतुर्थ श्रेणी के चपरासियों के लिये जो वर्दियां बनती हैं और जो कपड़ा पर्दों के काम में आता है उसके लिये सरकार को चेतावनी देनी चाहिये कि यह कपड़ा बुनकरों के हाथ का बना हुआ ही खरीदा जाय ।

बुनकरों के रहने का स्थान नहीं है । उनके पास रहने के लिये कच्ची झोंपड़ियां या टूटे-फूटे मकान हैं । उनमें वे सही तरीके से अपना गुजर नहीं कर सकते, अपना उद्योग नहीं पनपा सकते । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको मुफ्त में जमीन दिलाने और कर्जा या अनुदान दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे पक्के मकान बना कर अपना उद्योग चला सकें । उनके द्वारा बनाये गये कपड़ों को साफ करने के लिए केलेन्डरिंग मशीनें भी उपलब्ध करानी चाहिये, ताकि कपड़ों को साफ

(श्री सांवलियाराम)

करके मिल के मुकाबले में वे भी अपने कपड़े बेच सकें। बुनकरों के हाथ से बने हुए कपड़ों के ऊपर चुंगी या सेल्स टैक्स नहीं लेना चाहिये, इनसे उनको मुक्त करना चाहिये जिससे कि वे मिल के मुकाबले में ठहर सकें। मैं यही निवेदन करूंगा।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष आज राजस्थान के निर्माण और राजस्थान की प्रथम विधान सभा के मिलने के ५ वर्ष बाद हम उपस्थित हुए हैं। प्रथम विधान सभा के समय इस सदन में इस प्रकार की बातें कही गई थीं कि राजस्थान का औद्योगीकरण किया जायगा, राजस्थान को चमन बना दिया जायगा। हम लम्बी चौड़ी आशाएं लिये हुए थे। उसके बाद ये आशाएं धीरे धीरे धूमिल होती गईं और जब से हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इस विभाग को अपने बटवा खर्च में संभाला उसके बाद तो वे आशायें बिल्कुल खत्म हो गईं। मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं एक बड़े गांवड़ालू इलाके से जीत कर आया हूं। देहात के आदमी इन्डस्ट्रियलाइजेशन की क्या कल्पना कर सकते हैं, यह तो डिप्टी मिनिस्टर साहब जैसे बड़े पूंजीपति ही कर सकते हैं....

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : Thanks for your compliments.

श्री मानसिंह महार : लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने एक-दो कटौती प्रस्ताव दिये हैं वे अपने तौर से निराले हैं। मेरा जो पहला प्रस्ताव है वह है इन्डस्ट्रियलाइजेशन पर। उस पर आऊं उससे पहले मेरा जो ५७ नम्बर का प्रस्ताव है उसकी ओर यदि, अध्यक्ष महोदय सदन ध्यान देगा तो बहुत छोटा सा मुद्दा मैंने उसमें रखा है। मैं कल से सदन में भाषण सुन रहा हूं। कोई महाशय कहते हैं फलां फैक्ट्री को छाने के लिए चद्दरें नहीं मिलने से उघाड़ी है, कोई कहते हैं कच्चा माल नहीं मिलने से नहीं चल रही है। मैं जब उनकी बातें सुन रहा था तो गांवड़ालू आदमी होने से मेरे कलेजे पर छुरियें चल रही थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद) : फिर भी कलेजा कायम रहा ?

श्री मानसिंह महार : वह तो आपका कट रहा है, मेरा क्यों कटेगा, आत्मा जानती है। चेयरमैन महोदय, लेकिन उसकी वजह से यहां बड़े बड़े कारखाने लगाये गये या लगाये जा रहे हैं। अभी हमारे एक समाजवादी मित्र ने न मालूम लिगनाइट जिन्क और न मालूम किन किन बातों का जिक्र किया। मैं तो समझता नहीं, गांव डालू होने के नाते, मैं तो उनके दुख दर्द को समझता हूं। लोहा कंट्रोल रेट पर नहीं मिलता है। फावड़ा, परात और दूसरी लोहे की चीजें जो कृषि के लिये काम में आती हैं उनको लोहा कंट्रोल रेट पर नहीं मिलता। कारखानों को लोहा दिया जाय, कोयला दिया जाय और जब उनसे चीजें बना कर बेचते हैं तो देहात के लोगों के गले पड़ते हैं। मैं सही अर्ज कर रहा हूं कि यहां के लोहारों का जो उद्योग है वह करीब करीब आपकी इन्डस्ट्रियलाइजेशन की नीति से खत्म हो गया है। जो बेचारे लोहार गांवों में खुरपी, परात, फावड़े और छोटी छोटी चीजें बनाकर देते थे वे इन फैक्ट्रियों को कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल रेट पर लोहा देते हैं, कंट्रोल रेट

(श्री मानसिंह महार)

पर कोयला देते हैं ? लेकिन उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है । आज हमारे यहां के लोहार आपके यहां आकर जयपुर में बसने लगे हैं ।

जहां तक औद्योगीकरण की बात है, उसके लिये निवेदन करूं कि औद्योगीकरण बहुत अच्छी चीज है । लेकिनहम रा सुझाव है माननीय मुख्य मंत्रीजी ! आपने जयपुर में अपने बहुत से मित्रों को प्लॉट्स दिये हैं, टिन शिट्स दिये हैं, लोहा, कोयला अनापशनाप दे रहे हैं कंट्रोल रेट पर, मेरा एक ही सुझाव है जो कि ५६ नंबर के कटौती प्रस्ताव के रूप में है । अगर आप गांववालों के साथ न्याय करना चाहते हैं और न्याय ही नहीं, दूसरी चीज और बतादूं, आप अपनी इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की पॉलिसी का खोखलापन देखना चाहते हैं तो तीन महीनों के लिये जयपुर और दूसरे बड़े बड़े शहरों में जो कारखाने बने हैं उनको कंट्रोल का लोहा, कोयला और सीमेन्ट देते हैं वह बंद कर दिया जाय और उनसे कहिये कि बेचारे गांव के गरीब लोग जो बारों ही महीने ब्लेक से खरीदी गई चीजों का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से आप भी तीन महीनों के लिए ब्लेक मार्केट से लेकर गांववालों को कॉम्पीट करें तो मालूम होगा कि आपके कारखाने सेल्स टैक्स के झूठे रिटर्न्स देते हैं । चद्दरें वगैरह डाइरेक्ट ब्लेक मारकेट में जाती हैं । चद्दरों वगैरह का जो कोटा आप उनको देते हैं उनका ७५ पर्सेन्ट ब्लेक मारकेट में जाता है, मैं दावे के साथ कहता हूं । कारखाने वाले मित्रों से मैंने बातें की हैं, वे कहते हैं कि हमको कंट्रोल रेट से माल मिलता है । एक परमिट में ५ हजार का फायदा मिल जाता है । हजार, पांच सौ की चीजें बनाई जाती हैं, रसीद देकर बिना कुछ किये ही ५ हजार रूपये एक एक परमिट में कमा लेते हैं........

एक माननीय सदस्य : ब्लेक मार्केट की सरकार है ।

श्री मानसिंह महार : ब्लेक मार्केट की सरकार तो मैं नहीं मानता, लेकिन सरकार को तो जनता ही चुन कर भेजती है, चाहे नासमझी से भेजा, लेकिन चुन कर भेजा........

श्री चन्दनमल वैद : अश्रव्य ।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था सदन से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गर्मी के इन तीन महीनों के लिये इन्डस्ट्रीज को लोहा, सीमेन्ट, वगैरह का कोटा देना कतई बंद कर दीजिये और यह कोटा गांवों की तरफ डाइवर्ट कीजिये । हमारे गांवों में कुंए इतने बनेंगे कि 'ग्रो मोर फूड' की तरक्की होगी

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अब आप सीमेन्ट पर आ गये ।

श्री मानसिंह महार : आप गांवों को सीमेन्ट दीजिये, कुंए बनाने के लिये सरिये चाहिये, सरिये नहीं मिलते हैं, सीमेन्ट नहीं मिलती है । मुझे दुःख है कि उनको मालूम नहीं कि........

श्री चन्दनमल वैद: सरियों की कमी नहीं है, आप सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : आपने सरियों या छड़ों की बात कही, इतने महंगे मिलते हैं कि लोग खरीद नहीं सकते। आप टालने की बात मत करिये, जहां आप कोर्नर होते हैं वहां टालने का प्रयत्न करते हैं। आप टिन शीट की बात करते हैं। यहां से ३० मील के फासले पर नगरवाड़ी में १२० छप्पर जल गये। उनमें रहनेवाले लोग बाहर बैठे हैं लेकिन सरकार ने १२० घरो को तो क्या ६० घरों को भी चद्दरें नहीं दी और न देने के लिये तैयार है। इसके बजाय अगर कोई पूंजीपति आकर यह कहे कि फलां कारखाना शुरु कर रहे हैं ५०० चद्दरें चाहिये, उसी वक्त देंगे। लेकिन इन गरीबों के लिये कलेक्टर से कहें तो उन्होंने कहा कि मेरे पास चद्दरें नहीं हैं। अजी चद्दरें हैं कहां आपके पास? गांव वालों के लिए तो आपके दिल में भी जगह नहीं है। दिल में जगह हो तब चद्दरें हों। आप लोगों के दिल में तो पूंजीपतियों के लिए जगह है, आप तो उन्हें गले लगाना चाहते हो, अपना आराम करना चाहते हो और फायदा करना चाहते हो। तो उनको तो आपने छूट दे रखी है। तो मैं यह निवेदन करूं कि टीन के चद्दरें तीन महीने के लिए गांवों की तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। गांवों में बेहद आग लगती है। आप भी गांव में रहे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं रहे हों। आप भूलिये मत, आप भोले मत बनिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जयपुर डिवीज़न में विशेष दिक्कत है; क्योंकि यहां आग लगना शुरू हो गई है गांवों में और टीन की चद्दरों की बहुत जरूरत है। कम से कम जयपुर में टीन की बड़ी कमी है........

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप लोगों ने लगाना शुरू कर दिया।

श्री मानसिंह महार : हमने तो नहीं लगाई है, उनकी ही लगाई हुई है। दूसरे ही लगानेवाले हैं।

तो यह बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सीमेन्ट जो है वह कारखानों में आंगन डालने के लिए, चिप्स डालने के और ऊपर छत डालने के लिए देते हैं। मैं गांव वालों की क्या कहूँ, दुख उस वजह से होता है कि काश्तकार आज यह कह सकता है पंचायत समिति के सामने—हुजूर, हमें सीमेन्ट मिलनी चाहिए कुंए बनाने के लिए। तो उसे जवाब मिलता है कि चूना पकाओ और चूने से काम करो कोठियों का। आपको यह मालूम होना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, कि जो चूने से कोठी बनाई जाती है, उसमें सीमेन्ट की कोठी से ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन शहर के कारखाने में चिप्स की जगह अगर लाल मिट्टी और चूने से आंगन बनायें और छत पर बजरी और रोड़ी डाल दें तो वह मंहगी नहीं पड़ती है और न नुकसान होता है। मैं आपको कन्स्ट्रक्टिव सुझाव दे रहा हूं। आप कहते हैं कि हम सहयोग करेंगे, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि तीन महीने के लिए मेरे सुझाव को काम में लाकर देखिये तो आपकी इन्डस्ट्री का दिवाला निकल जायेगा और उनकी पोल मालूम होगी कि वे केवल आपकी कन्ट्रोल की चीजों के ऊपर खड़ी हुई हैं। जिस रोज ये कन्ट्रोल की चीजें खत्म हो जायंगी उस रोज आपका यह इन्डस्ट्रीयलाइजेशन घर चला जायेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप इन चीजों की

(श्री मानसिंह महार)

तरफ ध्यान दीजिये। केवल तीन महीने के लिए हमारी मांग है, ज्यादा लम्बा समय नहीं है। मैं केवल जयपुर जिले के लिए कहता हूं, जयपुर जिले में सीमेन्ट और टीन शीट्स की बहुत कमी है। मैं केवल इन्डस्ट्री का कह रहा हूं, यह नहीं कि और का कह रहा हूँ।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, अभी तीन मिनट हैं....

एक माननीय सदस्य : आप हेरफेर कर कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : मैं इसलिए हेर-फेर कर कहता हूँ क्योंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं चाहे और मसलों को छोड़ दूं लेकिन इस कटौती प्रस्ताव पर थोड़ी बहुत 'हां-हूँ' नहीं की गई तो मुझे मजबूरन इसे प्रेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यह जरूरी चीज है, गांवों में आज त्राहि त्राहि मच रही है, उन्हें सीमेन्ट और टीन शीट्स नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के चंगुल से निकलिये और निकल कर गांवों के लिए, छोटी इन्डस्ट्रीज के लिए इसे तीन महीने के लिए डाइवर्ट कीजिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह है खादी बोर्ड के बारे में। मैं निवेदन करूं कि इसके बारे में तो मैं जितना कम कहूं वह अच्छा है। यह तो ऊपर से नीचे तक एक घरू चीज है। जिन्हें सरकार में मौका नहीं मिलता है या कांग्रेस को और चीजों में मौका नहीं मिता है, वे सारे खादीपोश इसके अन्दर हैं। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप हमें इसके अन्दर तीन महीने के लिए लगा दें, माननीय मुख्य मन्त्री या जो खादी बोर्ड के मन्त्री हैं वे लगा दें तो इन लोगों के सामने हम यह साबित कर दें कि महात्माजी के नाम पर जो शुद्ध खादी चलनेवाली है, उसके अन्दर चीन का सूत लगता है, नकली सूत लगता है। यह धोखा दिया जाता है जनता को रिबेट देने के लिए और यह काम करने के लिए। मैंने पहले भी रेफर किया था कि आपके जो खादी एम्पोरियम हैं इनके कर्मचारी गांवों में, पंचायत समितियों और न्याय पंचायतों में काम करते हैं और तनख्वाह खादी बोर्ड से पाते हैं मोटी मोटी, २५०) रु० ३००) रु० की। लेकिन उनको परवाह नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि रिबेट मिलती है, वे गलत कीमत पर चीजें लेते हैं। यह खादी बोर्ड जैसी संस्था सरकार के पैसे का ज्वलंत उदाहरण है; वैसा हिन्दुस्तान में तो क्या, चीन में भी नहीं मिलता, मैं यहां तक कहता हूँ। मैं रूस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि रूस से हमारी मित्रता है और मैं मित्रता निभाना चाहता हूँ। चीन में ऐसा उदाहरण नहीं है, इतना जबरदस्त दुरुपयोग होता है और इतनी बात कहने के बाद भी यह जो महकमा है, यह कभी हमारे उन मन्त्री महोदय से नहीं लिया जायेगा क्योंकि वे पक्के गांधीवादी हैं, सब तरह से गांधीवादी हैं। मैं उनको क्या कहूँ, मैं भी महात्माजी का चेला हूँ। मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि मैं शराब नहीं पीता छिप छिप कर पीने वाले लोगों की तरह....

श्री चन्दनमल बैद : खुले आम पीते हैं ?

श्री मानसिंह महार : मैं बापू की तरह छाती ठोक कर शराबबन्दी में विश्वास करता हूँ, मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ और इसलिए अपने आपको........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : विषय शराबबन्दी का नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिये । मैं खादी का झूठा चोगा पहन कर गांधीवादी नहीं बनना चाहता । खादी का चोगा पहिन कर जो मित्र गांधीवादी बनते हैं, उनके बारे में मेरे पास कई मिसालें हैं खादी बोर्ड की, लेकिन अध्यक्ष महोदय का घंटी की तरफ हाथ जा रहा है, इसलिए उस पर न बोल कर मैं कहूंगा इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट है, इसके अन्दर घोटाला है । इन्डस्ट्रीज में जो प्रायोरिटी दी जाती है, वह गलत ढंग से दी जाती है । जो इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स बनवाये गये हैं उनमें मंत्री महोदय के कृपा-पात्र, अफसरान के कृपा-पात्र, या इस डिपार्टमेंट के अफसरान के कृपा-पात्र हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए । मैं तो कहता हूं कि देश में इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना है तो गांवों में छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज बनायें, छोटी छोटी इन्डस्ट्री, जैसा मेरे मित्र ने कहा कि बुनकरों का उत्थान किया जाय और बुनकरों को कंट्रोल रेट पर सूत दिया जाय तो उन्हें लाखों रुपयों का फायदा हो । अभी जयपुर मिल को कंट्रोल रेट पर सूत दिया गया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मिलों को कंट्रोल रेट पर सूत नहीं दिया जाता है ।

श्री मानसिंह महार : जो लोन वगैरह दिया जाता है, कई चीजों की रियायत दी जाती है, जमीन देते हैं दो पैसे गज, बिजली देते हैं चार पैसे यूनिट में । चार पैसे यूनिट में बिजली देनी है तो गंदी बस्ती में रहनेवालों को दीजिये । इससे उन गरीबों का कुछ भला होगा और आप उन गरीबों का उत्थान करेंगे । लेकिन आप तो बिड़ला की बाल बियरिंग फैक्टरी को रियायत देंगे; क्योंकि वह तीन करोड़ की फैक्टरी से २८ करोड़ की फैक्टरी हो गई है । फिर क्यों न उसको रियायत दी जाय ? करोड़पति लोगों को रियायत देने की हमारी सरकार की नीति है, गरीब को नहीं । हमारी म्युनिसिपैलिटी के हरिजनों को बहकाया जायेगा कि तनख्वाह बढ़ाओ । कांग्रेसी झंडा लेकर वे इस चौपड़ पर मीटिंग करेंगे और हमारे मित्र उनके साथ जायेंगे । लेकिन और लोगों की, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है तो यहां कहा जाता है कि हम यू. पी. के मुकाबले में ज्यादा दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुकाबले में ज्यादा दे रहे हैं, बम्बई के मुकाबले में ज्यादा दे रहे हैं । यहां मुकाबले की बात नहीं है । आप प्रेक्टिकल बात पर पधारिये । मैं, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री से कहूंगा कि अब वे जमाने लद गये हैं जब आप मनमानी करते थे, अब आपको जनता की ओर ध्यान देना है । अगर आपको राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन करना है तो इन्डस्ट्री के मजदूरों की हालत को सुधारिये, यह नहीं कि पूंजीपतियों को लाखों-करोड़ों की सहायता दी जाय । मैं तो कहता हूं कि आप चाहे उनको सहायता दें लेकिन उनको कहें कि मजदूरों के लिए यह करो, तब तो कुछ बात होती है कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं । अगर आप राजस्थान में धीरे धीरे इन्डस्ट्री खोल देते हैं लेकिन

(श्री मानसिंह महार)

उनमें काम करने वाले मजदूरों की हालत नहीं सुधरती है तो फिर उन इन्डस्ट्रीज की कोई वकत नहीं है हमारे समक्ष, यह चीज बता दूं ।

अब इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट से जो गरीबों को लोन मिलता है, उसका उदाहरण एक मिनट में बता दूं । एक चोमू का लोहार था । वह आपके यहां से लोन लेने के लिए आया । उसने कृषि के अच्छे औजार बनाये हैं । उसके लोन का मामला है, वह तीन वर्ष से इन्ड्स्ट्रीज डिपार्टमेंट में चल रहा है....

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : वह चौमू का रहने वाला था ?

श्री मानसिंह माहर : चोमू होकर तो बहुत से निकलते हैं । आपको बताता हूँ कि चौमू होकर बहुत से निकले हैं, यह आप जानते हैं ।

वह लोन लेने के लिए गया । मैं भी उसके साथ गया, क्योंकि मुझे ताज्जुब हुआ कि उसे तीन वर्ष से लोन क्यों नहीं मिल रहा है । उसको क्या कहा जाता है कि आपने जो कृषि के औजार बनाये हैं वह बताओ । मैंने कहा, साहब, फैक्टरी लगाये बाद बनायेगा । अब वह औजार बाजार से मोल लाकर तो बतायेगा नहीं । यह मैं फैक्ट बता रहा हूं । आपके एडीशनल डाइरेक्टर हैं, मिस्टर चतुर्वेदी, उनसे आप प्राइवेट तौर पर घर पर बुला कर पूछ लीजिये कि सही है या गलत है । मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गया उसकी मदद के लिए तो वहां पर एक मद्रासी साहब मिले । वे हिन्दी नहीं समझते थे । उसने बताया कि मैं खुरपा बनाऊंगा, लेकिन वे समझे नहीं तो फिर मुझे वहां पर इन्टरप्रेटर और बनना पड़ा । यह मैं आपको सही बात अर्ज कर रहा हूँ । गरीबों को लोन नहीं मिलते और बड़े बड़े सेठों को लोन मिल जाते हैं । जो आपको चुनावों के लिए लाख-लाख और ५०-५० हजार रुपये चन्दे के रूप में देते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस डिपार्टमेन्ट को आप कम्पलीटली री-ऑर्गेनाइज करिये और छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाइये जिससे देश का भला होगा, वर्ना आप अपनी ही पार्टी के लोगों का या खुद का या उनके मिलनेवालों का ही भला कर सकेंगे ।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५-उद्योग पर भीलवाड़ा जिले के बिगोद नामी ग्राम में रूरल इन्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना कराने के लिये है ।

यदि देखा जाय तो राजस्थान में उद्योग की दृष्टि से काफी काम हुआ है, जिसके कारण लोग गांवों से निकल कर शहरों की तरफ आ रहे हैं । शहरों में उनको पैसे मिलते हैं इससे ऐसा लगता है कि गांवों में कितनी आमदनी है । यह साफ जाहिर करता है कि गांवों में आमदनी नहीं है तभी ये लोग शहरों में आते हैं । यही कारण है कि आज शहरों की आबादी पहले से दुगुनी और तीन गुनी हो रही है, लेकिन गांवों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है । गांवों में या तो उन लोगों के पास सरकार की तरफ से

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

खादी ग्रामोद्योग के द्वारा कुछ उद्योग चलाया जा रहा है, और चल रहा है उसके द्वारा लोगों की बेकारी है वह दूर की जाती है। मगर इससे पिंजारे हैं या जो विधवा औरतें हैं और बेकार हैं उनको कुछ धन्धा इससे मिल सकता है। इस प्रकार का आयोजन खादी द्वारा गांवों में हो रहा है, इससे लोगों को गांवों में काफी मदद मिल रही है। मगर कुछ ऐसे धन्धे करनेवाले लोग हैं जिनके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां ४०० परिवार लोहे का काम करनेवाले हैं और वे वर्षों से लुहार का काम करते आ रहे हैं। आज के युग में जहां कहीं से वे सामान जुटा सकते हैं, लाकर खेती के औजार आदि बनाते हैं और बेचते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक युग में हाथ के औजारों में और मशीन के औजारों में काफी फर्क है। इससे उनको बहुत परेशानी होती है और यही कारण है कि उनके धन्धे में काफी गिरावट आती है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार खादी उद्योग में सब्सिडी मिलती है-वह इसलिये मिलती है कि मिल के कपड़ों से हाथ का बना हुआ कपड़ा सस्ता होकर बाजार में चल सके—उसी तरह से इस गांव में भी, जो लोहारों के परिवार हैं, उनके लिये भी सब्सिडी देने की बात पर सरकार को सोचना चाहिये या जो उनके काम में आनेवाला लोहे का सामान है उनको पर्याप्त मात्रा में दिलाया जावे। होता यह है कि आम तौर पर जो सामान गांवों के लिए चर्स आदि बनाने के लिये बाहर से दिया जाता है वह बेकार जाता है और उसको मंहगा मिलता है। इसलिये उसको खरीद नहीं सकते जो गरीब होते हैं। इस कारण से उनमें बेकारी बराबर बढ़ती जा रही है। इन लोहारों का, जिनका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं ये लोग वर्षों से यही काम करते आ रहे हैं। इनको ट्रेनिंग लेने के लिये भेजा। वहां से इनके अच्छे अच्छे योग्य लड़के निकले हैं। लेकिन उनके पास मशीनरी और दूसरे साधन नहीं होने से उनको सिखाना और न सिखाना बराबर रहा है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इसको चाहे कस्बा कहिये, यह ४ हजार की आबादी है उसमें दो हजार ऐसे लोग हैं जिनका लोहार के काम से जीवन निर्वाह होता है। इसलिए यहां पर रूरल इण्डस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना की जाय। इससे उनको टैक्निकल सलाह देने-वाले लोग मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ रुपया भी सरकार की तरफ से उनको सहायता के रूप में दिया जाए, जिससे वे अपना काम चला सकें। इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है इस पर राज्य सरकार विचार करेगी।

दूसरा मेरा मकसद, कटौती के प्रस्ताव को रखने का यह है कि भीलवाड़ा में इन्डस्ट्रियल एस्टेट होने से मिडिल क्लास के लोग हैं उनको काफी सहायता मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लोगों को सामान का कोटा नहीं मिलता है। यह सही बात है जो भी कोटा लोगों को मिलता है उससे वे एक-दो महीना काम चला सकते हैं, फिर उनके पास काम नहीं रहता है। उसके

(श्री गणपतिलाल वर्मा)

बाद या तो कारखाना बन्द करना पड़ता है या नुकसान उठाना पड़ता है । मैं आपको वहां की बर्तन निर्माण सहकारी समिति की स्थिति बताना चाहता हूं । उनसे कहा गया कि इन्डस्ट्रीयल एस्टेट में शामिल हो जाइये तो कोटा मिलेगा । कोटा मिला, मगर वह कोटा इतना कम मिला कि खुद काम हाथ से करते हैं उनके लिए भी वह कोटा पूरा नहीं पड़ता। नतीजा यह हुआ कि उसकी हालत दिनों दिन खराब होती गई और कारखाने को खाली करना पड़ा ।

इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वाजिब कोटा सामान के आधार पर मिलना चाहिये, मिले और उसके बारे में उचित व्यवस्था होनी चाहिये । व्यवस्था में कहीं न कहीं तो गलती जरूर है, जिससे लोगों को बराबर कोटा नहीं मिलता है । लोग बराबर विभाग के सामने चक्कर काटते फिरते हैं और बार बार मंत्री महोदय के पास पहुंच कर शिकायतें करते हैं कि उनको कोटा नहीं मिलता है । मैं उनकी वकालत नहीं करता और चूंकि सहकारी समिति है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सहकारिता के आधार पर उद्योग चलाया और पूरा कोटा नहीं मिलने के कारण उनको आगे जाकर बहुत बड़ा धक्का लगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती के प्रस्ताव मांग संख्या २१ में रखे हैं । एक तो जिला जालोर में औद्योगिक विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु और दूसरा एक विशेष उद्योग प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्डस्ट्री लगवाने के बारे में सरकार के असहयोग पर बहस करने के लिये । जालोर जिले के लिए उद्योग क्षेत्र में पिछले १० वर्षों में सरकार की तरफ से आज तक कुछ नहीं किया गया है । हालांकि जालोर में मन्त्री मण्डल की पिछली बैठक में मुख्य मन्त्रीजी ने सार्वजनिक सभा में आश्वासन दिया था कि भविष्य में जालोर के औद्योगिक विकास के बारे में पूरा ध्यान देने की कोशिश की जायेगी । परन्तु माननीय अध्यक्ष, जब बजट एस्टीमेट्स को मैंने पढ़ा और उसके फिगर्स ध्यान से देखे तो मालूम हुआ कि अभी तक इसमें कोशिश की जाने की ही बात है, कोई सक्रिय कदम उठाने की कोशिश नहीं की गई है । इसलिए मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जालोर जिला एक ऐसा जिला है जिसमें कई उद्योगों के विकास के बारे में विचार किया जा सकता है । इसमें कई ऐसे साधन हैं जिनको उपयोग में लाकर अधिक से अधिक विकास किया जा सकता है । इस बारे में मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि माइनिंग क्षेत्र में माइनिंग इन्डस्ट्री के लिए जिला जालोर में काफी गुंजायश है और इस क्षेत्र में इस तरफ काफी तरक्की की जा सकती है, बशर्ते कि राजस्थान सरकार इस ओर Extensive और Intensive सर्वे करावे । इसलिए माइनिंग इन्डस्ट्री की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये ! अगर आप इसका सर्वे करायेंगे तो ऐसी काफी चीजें मिलेगी जिससे ऐसे छोटे मोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं, जिससे राजस्थान के कोष में काफी धन मिल सकता है और इस जिले का विकास

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

भी हो सकता है ।

इस जिले में माननीय अध्यक्ष, बोन बहुतायत से मिलती है, इसलिए यहां भीनमाल में बोन क्रशिंग फैक्ट्री लगाई जा सकती है । पहले भी इसके लिए कहा गया था । इसलिये इस बारे में अब ध्यान दिया जावे ।

दूसरे, लेदर टेनरी भीनमाल में लगाई जा सकती है, क्योंकि वहां आंवल बहुत ज्यादा तादाद में होती है । राजस्थान में आंवल जिला जालोर में सबसे ज्यादा मिलती है और भीनमाल इसके लिए उपयुक्त स्थान है । इसलिए लेदर-ट्रेनिंग इन्डस्ट्री भीनमाल में लगाई जा सकती है ।

रानीवाड़ा में मेटिंग एन्ड बास्केट मेकिंग उद्योग खोला जा सकता है । वहां चटाइयां और बास्केट्स भी बनती हैं, पर राजस्थान सरकार का ध्यान उस ओर दिलाये जाने के बावजूद भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है और इस उद्योग के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

बड़गांव में गुड़ की इन्डस्ट्री के लिए काफी साधन उपलब्ध हैं । गन्ने की खेती के लिए बड़गांव ऐसा एरिया है जहां गुड़ इन्डस्ट्री बड़ी अच्छी तरह से चल सकती है । मन्त्री-मन्डल की बैठक में भी जिला परिषद् की ओर से इस ओर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है ।

सांचोर के नेयड़ एरिया में ऐसे स्थान हैं जहां सॉल्ट-उत्पादन किया जा सकता है । बालदिये लोग अपनी बालदों में बिखरे हुए नमक को ले जाकर दूर दूर तक बेचते हैं । पर राजस्थान सरकार की ओर से वहां पर नमक की इन्डस्ट्री की स्थापना व विकास के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया गया है । इस ओर सरकार ध्यान दे तो नमक इन्डस्ट्री का वहां विकास हो सकता है । साजी, खार की इन्डस्ट्री का भी नेयड़ में विकास किया जा सकता है । पहले इस सम्बन्ध में कुछ प्रयास किया गया था, पर अब इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है ।

जालोर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति जो मैसूर में काम करते, हैं तैयार हैं । वे मन्त्री मण्डल की बैठक में भी आये और जयपुर के भी काफी चक्कर लगाये, पर इस बारे में कोई खास दिलचस्पी राजस्थान सरकार की ओर से नहीं देखी गई, तो वापिस चले गये, क्योंकि वे वहां अपना धंधा करते हैं । वे कुछ सुविधाएं सरकार से चाहते थे, जमीन और पॉवर चाहते थे । उन्होंने यहां बात भी की थी, पर ज्यादा समय लगते देखते हुए वे वापिस चले गये । भूतपूर्व उद्योग मन्त्रीजी से मिले, पर कोई ठीक जवाब नहीं मिलने के कारण वापिस चले गये । प्लास्टर ऑफ पेरिस की इन्डस्ट्री यदि जालोर में खोली जाय तो वहां काफी विकास हो सकता है । इसके लिए जालोर उपयुक्त स्थान भी है और लाखों रुपया इस पर लगाने के लिए उद्योगपति तैयार भी हैं । ऐसी दशा में जालोर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की इन्डस्ट्री का खोला जाना आवश्यक भी है । सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह इन्डस्ट्री वहां बड़ी अच्छी तरह चल सकती है ।

कस्तूरी मेटल इन्डस्ट्री जालोर में लगाई

Page No. 36

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

गई है। कुछ कार्य जरूर हुआ है। कस्तूरी मेटल इन्डस्ट्री के लोग पिछले दो साल से जयपुर के चक्कर काटते हैं पर उनको कोई पूरा जवाब नहीं मिलता। अब शायद दो साल बाद कागज यहां पहुंच पाये हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि काफी पैसा इस इन्डस्ट्री में वहां लगाया गया है और काफी अच्छी तादाद में अच्छा मेटल वहां तैयार किया जा सकता है और सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस उद्योग का काफी विकास हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी उद्योग विभाग इस बारे में ध्यान दे कि अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाने में दिलचस्पी लेता है तो इसमें दिक्कत आने से लोग उद्योग लगाने में हिचकिचाते हैं। कागज आगे से आगे आने में देर बहुत लगती है। इन दिक्कतों को देखते हुए उद्योगपति, उद्योग चलाने की इच्छा होते हुए भी, इस प्रकार को देरी और दिक्कतों से परेशान होकर-हैरान होकर इधर उधर चक्कर लगाने से परेशान होकर चला जाता है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रशासन में, रूल्स में जो इस सम्बन्ध में लागू किए गए हैं, उनसे होने वाली दिक्कतों को दूर किया जाय तो उद्योग विभाग में काफी शीघ्रता से काम हो सकता है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार और राजस्थान सरकार का ध्यान जालोर के उद्योगों के विकास के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले वर्षों में तो ध्यान नहीं दिया गया, पर आगे इस क्षेत्र में सर्वे कराया जाय तो जिला जालोर में उद्योगों के विकास होने की पूरी संभावना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, इस मांग के सम्बन्ध में जो इस सदन में वाद-विवाद हुआ और कट मोशन्स वगैरह सामने आये उनके सम्बन्ध में कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

सबसे ज्यादा बहस इस सम्बन्ध में, इस बारे में हुई कि जो स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को लोन दिये जाते हैं, और इस से भी ज्यादा बहस इसपर हुई कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये कोटा दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता और इसकी वजह से आम लोगों को लाभ होना चाहिये एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, वह नहीं होता। कुछ उदाहरण भी बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखे। इनके बारे में विभाग जांच करेगा कि क्या वास्तविकता है, पर इस वक्त कोटा देने की जो पद्धति है, लोन देने के जो आधार हैं, उनके सम्बन्ध में मैंने यह सोचा है कि हम जल्दी से जल्दी एक कमेटी ऐसी बनायें जो कि इस पॉलिसी के बारे में सलाह दे कि जो भी हमारे नियम हैं, जिनके अनुसार कोटा दिया जाता है, लोन दिया जाता है उनके सम्बन्ध में क्या-क्या परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है, क्या और चैक्स हो सकते हैं जिससे जिन कारणों का जिक्र किया गया है वे सामने न आयें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों से इस सलाहकार कमेटी में आने का निवेदन करूंगा वे सहयोग देंगे और कहीं पर कमी है तो उनके सुझावों का लाभ उठाना सरकार अवश्य पसन्द करेगी।

दूसरे, बहस के दौरान में अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्यों ने जिक्र किया कि राजगढ़ में सीमेंट का कारखाना लग सकता है। मैंने कल यहां चर्चा होने के बाद मालूम करने की कोशिश की कि क्या राजगढ़ में इस बात की सम्भावना है कि सीमेन्ट का कारखाना लग सके तो सरकार खुद चाहती है कि जहां इस प्रकार के स्थान हैं, जहां इस प्रकार के साधन हैं उनसे लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय। मैंने जानकारी की तो राजस्थान माइनर मिनरल सर्वे किया गया था, उससे जानकारी प्राप्त होती है कि राजगढ़ में डोलोमाइस है जिसमें १३.४ प्रतिशत मेग्नेशिया मिलता है, जब कि ५ पर्सेन्ट ज्यादा से ज्यादा पर्मिसिबल है।

(१.० म. प.)

और यह ज्यादा होने की वजह से वहां पर सीमेन्ट इन्डस्ट्री शुरु करने में दिक्कत सामने आई। पहले सर्वे किया जा चुका है और रिपोर्ट्स ये आयी हैं। इससे अधिक तथ्य माननीय सदस्य हमारे सामने लायेंगे तो हम और जांच करा सकते हैं और जांच करा कें सम्भावना हो तो सम्भावना के अनुसार आगे भी कार्यवाही की जा सकती है।

माननीय अध्यक्षजी, यहां राजस्थान में अलग अलग जगह औद्योगीकरण हो और उद्योगों के द्वारा लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच सके उस दृष्टि से भारत सरकार की ओर से स्पिन्डल्स अलॉट करने के लिए लिखा गया। उसमें यह खयाल रखा गया कि राजस्थान में अलग अलग जगह पर फैले हुए उद्योग जितने ज्यादा हो सकें तो उतना ही अच्छा है। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष होता है कि भारत सरकार की ओर से ६ नये स्पिनिंग मिल्स राजस्थान में एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेन्स स्वीकार कर लिये गये हैं। ६ में से एक जोधपुर, एक हनुमानगढ़, एक रिंगस, एक नोहर, एक झुंझुनूं, एक अलवर, एक केशोरायपाटन बूंदी रोड, एक चित्तौड़ और एक डूंगरपुर में होगी। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में जहां अभी बड़े पैमाने पर कोई इन्डस्ट्री शुरु नहीं हुई है वहां पर कुछ किया जा सके, उस लिहाज से सिफारिश की गई थी और उन डिस्ट्रिक्ट्स में शुरु करने के बारे में सिफारिश लाइसेन्स के लिए की गई थी। यहां पर यह भी कहा गया कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का या मोनोपोलाइजेशन जैसा करना चाहते हैं। यह प्रश्न खड़ा नहीं होता। मोनोपोलाइजेशन कहीं हो, यह भारत सरकार की भी नीति नहीं है और माननीय सदस्य जानते हैं कि जो लाइसेन्स इश्यू किये जाते हैं-चाहे मीडियम इन्डस्ट्री के लिए हो या बड़ी इण्डस्ट्री के लिए हो-वे भारत सरकार के द्वारा ही मंजूर किये जाते हैं। राज्य सरकार तो भारत सरकार को सिफारिश करती है और जो एप्लीकेन्ट्स हमारे सामने आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए सिफारिश करते हैं। दरअसल राजस्थान में, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, अगर कोऑपरेटिव ढंग से या छोटे छोटे लोग मिल कर कोई लिमिटेड कम्पनी बना कर वे आये हों और उन्होंने दरख्वास्तें दी हों और उनके बजाय राज्य सरकारने किसी दूसरे बड़े उद्योगपति की सिफारिश कर दी हो तो सरकार पर आक्षेप वाजिब हो सकता है कि राज्य सरकार ने बड़े उद्योगपति की सिफारिश कर दी। लेकिन सवाल सामने आता है कि बहुत जगह उद्योग लगाने के लिए कई बार प्रयत्न करके लोगों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को तैयार करके यहां पर लाना पड़ता है और लोगों को लाया गया है कि वे यहां पर उद्योग लगायें। उद्योगों में करोड़ों रुपया लगाना पड़ता है। जिनके पास पूंजी है और अनुभव है यदि वे उद्योग लगाने के लिए सामने आते हैं तो उस समय, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि राजस्थान में क्या किसी पूंजीपति द्वारा उद्योग स्थापित नहीं होना चाहिये ? हम तो जब ही करेंगे जब कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हो या किसी दूसरे में हो। मैं यह भी निवेदन करूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी उद्योग को चलाने के लिए, उसके लिए एक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। कुछ इण्डस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए लोन मिल सकता है, दूसरी इण्डस्ट्रीज़ हैं उनमें स्मॉल स्केल में लोन मिल पाता है; लेकिन यदि इन्जीनियरिंग की या दूसरी कोई बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ यहां पर लगायें तो आज उसके लिए उस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। आज प्रश्न यह है कि सारे हिन्दुस्तान के आधार पर सोचना पड़ता है, सारे फाइनेन्शियल रिसोर्सेज़ का सवाल आता है, चाहे छोटे बैंक हों, फाइनेन्स कॉर्पोरेशन हो या गवर्नमेन्ट की कोऑपरेटिव बैंक हो जहां से फाइनेन्स मिल सके और इन्डस्ट्री लगा सकें, उसके बाद ही किसी इन्डस्ट्री के लिये कोई निर्णय लिया जा सकता है, तब ही कोई बात करनी होगी; नहीं तो लाइसेन्स देने के बाद भी उनको लगाने में दिक्कतें आ सकती हैं और आवेंगी। आज भी रिकमन्ड करके भेज देते हैं उसके बावजूद भी बहुत सी इन्डस्ट्रीज़ को लगाने में वक्त लग रहा है और ऐसा वक्त आ रहा है और आता है कि हमें पीछे पड़ना पड़ता है कि उद्योग जल्दी से जल्दी लगायें। आज देश में चारों तरफ से औद्योगीकरण के लिए सब तरफ से प्रयत्नशील हैं और राजस्थान में, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य और कुछ माननीय सदस्य यह समझते हैं कि औद्योगीकरण की दृष्टि से क्या हुआ है; कुछ नहीं। यह एक विवाद की दृष्टि से बात की जाती है। लेकिन माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि राजस्थान में औद्योगीकरण की दृष्टि से एक गति पैदा हुई है। आज राजस्थान में पच्चीसों लाइसेन्स के लिए, अलग अलग जगह स्थापित करने के लिये सिफारिश की गई और जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण के वक्त भी लिखा गया है, राजस्थान में आज से कुछ वर्ष पहले ऐसी स्टेज आयी थी कि राजस्थान में जो मुख्य उद्योग था, कपड़े का उद्योग, उसकी मिलें बन्द होनी शुरु हो गईं। किशनगढ़ की मिल बन्द हुई, कोटा की मिल बन्द हुई, विजयनगर और भीलवाड़ा की मिल बन्द हो चुकी थी, ब्यावर की मिल बन्द हो चुकी थी। दूसरी करीब करीब उस हालत में जा रही हैं उन परिस्थितियों में हमने कोशिश की। ब्यावर और भीलवाड़ा की मिलों को राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया और उनको चलाया गया। जो कुछ यहां कहा गया है कि भीलवाड़ा में इतना मुनाफा हुआ, राजस्थान सरकार ने इस मिल को एफिशियेन्टली चलाया, जहां घाटे की बात कही जाती थी वहां उस मिल ने मुनाफा दिखाया है और उसका परिणाम यह है कि मुनाफा हुआ। दो लाख रुपया मजदूरों को बोनस देने के लिए स्वीकार किया गया है भीलवाड़ा में, जिसमें दो-ढाई महीने और कुछ ज्यादा भी समय हो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सकता है कि वहां काम करने वाले मजदूरों को बोनस प्राप्त होगा। साथ ही यह भी कह दूं कि ब्यावर की मिल गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल से ट्रान्सफर कर दी गई है। सदन में यह बात भी रखी गई इस मिल के बारे में कि जब इस मिल को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में लिया था उस समय अलग अलग कानून उस समय लगे हुए थे उनको हटा देना चाहिये और सामान्य स्थिति हो जानी चाहिये। मैं उससे सहमत हूं और सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने आदेश दे दिये हैं कि जो जो कानून उस समय लगे थे उनको हटा कर जो सामान्य नियम हैं वे लागू रहें, जो दूसरों के लिए लागू रहते हैं। किसी को कोई अनड्यु प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): भीलवाड़े के लिए भी सामान्य नियम लागू कर दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: भीलवाड़ा की मिल तो अभी गवर्नमेन्ट कन्ट्रोल में है।

श्री मुरलीधर व्यास: फायदे में है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: बिना डिस्प्यूट के जरिये दो लाख का बोनस दे देते हैं।

दूसरा, माननीय अध्यक्षजी; पब्लिक सेक्टर में, कहा गया कि, उद्योग खोले जाने चाहिये। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि पब्लिक सेक्टर में काम शुरू करें। एक बात सोचनी होगी। यदि पब्लिक सेक्टर से काम शुरु करना है तो फाइनेन्शियल पोजीशन क्या है? मैं भी यह सोच सकता हूं कि पचास करोड़ की इन्डस्ट्री ऐसी शुरु कर दी जाय कि जिससे नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू काफी बढ़ जाय। लेकिन सवाल यह आता है कि रिसोर्सेज कितने हैं और जो रिसोर्सेज हमारे सामने उपलब्ध हो सकते हैं उनको प्रायोरिटीज को तय करके किन किन उद्योगों को पब्लिक सेक्टर में कर सकते हैं, उसका निर्णय करें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लिग्नाइट, फ्लोराइट, सोडियम सल्फेट प्रोजेक्ट को हमने पब्लिक सेक्टर में, स्टेट सेक्टर में शुरू करने का किया। लिग्नाइट के बारे में देरी होने की यहां चर्चा आती है तो उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जो लिग्नाइट का प्रोजेक्ट है, प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान सरकार ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि अगर इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार पब्लिक सेक्टर में चलाये तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि इसको स्टेट सेक्टर में ही चलाना उचित होगा। हमने उसकी जिम्मेदारी ली। हमने यह सोचा कि आस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स जो लिग्नाइट में काम करते हैं उनकी राय हमको मिल सके, तो वह राय लाभप्रद होगी। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से बात हुई, भारत सरकार ने कहा कि नेवली में इस प्रकार का काम शुरु हो गया है उसके बाद फॉरिन एक्सपर्ट्स को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस बात की जरूरत थी कि इस प्रोजेक्ट के लिए कोई एक्सपर्ट इन्जीनियर नियुक्त किया जाय।

मैं आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूँ कि चीफ इन्जीनियर जो प्रोजेक्ट को चलायेंगे उनकी नियुक्ति

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कर दी गई है, जिससे इस प्रोजेक्ट को तेजी के साथ चला सकेंगे। इसके लिये जो ईक्विपमेन्ट्स चाहिये वे इस फाइनेन्शियल ईयर के आखिर तक ऑर्डर्स प्लेस कर दिये जायेंगे। १९६५ तक, आशा है, हम करीब १,५०० टन लिग्नाइट का प्रोडक्शन कर पायेंगे। इस तरह से इसके बारे में सरकार सक्रिय रूप से कदम उठा रही है और उठाया है।

सोडियम सल्फेट के बारे में माननीय अध्यक्ष, जर्मन कन्सर्न के साथ निर्णय किया गया है। जर्मन कन्सर्न से जो कुछ मशीनरी मंगाने वाले थे उसके लिये फैसला हो गया। उसके आने के बाद उसके डिटेल्स के बारे में कुछ वक्त लगे, लेकिन मशीनरी जितनी बड़ी थी उसके ट्रान्सपोर्ट करने में समय लगा है। एक यह भी प्रश्न आया कि अभी तक इसके लिए बिल्डिंग भी तैयार नहीं हुई, इसमें वाकई विलम्ब क्यों हो रहा है? बिल्डिंग के बारे में सबसे ज्यादा दिक्कत यह थी कि इसका ड्राइंग स्पेशल तरीके का था और स्पेशल तरीके से ही इसका निर्माण होने का है। जर्मन कन्सल्टेन्ट से बार बार इस बारे में कन्सल्ट करते रहे हैं, इससे भी इसमें देरी लगी है। अब इसके टेन्डर्स वगैरह हो जाने के बाद स्लेब सीमेन्ट जो हमारे हिन्दुस्तान में कुछ ही जगहों पर होता है इसके लिये ऑफिसर्स लोग दिल्ली वगैरह कई स्थानों पर गये हैं, उसके लिए फैसला करके आये हैं, ताकि यह सीमेंट जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। इसके लिये प्रयत्न किया, आशा है, वह काम जल्दी ही पूरा होगा। इससे राजस्थान सरकार को काफी आमदनी होनेवाली है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, इसमें देरी नहीं लगनी चाहिये। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे कि यह प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो। इससे रिलीफ राजस्थान को प्राप्त होने लगेगी। जो विलम्ब होने के कारण थे वे मैंने आपके समक्ष निवेदन कर दिये हैं।

सदन में यह भी प्रश्न आया कि हमको फर्टीलाइजर फैक्टरी के लिये पब्लिक सेक्टर में नहीं रख पाये इसलिये इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं निवेदन करूं, 'यह बात नहीं, जो पॉलिसी इस बारे में निर्धारित की गई है वह केवल अकेले राजस्थान के लिये अलग हो, यह बात नहीं, और भी जगहों के लिये पब्लिक सेक्टर में ये चीजें नहीं रखी गई हैं। हमने भी इसको पब्लिक सेक्टर में रखवाने का काफी प्रयास किया था। लेकिन अन्त में हमने यह भी देखा कि पब्लिक सेक्टर में यह नहीं होता है और प्राइवेट सेक्टर मेटीरिएलाइज न हो तो हम पीछे रह जायेंगे। हम तो चाहते थे कि इसे पब्लिक सेक्टर में रखा जाय और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले। इसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज प्राप्त हो सकें, इस बारे में हमने कोशिश की।

बीकानेर के अन्दर किसी प्रकार के उद्योग धन्धे को खोलने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह भी कहा गया। इस सम्बन्ध में काफी चर्चायें सामने आयीं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करदूं, जिसका अन्तिम स्वरूप तो अभी नहीं बना है लेकिन एक वाल बोर्ड फैक्ट्री जो जिप्सम से बनती है फॉरिन कन्ट्रीज के अन्दर काम में आती है उस स्कीम को हमने गवर्नमेन्ट ऑफ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इन्डिया को रिकमन्ड किया है । उस पर उन्होंने कहा है कि इसमें जो जिप्सम काम में लाया जाय वह इनफीरियर क्वालिटी का काम में लायेंगे, इस प्रकार का आश्वासन होना चाहिये। फॉरिन कोलोबोरेटर्स के साथ में इस सम्बन्ध में चर्चा चल रही है।

जहां तक प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज का सवाल है, इसके लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाय, इस स्टेज तक यह मामला पहुंच गया है। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि फॉरिन एक्सचेन्ज मिलने के बाद स्वीकार किया जा सकता है। इस बारे में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

इस सदन में बहस के दौरान में यह भी प्रश्न खड़ा किया गया कि हमारे यहां जो अन-एम्प्लॉयमेन्ट है उसके लिए यदि दस करोड़ रुपया लगा दिया जाय तो चार लाख आदमियों को रोजगार मिल सकता है, इस प्रकार की योजना बन सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर पर मेकेनिकल मेनर पर जो औद्योगीकरण होता है, केमिकल इन्डस्ट्रीज नहीं दूसरी इन्डस्ट्रीज हैं, तब तक यह माना जाता है कि दस-बीस हजार रुपया इनवेस्ट करने पर एक आदमी को रोजगार मिल सकता है। वैसे खादी को ही लीजिये। इसमें भी ५००) रुपया खर्च करने पर एक आदमी को एम्प्लॉयमेन्ट प्राप्त हो सकता है। हमारे पास पैसा किस सेक्टर के अन्दर है, जिसको कम करके इसमें लगाया जाय, कौन सा काम बन्द कर देना चाहिये और कौन से सेक्टर का काम चालू करना चाहते हैं? यह हो नहीं सकता कि आज शिक्षा में जो व्यय हो रहा है उसको बन्द करदें, रोड्स के अन्दर जो लग रहा है उसको बन्द कर दें या इर्रिगेशन के अन्दर जो खर्च कर रहे हैं उसको बन्द कर दें, सभी अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने ढंग से एम्प्लॉयमेन्ट दे रहे हैं और नेशनल वैल्थ भी धीरे धीरे बढ़ रही है।

बहस के दौरान में कोटा के अन्दर डी.सी.-एम. कॉस्टिक सोड़ा, और सोडा एश और पी.वी.सी., इसके बारे में कहा गया कि बिजली इनको तीन नये पैसे पर यूनिट दी गई है, यह बहुत अनुचित है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, यह एक ऐसी इन्डस्ट्री है जिसमें बिजली एक तरह से रॉ मेटीरियल की तरह से काम करती है। हिन्दुस्तान के अन्दर, केरल और मद्रास के अन्दर, जहां पर इसके बारे में लाइसेन्स दिये गये हैं वहां दो पैसा यूनिट के हिसाब से रेट तय की है। हमने हमारे राज्य के अन्दर जहां हमारे यहां नमक है, लाइम स्टोन है और इन इन्डस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते हैं कॉस्टिक सोडा से और भी इन्डस्ट्रीज डेवलप होती हैं, इसका जल्दी ही स्वरूप सामने आयेगा। कॉस्टिक सोडा की वजह से रेयन कार्ड फैक्ट्री चालू की जा सकती है, जिसकी कोटा के अन्दर चर्चायें काफी स्टेज तक बढ़ चुकी हैं। इस प्रकार पी.वी.सी. से प्लास्टिक इन्डस्ट्री डेवलप हो सकती है। यह बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है, इसके लिये हमने जो प्रयत्न किये हैं उससे आगे चल कर यह होगा कि इसकी अलाइड जितनी भी इन्डस्ट्रीज हैं वे भी शुरू होंगी और उससे राजस्थान को लाभ मिलेगा।

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पॉलिसी डिक्लेरेशन इस प्रकार का किया गया। डेढ़ आना यूनिट इन्डस्ट्रीज के लिए रेट होगी, इसको मैं समझता हूँ आम तौर पर मेक्जिमम लिमिट कहना चाहिये। ऐसी इन्डस्ट्रीज जहां पावर कन्जूम ज्यादा होता है जिसका लोड फैक्टर ज्यादा है, डी.सी.एम. के लिये जो तय किया गया है उससे लाखों रुपया का लोस होता है, ऐसी स्थिति नहीं है। तीन नये पैसे जो दी गई है वहां लोड भी बहुत ज्यादा, करीब चालीस-पचास पर्सेन्ट के करीब लोड होता है इससे जो अन्तर स्वाभाविक तौर पर दिखाई देता है वह दूर हो जाता है। कुछ केमिकल इन्डस्ट्रीज ऐसी होती हैं उनके बारे में कम्पेरेटिव रेट्स नहीं होते हैं वहां इस प्रकार की कन्डीशन्स नहीं होती हैं कि दूसरी जगह की कन्डीशन्स से मुकाबला कर सकें। यदि ऐसा करने लग जायं तो उद्योगों का लगना मुश्किल हो जाता है। इन चीजों को सामने रखते हुए केरल और मद्रास में जिस प्रकार के एग्रीमेन्ट्स किये गये उनको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

माननीय अध्यक्षजी, यह जो स्टेट सेक्टर के अन्दर कामकाज करने के लिये कहा गया, मैं समझता हूं, जैसा मैंने निवेदन किया, कई जगह जो हमारे काम काज हैं उनको हम बहुत ज्यादा पैमाने पर सब जगह शुरू कर दें तो इसके लिये बड़े रिसोर्सेज, फाइनेन्शियल रिसोर्सेज हमें जुटाने होंगे। पर लोग-बाग जिनके पास कम पूंजी है और जो कोऑपरेटिव ढंग से काम करने की दृष्टि को लेकर आवें तो हम हमेशा उनको प्रोत्साहन देने के लिये तत्पर रहेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को कहूँगा कि हमारे पास इस वक्त भी १२ स्पिन्डल का एक यूनिट का लाइसेन्स देने की गुंजाइश है। ऐसी योजना महीना, बीस रोज में अगर सरकार के सामने आई तो निश्चित तौर से हम उसे प्रोत्साहन देंगे। पर कोई सामने न आवे और ये स्पिन्डल पड़े रह जावें और कोई उद्योग न लगे तो यह वाजिब नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में मुझे आशा है, ऐसे प्रस्ताव आवेंगे जिनमें ऐसे लोग उद्योग-लगाने वाले हों।

माननीय अध्यक्षजी, यहां सदन में बहस के दौरान में विजयनगर में मिल बन्द हुई और नई लगाने के सम्बन्ध में भी कटौती प्रस्ताव आये और यह सुझाव आया था कि जिनको लाइसेन्स दिया गया अगर वे नहीं लगाते हैं तो दूसरे को वह लाइसेन्स दिया जावे। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। जो लाइसेन्स दिया गया है वह इसलिये दिया गया था कि पहले जो मिल वहां थी वह मिल चल नहीं सकती थी, आज मार्केट में वह कम्पीट नहीं कर सकती थी इसलिये बन्द हो गई, पर इससे वहां की इकॉनोमिक कन्डीशन पर बहुत बुरा असर न पड़े। विजयनगर में ही इजाजत दी गई है नई मिल लगाने की और अगर उस मिल को लगाने की कार्यवाही वह पार्टी नहीं करती है तो राजस्थान सरकार इसे अपने ध्यान में रखेगी कि उस लाइसेन्स को कैंसिल करके दूसरे को दिलाया जाय, जिससे वहां पर कारखाना लग सके और वहां के लोगों को इस सम्बन्ध में जो दिक्कतें आती हैं वे न आवें।

अजमेर के सम्बन्ध में ब्यावर से आने-वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम उसको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कोई कॉन्कर्ड टेरीटरी समझ कर चलते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, यह बिल्कुल गलत है। जो बातें सम्भव हो सकती हैं उनकी तरफ बराबर ध्यान दिया जाता है और दिया गया है और उस ध्यान देने वाली बात को वे स्वयं जानते हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब की बार अजमेर से वे चुन कर आये हैं और उधर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका जबर्दस्त असर पड़ने वाला है। तो मैं उनके लिये बहुत आदर रखता हूँ और यह आशा करके चलता हूं कि इस प्रकार की बातें जो उनके द्वारा सामने आई तो उसका प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसका मैं और उत्तर दूं, यह मैं उचित नहीं मानता।

माननीय अध्यक्षजी, आमेर क्षेत्र से चुन कर आने वाले माननीय निरालाजी, माफ कीजियेगा, मैंने निरालाजी कहा, इसलिये कि जितने कट मोशन्स आते हैं उनकी ओर से, सबसे पहले यह व्याख्या करते हैं कि वे अपने ढंग के निराले हैं। तो आपके कट मोशन्स आये उनमें उद्योग बढ़े, कैसे क्या हो, यह नहीं था, बल्कि पहला सुझाव तो यह था कि तीन महीने इन्हें बन्द कर दीजिये और उद्योग में दूसरी जगह के लिये जो सीमेन्ट और लोहा आवश्यक है उसे बन्द करके वहां गांवों में भेज दीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज के लिये जो लोहा, सीमेन्ट वगैरह आता है उसका कोटा निर्धारित है और इसके अन्दर उन उद्योगों को यह दिया जाता है कि जिससे उनकी आवश्यकता को हम पूरा कर सकें और जो एग्रीकल्चरल कोटा है वह अलग होता है, जिसको अलग अलग जगह विभाजित किया जाता है।

उन्होंने लोहारों के लिये कहा। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसके बारे में जानकारी करके अगर उनकी सम्भावनाएं हुई तो देखा जा सकता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप छोटी मोटी चीजों की जानकारी काहे को रखें। आप तो बड़े बड़ों की जानकारी रखते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां, बड़ी इन्डस्ट्रीज की तरफ तो है, आप दूसरी छोटी इन्डस्ट्रियों की तरफ ध्यान दिला देते हैं तो उधर भी ध्यान है। आप गांव वालों की याद बहुत दिलाते हैं। तो वोट अभी इस वक्त थोड़े ही पड़ रहे हैं। आप तो, गांव वालों के दिलों में छुरियां चल रही हैं और न जाने क्या क्या चल रही हैं, कह देते हैं। वह तो सब माननीय सदस्य जानते हैं कि आपके दिल में गांव वालों के लिये कितना प्रेम था या कितना नहीं था। इसकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मानसिंह महार : वह भी बता दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इसमें पड़ना नहीं चाहता।

मांडल से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि मांडल में शक्कर का कारखाना पब्लिक सेक्टर में लगाया जावे। इसके लिये मैं निवेदन कर दूं कि इसके लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को प्राइवेट सेक्टर के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लिये रिकमन्डेशन भेजी हुई है। पर इस वक्त देश में शक्कर का ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण नये लाइसेन्स नहीं दिये जा रहे हैं, इसलिये नया लाइसेन्स इश्यू नहीं हो तब तक किसी सेक्टर में इसे इश्यू करने की बात नहीं होगी। नये लाइसेन्स इश्यू होने शुरू होंगे तो वह भी आवश्यक सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

खादी के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ चर्चाएं सामने आई और वे हर वक्त सामने आती हैं। कुछ को खादी पहिननेवालों से नाराजगी मालूम होती है या क्या बात है, पर वे आम तौर से चर्चाएं एक-दो जगह के बारे में आकर रुकती हैं। मैं जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे यह सुन कर दुख और आश्चर्य भी होता है कि एक–दो ने कहा कि खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड की तो आवश्यकता ही नहीं है। इस खादी के काम की हमें आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूं कि जहां राजस्थान में ५३-५४ में १६ लाख की खादी की उत्पत्ति होती थी और १२ हजार व्यक्तियों को रोजी मिलती थी, आज राजस्थान में १९६०-६१ में करीब एक करोड़ की खादी का उत्पादन होता है और ६५ हजार आदमियों को और औरतों को इसके द्वारा रोजी मिलती है और जिसे हम कह सकते हैं कि इतनी कम पूंजी में यह बहुत बड़ा एम्पलॉयमेंट का जरिया है। जिन गांवों की बात कहते हैं। भले की उन गांवों में इतने लोगों को एम्पॉयमेन्ट मिल रहा है। तो हमें इसके महत्व को पूरी तौर से ध्यान में रख कर चलना होगा। हां, इसमें खामियां हो सकती हैं, यह प्रश्न अलग है। खामियों को टीक किया जावे, इसमें दो राय नहीं हो सकती। पर खादी के बारे में कहा जाय कि खादी की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की चीजें चलाने की जरूरत नहीं है, यह अनुचित बात है और जिन्होंने यह कहा है वे भी एम्पलॉयमेंट की, इसमें जो पोटेन्शियेलिटी है और जो इसके पीछे भावना है उसको देखते हुए यह मानेंगे कि जितनी जगहों पर यह चीज आज चल रही है वह अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे हमारे आमेर से आने वाले माननीय सदस्य का खयाल है वह भी इसके बारे में दूसरे होंगे। इस एम्पलॉयमेंट की पोटेन्शियेलिटी पर भी....

श्री मानसिंह महार : बता दूं मैं आपको। गांवों में चल कर आप स्वयं देख लें कि इस खादी में कोई एम्पलॉयमेन्ट नहीं हैं। बुनकर लोग परेशान हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यही तो अन्तर है सोचने में।

दूसरे, माननीय अध्यक्षजी, ऊन के उद्योग के बारे में कहा गया कि ऊन का उद्योग हमें आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिये कि वह ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि राजस्थान का जो यह अच्छा उत्पादन है वह रॉ मेटीरियल के तौर पर बाहर जाने के बजाय यहां फिनिश्ड गुड्स के तौर पर उद्योग स्थापना में काम आ सके, ऐसी कोई योजना होनी चाहिये। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि ऐसी हमारी योजना है और उसको खादी और विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से बीकानेर और दूसरे उत्तर–पश्चिमी हिस्से में आज से

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं, १९५७-५८ से चलाया जा रहा है। और मैं कोई ज्यादा बड़े दावे की बात तो नहीं करता कि जब यह योजना शुरू की गई तो पहले ८ लाख का सामान ऊन से यहां तैयार होता था वहां आज ४० लाख का ऊन से उत्पादन हुआ। हम चाहते हैं कि इसमें और भी व्यवस्थाएं की जावें जिससे फिनिशिंग वगैरह में हम और आगे बढ सकें। प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में सुझाव आये हैं। इसके लिये खादी बोर्ड प्रयत्नशील है और वह ज्यादा से ज्यादा इस काम को फैला रहा है। इससे अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, इसके लिये भी ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न जितना होगा किया जावेगा। यह सुझाव भी आया और मैंने भी कहा था कि खादी बोर्ड के पास जो रुपया है, पंचायत समितियों के द्वारा खर्च किया जाय, बजाय इसके कि दूसरी संस्थाओं के जरिये खर्च करें। इसके सम्बन्ध में ऑल इण्डिया के संघ को लिखा गया जो इसकी नीति निर्धारित करता है। उनकी मान्यता रही और मैं भी समझता हूं कि इसमें कोई विरोध जैसी बात नहीं हो सकती है। उनका कहना है कि खादी का काम आर्थिक योजना का काम है, इसलिए बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को इसे सौंपा जावे, कोऑपरेटिव सोसायटियों के जरिये इसे चलाया जावे, यह उचित होगा। इसलिये जो कोऑपरेटिव यूनियनें हां उनको वे खादी की रकम को देकर और खादी के काम को डीसेन्ट्रलाइज के तरीके से चलाने के बारे में पॉलिसी अख्तियार की है और १६ कोऑपरेटिव सोसायटियों को इस वक्त भी सहायता प्राप्त हुई है। तो मैं समझता हूँ कि डीसेन्ट्रेलाइज हो, इस सिद्धान्त को उन्होंने भी स्वीकार किया है। तो सदन की जानकारी में मैं यह लाना चाहता हूं।

दूसरे दूसरे उद्योग और चमड़े के उद्योग ज्यादा से ज्यादा बढ़ें; इस सम्बन्ध में सदन की राय की तरफ भी ध्यान देकर हम चलेंगे। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज और दूसरी चीजें सिविल सप्लाइज से सम्बन्ध रखती हैं, तो इनको मैं उन मंत्रीजी पर छोड़ कर अपनी बात यहां पर समाप्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of information, Sir, जिस प्रकार आपने ब्यावर मिल के बारे में फरमाया, पब्लिक अन्डरटेकिंग के बाद भी प्राइवेट पार्टी के पास में है, इसलिये आदेश दे दिये हैं कि जो कानून पहले मजदूरों पर लागू थे वे वहां भी लागू कर दिये जावें। अब ब्यावर के बारे में तो यह आपने कहा और इसे भी आप चलाते हैं। उधर भीलवाड़ा की मिल को भी सरकार चलाती है। अब जब ब्यावर में आपने मजदूरों के कानून लागू कर दिये तो भीलवाड़ा में क्यों नहीं कर रहे हैं? यह भेद-भाव क्यों ? भीलवाड़ा जो सरकार के कब्जे में है और मुनाफे में है तो वहां के लिये क्यों नहीं आप मजदूरों की सुख सुविधा के कानून लागू करते हैं? इसमें आप क्यों देर करते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं निवेदन कर दूं। इसमें एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है। इस एक्ट का तो मुझे ठीक से नाम याद नहीं, रिलीफ एक्ट सा कुछ कहलाता है, something like that, तो इसमें एक खास बात है। भीलवाड़ा मिल का बाजार का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कुछ कर्जा है जो लोग मांगने वाले हैं । वे मांगने वाले आज के दिन उस एक्ट के अन्डर में मांग नहीं सकते । वे ठहरे हुए हैं । इससे मिल पर अभी बोझ नहीं आ रहा है । पर जब उस एक्ट की एक चीज को मान कर उसे लागू करते हैं तो इमीजिएटली साइमल्टेनियसली वे मांगने वाले भी कोर्ट में इश्यू करके अपना बकाया गवर्नमेन्ट से वसूल करने की कार्यवाही कर सकते हैं। तो वह इश्यू भी इसमें इन्वोल्व्ड है । तो अगर इसे लागू कर देते हैं तो प्राइवेट लोगों का रुपया गवर्नमेन्ट को अपनी एक्सचेकर से चुकाना पड़ेगा ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : दूसरे मिलों के लिए भी वही बात होगी । ब्यावर के लिए भी वही बात होगी । वहां तो प्राइवेट पूंजीपति चुकायेंगे ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : जो व्यक्तिगत कर्जा मांगते हैं उनको तो आपने सहूलियत दी है, लेकिन जो मजदूर हैं उनको तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का फायदा देना चाहिए । जब ६ लाख का फायदा हुआ है तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का फायदा मजदूरों को देने में सरकार को क्या ऐतराज है ?

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ीसी जानकारी करना चाहूँगा । आपने कहा कि राजस्थान में स्पिन्डल्स के लिए लाइसेन्स देने की गुंजाइश है । इस सम्बन्ध में आप बतायेंगे कि सरकार की तरफ से कोआॅपरेटिव बेसिस पर आपके सामने प्रस्ताव आता है तो कितना लोन, सहायता के रूप में दिया जा सकेगा और इसमें कुल इनवेस्टमेन्ट सरकार का कितना करने का एस्टीमेट है ? आपने जो अभी तक जनरल लाइसेन्स का जिक्र दो तीन बार इस सदन में किया है, वह किन किन पार्टीज़ को आपने लाइसेन्स दिये हैं ? इसके साथ ही जैसा आपने बताया कि पंचायत समितियों को खादी का काम जो देनेवाले थे वह इसलिए नहीं दे रहे हैं कि खादी कमीशन ने कोआॅपरेटिव के द्वारा यह काम देने की नीति अख्तियार की है । तो क्या यह कोआॅपरेटिव पंचायत समितियों के अधीन आ जायें तो इसके काम में किस प्रकार की बाधा उपस्थित होती है ? इन तीन बातों के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्रीजी जानकारी देंगे ?

श्री **अध्यक्ष** : इनके लिए तो जुदा प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री **भैरोंसिंह** : अभी तीनों चीजों का रेफरेन्स आया है, इसलिए पूछा है ।

श्री **अध्यक्ष** : सारे उत्तर इस तरह से नहीं दिये जा सकते ।

श्री **भैरोंसिंह** : इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ ।

श्री **अध्यक्ष** : यह आप प्रश्न द्वारा पूछ लीजिए, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी ।

श्री **चन्दनमल वैद** (उप-मन्त्री, उद्योग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज़ की डिमान्ड के सिलसिले में आज और कल इस तरफ और उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने काफी दिलचस्पी के साथ भाग लिया । उसमें बहुत से उपयोगी सुझाव भी आये........

Page No. 47

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Point of Order, Sir, माननीय सदस्य जो इस समय भाषण दे रहे हैं—इन्डस्टीज़ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दे दी और उसके बाद में डिप्टी मिनिस्टर महोदय भाषण दे रहे हैं तो यह उल्टी परिपाटी किस तरह से चल रही है ? इन-पार्टस ही जवाब देना था तो डिप्टी मिनिस्टर को पहले बोलना चाहिये था। डिमांड मिनिस्टर महोदय की तरफ से मूव की जाती है। उन्होंने सारे कटमोशन्स का जवाब दे दिया और फिर यह उल्टी परम्परा चल रही है कि पहले चीफ मिनिस्टर बोलें और फिर डिप्टी मिनिस्टर बोलें। कल शिक्षा को डिमांड पर चीफ मिनिस्टर पहले बोले और उनके बाद में शिक्षा मन्त्री बोले । अब यह उल्टी परिपाटी किस तरह से चल रही है। यह रूल्स के अगेन्स्ट में भी जाता है और अब तक की प्रेक्टिस के खिलाफ भी जाता है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि कल डिमांड मैंने मूव की थी, इसलिए मेरा राइट है जवाब देने का। जो माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है उनके बारे में तो मैं दूंगा, पर कम से कम जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है उनके विषय की जानकारी देना पसन्द नहीं करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी पर ऐतराज नहीं करता। लेकिन जानकारी देने का जहां सवाल आता था वह मुख्यमन्त्रीजी के भाषण से पहले देने का था। डिमाण्ड आपने मूव की इसलिए आपका राइट नहीं होता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, Sir. He is raising this objection under what rule ?

श्री भैरोंसिंह : Under the Rules of Procedure and Conduct of Business of this House, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं यह ठीक नहीं समझता कि यह कन्वेन्शन अच्छा है कि मिनिस्टर पहले बोलें और फिर उनका डिप्टी बोले। यह हेल्दी कन्वेन्शन नहीं है। यह रूल भले ही न हो, लेकिन हमको कन्वेन्शन्स का भी खयाल रखना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इससे किसको मलेरिया हो गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो डिमाण्ड कल प्रस्तुत की गयी थी वह डिमाण्ड डिप्टी मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उनको अन्त में डिमाण्ड पर रिप्लाई देने का कानूनी तौर से अधिकार आता है। तो वे अपनी बात यहां पर रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : कानूनी तौर से नहीं आता ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डिप्टी मिनिस्टर को उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आवश्यकता नहीं है और अध्यक्ष महोदय कहें कि उसके बाद ही वोटिंग हो जाये तो मुझे ऐतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अब बहस का उत्तर सरकारी पक्ष की ओर से एक मन्त्री दे सकते हैं, दो मन्त्री दे सकते हैं, चाहे तीन मन्त्री दे सकते हैं। किसी का उत्तर कोई भी दे सकता है और उसमें मुख्य मन्त्रीजी बोल सकते हैं, और भी मन्त्री महोदय चाहें तो बोल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है कि पहले मुख्य मन्त्रीजी ने उत्तर दे दिया और उनके विभाग के उप-मन्त्री हैं उनका बोलना उचित है या नहीं ? उसके लिए जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने डिमाण्ड मूव की है, केवल इसी आधार पर तो आखिर में उत्तर देना उचित नहीं है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था वह आपस में करना चाहते हैं वह अपने ढंग से कर सकते हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि इस तरह की परम्परा डालने में खुद सहयोग दे सकते हैं। अतः इसमें कोई व्यवस्था की बात उत्पन्न नहीं होती है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो राइट क्लेम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से, जैसा कि शुरु में बताया, कभी भी बोल सकते हैं किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं और उसी आधार पर वह बोल रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की यह इजाजत है कि उन्होंने जो कुछ मुद्दे उठाये हैं उनके विषय में निवेदन करूं। तो मैं यह कह रहा था कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनमें से उपयोगी सुझाव भी हैं और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी सदन को बतला चुके हैं कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज में रॉ मेटीरियल दे रहे हैं उनका उचित उपयोग हो रहा है या नहीं, उससे कितना फिनिश्ड गुड्स बना रहे हैं इसके लिए एक सुझाव है कि एक कमेटी बनानी चाहिए, जो सुझाव दे....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : Point of information, Sir, कमेटी किस तरह की बनेगी यह बता दें। कमेटी बनाते समय अपोज़ीशन वालों से नहीं पूछा जाता........

श्री चन्दनमल वैद: मैं कोई बात कह रहा हूं उसके पहले ही कुछ जानकारी लेना, तो जानकारी नहीं है। यह तो इन्टरफियरेंस हो गया।

तो माननीय सदस्यों का एक बहुत ही उपयोगी सुझाव था—हम जो आज रॉ मेटीरियल स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को दे रहे हैं उनका उपयोग किस हद तक हो रहा है और उसका ज्यादा उपयोग करने के लिए क्या सुझाव आ सकते हैं, उस कमेटी में माननीय सदस्यों को लेकर, दूसरे ऑफिसर्स को लेकर कमेटी बनायें, जो कि सुझाव दे कि किस तरह सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के प्रोडक्शन के बारे में शंका होती है कि रॉ मेटीरियल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों के इस सुझाव को माना है........

श्री भैरोंसिंह : यह कमेटी जांच करने के लिए होगी ?

श्री चन्दनमल वैद : यह प्रोसीजर बनाने के लिए होगी । मैं समझता हूं कि माननीय नेताजी का भाषण आपने सुना नहीं।

श्री मानसिंह महार : नेताजी कौन ? सुभाषचन्द्र बोस बोले थे क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : दूसरा जो जरूरी सुझाव मेरी नजर में आया है वह यह है कि हमें इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट में एक ऐसा रोल बनाना चाहिये जो कि हमारे उद्योगपति बाहर से आते हैं उनको गाइडेन्स दे सके कि हमारी स्टेट में किस किस जगह कौनसा उद्योग चल सकता है और किस किस चीज के लिए रॉ मेटीरियल उपलब्ध है । मैं समझता हूँ कि कई माननीय सदस्य जो इधर भी बैठे हैं और उधर भी बैठे हैं उन्होंने सुझाव दिए हैं और सरकार का ऐसा विचार है कि इन्डस्ट्रीज विभाग में ऐसा एक रोल बनाया जाये जो कि ऑफिसर्स, टैक्निकल और एडमिनेस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स के आदमी हैं वे सुझाव दें कि कौन से उद्योग किस किस जगह पनप सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह सुझाव आया है और उस पर हम बहुत ही जल्दी अमल करनेवाले हैं।

माननीय अध्यक्ष, इसके साथ साथ कुछ सुझाव उपयोगी हैं, कुछ सुझाव जानकारी के रूप में हैं, कुछ शिकायतों के रूप में भी हैं, कुछ शिकायतें गैरजानकारी के रूप में हैं, जैसा कि रायसिंहनगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि गंगानगर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन रही है उसका कुछ खड़का–धड़का नहीं है। मैं नहीं समझ सकता कि गंगानगर में इन्डस्ट्रियल एस्टेट बन रही है और उसका खड़का-धड़का जयपुर में सुनना चाहते हैं या गंगानगर में ? मेरी निश्चित् जानकारी है कि वहां पर करीब करीब ४४ इन्डस्ट्रियल शेड्स बन रहे हैं और वे करीब करीब ४४ ही रूफ लेवल तक आ चुके हैं और उन पर नवम्बर १९६१ तक करीब करीब २ लाख यानि १,७९,०००) रु० खर्च कर चुके हैं और उनमें से १९ कुछ एन्टरप्रेन्योर्स को एलॉट कर चुके हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जानकारी की है तो गंगानगर के बारे में माननीय सदस्य कम जानकारी रखते हैं या वे यह चाहते हैं कि वह खड़का–धड़का यहां हो तो यह एक बड़ी दिक्कत की बात है।........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बन रहे हैं या बन गये ?

श्री चन्दनमल वैद : आपने कहा कि खड़का–धड़का नहीं तो आखिर खड़का–धड़का तो बनने में होता है।

माननीय अध्यक्ष, लोन के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को जो लोन दिया जाता है वह सारे का सारा मिसयुटिलाइज़ होता है या उसका उपयोग नहीं होता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज तक हमने स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज में ८५,३१,२००) रु० के लोन दिये हैं। उसमें नॉनपेमेन्ट के सिलसिले में या मिस-युटिलाइजेशन के सिलसिले में, या नॉन-युटिलाइजेशन के सिलसिले में, इन तीन चीजों में कुल ५,८१,६००) रु० का सम इन्वोल्व्ड है, यानि जितना लोन आज तक स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को दिया है उसमें

(श्री चन्दनमल वैद)

केवल ७ पर्सेन्ट ऐसा लोन है जिसके बारे में इन तीन बातों के सिलसिले में कार्यवाहीं चल रही है और पी० डी० आर० के तहत उसकी कार्यवाही चल रही है। मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादातर नॉन-पेमेन्ट के केसेज हैं। मिस-युटिलाइजेशन केवल ८०,०००) रु० की राशि के सिलसिले में है। केवल ऐसे लोन ४०,०००) रु० के हैं जिनके बारे में यह शिकायत आई है कि मिस-युटिलाइजेशन हुआ है। वह अमाउन्ट पी० डी०-आर० के तहत रिकवर करने की कार्यवाही चल रही है। नॉन-युटिलाइजेशन के लोन १,६०,०००) रु० तक आप देखेंगे। जो रकम स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को दी है उसमें मिस-युटिलाइजेशन या नॉन-युटिलाइजेशन की रकम बहुत कम है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण करने जा रहे हैं तो संभव है कि ८५ लाख का लोन दिया है तो कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं जिन्होंने धोखा भी दिया होगा। गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और इसके आधार पर लोन दे दिया हो। लेकिन ज्यों ही सूचना आती है तो इस बात की कोशिश की जाती है कि पी० डी० आर० के तहत सारा लोन जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देकर लिया गया है और मिस–युटिलाइज्ड या नॉनयुटिलाइज्ड है उसको वसूल करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य के अलावा और कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा। कुछ माननीय सदस्य जहां जहां से आये हैं उन्होंने वहां पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट कायम करने के बारे में कहा। इन्डस्ट्रियल एस्टेट पर १० लाख का खर्चा मीडियम साइज़ के लिए होता है। इसलिए यह सम्भव नहीं कि राजस्थान के हर गांव, हर कस्बे और हर बड़े शहर के अन्दर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाई जा सके। राजस्थान सरकार इस तरफ निश्चित प्रगति के साथ बढ़ती जा रही है और एक निश्चित प्लान के साथ बढ़ती जा रही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में २६ जगह इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाये जाने को हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी जगह इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने में कोई बाधा हो। सरकार वहां दूसरी जगह एसिस्टेड इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने में मदद दे सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई कोऑपरेटिव बेसिस पर या जोइन्ट स्टॉक कम्पनी के बेसिस पर इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार निश्चित रूप से काफी धन राशि लोन के रूप में देती है। वह निश्चित धन-राशि थोड़ी नहीं होती है, वह करीब ८० से ६० पर्सेन्ट तक होती है। इस वास्ते जो लोग, जहां सरकार इन्डस्ट्रियल एस्टेट नहीं बनाना चाहें, इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाना चाहें तो काफी मात्रा में उनको लोन दिया जा सकता है, उनको सहयोग दिया जा सकता है। वे इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना सकते हैं। लेकिन सरकार अपने कोष को देखते हुए अपने एक निश्चित प्लान के साथ बढ़ती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में २६ जगह इन्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने जा रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां सरकार की तरफ से इन्डस्ट्रियल एस्टेट की प्रगति के बारे में जानकारी चाही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ब्यावर और बूंदी के बारे में विशेष

(श्री चन्दनमल वैद)

तौर से चाही गई है, कि वहां पर जमीन एक्वायर कर ली गई है और तुरन्त ही निर्माण का काम शुरु होने वाला है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें सरदारशहर भी है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं। संतोष हुआ अब आपको।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत हो गई उल्टी।

श्री चन्दनमल वैद : बीकानेर ग्लास फैक्टरी के सिलसिले में काफी कहा गया है कि वह बन्द पड़ी हुई है, शुरु नहीं की गई है। सरकार की हमेशा यह नीति रही है कि जो भी इन्डस्ट्री किसी कारण से बन्द हो गई है उसको वापिस शुरू किया जाय। इसके बारे में उद्योग मन्त्रीजी काफी बता चुके हैं। बीकानेर ग्लास फैक्ट्री पार्टनर्स के आपस के झगड़े के कारण बन्द हो गई। हमने बड़ी कोशिश की इस बात की कि उनके आपस में राजीनामा हो जाय, कुछ सुलझाड़ा हो जाय, जिससे ग्लास फैक्टरी चलाई जाय, लेकिन कोई निश्चय नहीं हुआ और केस कोर्ट में चल रहा है। दूसरी तीन पार्टियों को एप्रोच किया गया जिससे किसी तरह से ग्लास फैक्टरी चालू की जाय तो उन्होंने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई। इसके बावजूद माननीय सदस्य, जिन्होंने इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी पार्टी को लायें जो कि इसमें दिलचस्पी रखती हो तो कोर्ट के पास एप्रोच करेंगे कि लीज़ पर ग्लास फैक्ट्री उनको चलाने के लिए दे दें। इस विषय में हमारी निश्चित धारणा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैंने प्राइवेट केपिटलिस्ट्स को लाने का जिम्मा नहीं लिया है। मैंने तो स्टेट सेक्टर में ग्लास फैक्ट्री को चलाने का निवेदन किया था और सुझाव दिया था जिसके सम्बन्ध में सुनना चाहता हूं कि राज्य सरकार विचार करती है या नहीं।

श्री चन्दनमल वैद : बीकानेर से आनेवाले दूसरे माननीय सदस्य ने कहा था उसका जवाब दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनसे कुछ नाराज़गी है क्या, साहब ?

श्री चन्दनमल वैद : उनसे कोई नाराज़गी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कन्ट्रोल्ड कॉमोडिटीज़ हैं उनके सिलसिले में काफी जिक्र हुआ। रॉ मेटीरियल्स के सिलसिले में तो अभी निवेदन कर चुका हूं, लेकिन खास तौर से सीमेन्ट, कोयला, नमक, इस बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं माननीय अध्यक्ष, सदन को आपके मार्फत यह बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में सीमेन्ट की ऐसी कोई कमी नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य सोच कर चलते हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : बहुत कमी है। सप्लाई कोटा देने के बारे में आपको क्या राय है ?

श्री चन्दनमल वैद : आप सुनें तो सही।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, सुन-सुन कर क्या करेंगे जब कि सीमेन्ट मिलता

(श्री मानसिंह महार)

ही नहीं है तो । सीमेन्ट दिलाने का वायदा करें तो सुनेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं सुनेंगे ऐसी गलत बातें ।

श्री चन्दनमल वैद : हमारे एक माननीय सदस्य जो आमेर से पधारते हैं उनको इस तरह का मेनिया हो गया है कि अपने को देहाती कहने का, चाहे वे देहात में नहीं रहते हों । ३६५ दिन जयपुर में फिरते रहते हों और जयपुर शहर में रहते हों और शपथ लेते समय अंग्रेजी में बोलते हों, लेकिन वे अपने को देहाती कहते हैं, क्योंकि वे देहात से चुन कर आये हैं । तो उनके लिए वह पोज़ करना जरूरी है । लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी चुनाव ५ साल दूर हैं, अभी से बनने की जरूरत नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह सच है कि सीमेन्ट राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है । This is a mis-statement of facts.

श्री चन्दनमल वैद : राजस्थान में कहीं भी कोई यह चाहे, चाहे वे इधर बैठनेवाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठनेवाले माननीय सदस्य हों वे किसी भी जनहित के कार्य के लिए, किसी अस्पताल, किसी स्कूल, किसी तालाब या किसी कुंए के लिए सीमेन्ट की मांग करेंगे प्रोपर चैनल से तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी मांग को पूरा किया जायगा । सीमेन्ट की कोई भी कमी नहीं है । हर प्रकार के लोगों को हर तरीके से सीमेंट पर्याप्त रूप में मिल सकती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह वास्तविकता से परे है । ऐसी स्थिति नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : फिर भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी पब्लिक वर्क्स के लिए सीमेंट मांगेंगे ।....

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, बड़े गलत फैक्ट्स सदन में रखे जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : फैक्ट्स नहीं, वे आश्वासन दे रहे हैं ।

श्री मानसिंह महार : नहीं हुकुम, आश्वासन नहीं फैक्ट वे कह रहे हैं कि कमी नहीं । जयपुर जिले में इतनी सीमेंट की कमी है कि ५,००० कुए सीमेंट के बिना अधूरे पड़े हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष, जो कुछ मैंने कहा है वह गलत नहीं है । कोई भी माननीय सदस्य इन्डस्ट्री या पब्लिक वर्क्स के लिए सीमेन्ट मांगेंगे तो सीमेन्ट निश्चित रूप से दूंगा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फीगर्स दे रहे हैं तो इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के लिए what quota of cement you are giving as compared to agriculture.

श्री चन्दनमल वैद : अभी बता रहा हूँ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भी बता दीजिये कि ब्लॉक में कितना सीमेन्ट जाता है और क्या शॉर्टेज नहीं है वहां सीमेंट की ?

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट केसिलसिले में निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान को हर क्वार्टर में (एक क्वार्टर तीन महीनों का) ३६,६०० मैट्रिक टन सीमेन्ट मिलता है। उसमें से ११,६०० टन पब्लिक को, १०,५०० टन पी. डब्ल्यू. डी. को और ६,००० टन इन्डस्ट्रीज को देते हैं। इससे आपको मालूम हो जायगा कि इन्डस्ट्रीज़ को कितना सीमेन्ट दिया जाता है और पब्लिक को कितना दिया जाता है और इससे सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो सरकार का विभाग है, उसको कितना दिया जाता है। इससे साफ हो जायगा। देहात से आने वालों को लगता है कि हम इन्डस्टीज़ को ज्यादा देते हैं और जो देहात के हिमायती बनने का दावा करते हैं उनको नहीं देते हैं........

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लोज।

श्री चन्दनमल वैद : केवल यह कहना कि सीमेन्ट की कमी है, उचित नहीं है। वे शायद यह चाहते हैं कि ५० बोरे स्टॉक करलें, ब्लेक में बेच देंगे, डिमान्ड ज्यादा क्रिएट करें। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पब्लिक के विकास के कामों के लिये, स्कूलों के लिये, तालाबों के लिये अथवा कुओं के लिये सीमेन्ट की कमी नहीं है मैं दोहराना चाहता हूँ, चाहे इस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य हों, चाहे उस तरफ बैठे हुए माननीय सदस्य पब्लिक कार्यों के लिये यदि कोई मांग लेकर आयेंगे तो हम उसे पूरा करेंगे........

श्री अब्दुलजब्बार : मैं तो यह कहना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जावें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I would say most respectfully that the Hon'ble Deputy Minister is putting some figures which are most unconvincing on the face of the whole proposition. They are ridiculous, if I may submit.

श्री चन्दनमल वैद : They are most authentic and I will challenge the Leader of the Opposition to prove them wrong.

श्री अध्यक्ष : The figures have to be accepted prima facie correct and if any Hon'ble Member has objection, we can reconsider and he can correct the same.

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया वह शिरोधार्य है। लेकिन जो बात डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कही कि सीमेन्ट की कोई कमी नहीं है वह बिल्कुल गलत है। आज ही सुबह मैं कलेक्टर, जयपुर के पास गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं तीन पंचायत समितियों को रिप्रेजेन्ट करता हूँ, वहां दस दस हजार बोरे सीमेन्ट के दीजिये तो वे बोले कि दस दस हजार तो क्या मेरे पास पांच पांच सौ बोरे भी नहीं हैं। यह आज ही की

(श्री मानसिंह महार)

बात है। उनके अफसरों को सही माना जाय या डिप्टी मिनिस्टर साहब को सही मानें ? अगर वे आश्वासन देते हैं तो इन पंचायत समितियों को सीमेन्ट दिला दीजिये ।....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि यदि सार्वजनिक कार्य के लिये कोई माननीय सदस्य सीमेन्ट मांगने जायेंगे तो उनकी पूर्ति की जायेगी, और क्या आश्वासन चाहते हैं आप ?

श्री मानसिंह महार : पंचायत समितियों में जो सीमेन्ट जाती है वह केवल सार्वजनिक कार्यों के लिये जाती है।

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया जल्दी उत्तर दें।

श्री चन्दनमल वैद : मैं केवल नमक के बारे में एक बात कह कर समाप्त करूंगा। नमक के बारे में यहां काफी प्रश्न उठाये गये हैं। मैं आपकी मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार की नीति है कि नमक का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय। इससे न केवल बेकारी दूर होगी, बल्कि इन्डस्ट्रीज के लिये और दूसरे कार्यों के लिये इसकी मांग बढ़ रही है उसकी भी पूर्ति की जा सकेगी। कुछ लोगों ने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि भरतपुर में और लूणकरणसर में नमक का उत्पादन हो सकता है, इसका प्रयोग किया जाय। भरतपुर के बारे में सन् ५० में नमक उत्पादन के लिये प्रयोग किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह असफल रहा। फिर इसके लिये कोशिश की जायेगी और अगर संभव हुआ तो उत्पादन फिर शुरू किया जायगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सांभर साल्ट एसोसियेशन की बात कही। सांभर के नमक के व्यापारी भूखों मर रहे हैं, उनको पूरा काम नहीं मिल रहा है। मैं सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सांभर साल्ट एसोसियेशन को न केवल सांभर में जो साल्ट का उत्पादन होता है उसका कोटा मिलता है, बल्कि पचपदरा और डीडवाना में भी जो साल्ट का उत्पादन होता है उसमें से २० परसेन्ट उनको मिलता है और सांभर में जो उत्पादन होता है उसका ५० परसेन्ट उनको मिलता है। हमारे पास शिकायत पचपदरा और डीडवाना के साल्ट के व्यापारियों की आई है कि हमारे यहां जो नमक पैदा होता है उसमें से सांभर वालों को भी दिया जाता है, तो क्यों नहीं सांभर के उत्पादन में से हमको हिस्सा दिया जाय ? उनकी यह मांग सरकार के सामने विचाराधीन है। जिस तरह से पचपदरा और डीडवाना के साल्ट में सांभर के साल्ट टेडर्स को हिस्सा दिया जाता है उसी तरह से वहां साल्ट ट्रेडर्स को सांभर में हिस्सा दिये जाने की मांग है। ऐसी हालत में यह कहना कि सांभर के साल्ट व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गलत है, बल्कि कहना तो यह चाहिये था कि सांभरवालों को फेवरेबल ट्रीटमेन्ट मिल रहा है....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

मेरा यह पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट नहीं था । मेरा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यह था कि जो नमक के व्यापारी नहीं हैं उनको कोटा दिया गया है, जैसे जयपुर के व्यापारियों को साल्ट का ठेका दिया है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ? आपके रूल्स और पॉलिसी के अनुसार उन व्यापारियों को नमक का कोटा दिया जाना चाहिये जो पहले से साल्ट का बिजनेस करते आये हैं, बल्कि आपने एट दी कोस्ट ऑफ सांभर ट्रेडर्स ऐसे लोगों को कोटा दिया है जो नमक का व्यापार पहले से नहीं करते हैं !

श्री चन्दनमल वैद : मेरे पास अभी सूचना नहीं है जिससे बता सकूं कि ऐसा ठेका दिया गया है या नहीं....

श्री भैरोंसिंह : यह भाषण पिछले बजट अधिवेशन में दिया था, उप–मंत्रीजी जब विरोधी दल के पास बैठते थे उसी को मैंने कोटा किया था ।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना कह कर मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेकर मांग पास करें

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मंत्री महोदय और उप–मंत्री महोदय ने औद्योगीकरण के बारे में विचार दिये हैं........

श्री अध्यक्ष : आप अपने विचार न दें ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : टिन शीट्स के बारे में क्या पोजीशन है ? सीमेन्ट के बारे में तो बता दिया पर टिन शीट्स की क्या पोजीशन है ?

श्री अध्यक्ष : टिन शीट्स के बारे में फिगर्स हैं क्या आपके पास ?

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग) : जी नहीं, कोई फिगर्स नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : On a point of information, Sir

श्री अध्यक्ष : अब कहां पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन रह गया है ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात की मैं जानकारी करना चाहूंगा, जो बहुत से पोइन्ट्स रेज किये हैं अ॒कट मोशन्स जिनका जवाब नहीं दिया है, जिनके बारे में आवश्वासन नहीं मिला है, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा मान कर चलना चाहिये की जो पोइन्ट्स यहां पर उठाये हैं उन पर सरकार विचार करेगी, गौर करेगी । आप उनके बारे में पूछ सकते हैं, आश्वासन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट उन पर कुछ न कुछ एक्शन लेगी, इस तरह का आश्वासन दे दिया जाय तो वह आश्वासन कमेटी के पर्व्यू में आ सकता है और पर्व्यू किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो कमेटी के विचार करने की बात है । .

श्री भैरोंसिंह : कमेटी के पर्व्यू में इसको लाया जाय । जब तक आश्वासन नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

देंगे तब तक आश्वासन समिति उसको पर्स्यू नहीं कर सकेगी। या तो मंत्रीजी कहदें कि यह आश्वासन कमेटी पर्स्यू में आयेगा और वह पर्स्यू कर सकेगी।

श्री अध्यक्ष : इस तरह के आश्वासन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन साधारण मान्यता की बात है कि जो बात आप हाउस में कहते हैं, सरकार उसको सीरियसली लेती है। जो तथ्य कट मोशन्स के जरिये रखते हैं, चाहे उन पर आश्वासन मिले, चाहे न मिले, सरकार उस पर गौर करेगी और निश्चित कार्यवाही होगी।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है, लेकिन टिन शीट्स का बर्निंग पोइन्ट है। हम यह चाहते हैं कि इसका हल संतोषजनक हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इसके लिये कह दिया है कि टिन शीट्स की शॉर्टेज है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५–उद्योग के संबंध में ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६२ लाख ६४ हजार तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(२.० म. प.)

मांग संख्या २–राजकीय आबकारी कर

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर के संबंध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५९ लाख ७३ हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.) : (१) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में १) रु० तक की कटौती की जाय (जनता की बिगड़ती हुई आर्थिक, सामाजिक, नैतिक स्थिति में सुधार करने पर बहस करने के लिये)।

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली) : (२) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में १) रु० तक की कटौती की जाय (शराबबन्दी नीति की असफलता पर विचार करने हेतु)।

श्री मुकुन्दबिहारीलाल गोयल (बयाना) : (३) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में १) रु० तक की कटौती की जाय (मद्य निषेध के सम्बन्ध में अपनाई जानेवाली नीति के सम्बन्ध में विवाद करने हेतु)।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (४) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०–राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाय (सरकार शराबबन्दी पर कानूनन रोक लगाने में असफल रही है)।

(७) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में आबकारी कर की अनियमित घोषणा से राज्य कोष में होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालने के लिए)।

(८) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती की जाय (विदेशी शराब के व्यापारियों से नये बढ़े हुए टैक्स को वसूल करने के सम्बन्ध में ढिलाई पर बहस करने हेतु)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (२५) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु. की कटौती की जाय (वित्त मन्त्री ने आबकारी कर के नये प्रस्ताव की घोषणा के तुरन्त बाद आबकारी कर वसूली के लिए उचित आदेश जारी न करके राज्य सरकार को आबकारी कर वसूली में भारी नुकसान पहुंचाने की स्थिति पैदा करदी, इस पर बहस करने हेतु)।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) :(६)मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती की जाय (शराब की अवैधानिक दूकानें खोल कर मजदूर बस्तियों में बिक्री को रोकने के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (१०) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती की जाय (ठेकेदारी प्रथा के दोषों पर विवाद करने हेतु)।

(११) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००)रु० की कटौती की जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)।

(१२) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (शराब बन्दी नीति की असफलता पर विचार हेतु)।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : (१३) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती की जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करने हेतु)।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : (१४) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु. की कटौती की जाय (शराबबन्दी नीति की असफलता पर विचार करने हेतु)।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): (१५) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रू० की कटौती की जाय (आबकारी कर की वसूली की अव्यवस्था के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (१६)मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १)रु० की कटौती की जाय (शराब के ठेकों का सार्वजनिक नीलाम द्वारा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

प्राप्त राजकीय आबकारी कर की वर्तमान अव्यवस्था पर बहस करने के लिये) ।

श्री मानसिंह (आमेर) : 18. Demand No. II, Major Head 10-State Excise Duties be reduced by Re. 1-(to implement the policy of Prohibition in Rajasthan).

(19) Demand No. II, Major Head 10-State Excise Duties be reduced by Rs. 1/- (to discuss the failure of the Department to stop illicit Distillation in Rajasthan).

(20) Demand No. II, Major Head 10-State Excise Duties be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of Government to stop corruption in the Department).

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : (२१) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (नाजायज शराब निकालने पर बहस करने के लिये) ।

श्री रामकिशन (वैर) : (२२) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० तक की कटौती की जाय (नशाबंदी नीति पर विवाद करने हेतु) ।

(२४) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (अफीम की कीमत पर विवाद करने हेतु) ।

श्री फतेहसिंह (चौहटन) : (२३) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (सरकारी शराब के ठेकों की प्रथा बन्द करके कमीशन सिस्टम चालू करने पर बल देने हेतु) ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : (२६) मांग संख्या २, मुख्यशीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (आबकारी विभाग के व्यवहार में सुधार लाने पर विचार करने हेतु) ।

श्री जोधसिंह (गिरवा) : (२७) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रु० की कटौती की जाय (सरकार की शराबबन्दी नीति की असफलता पर विचार करने हेतु) ।

श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : (२८) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु. की कटौती की जाय (आबकारी कर वसूली की नीति पर बहस करने हेतु) ।

(२९) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १००) रु० की कटौती कीजाय (पांच हजार से कम आबादी के गांवों में शराब की दूकानें नहीं होनी चाहिये, इस पर बहस करने हेतु)]

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०, राजकीय आबकारी कर में एक रुपये की कटौती की जाय ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी जब इस कटौती....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : On a point of information, Sir, इस मांग पर मेरा टोटल कट है, शायद टोटल कट को पहले लेना चाहिये, ऐसी परम्परा है ।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में अभी जानकारी करके आपको बता दिया जायगा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु.): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब हमारा यह भारतवर्ष पराधीन था । पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिये हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता संग्राम की एक फौज बनाई और उस फौज के सिपाहियों को यह आदेश दिया था कि हमारी फौज का सिपाही अपना नैतिक स्तर ऊंचा रखने के लिये और हमारे देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए शराब की दूकानों पर रोक लगाये और कोई भी हमारी फौज का सिपाही, महात्मा गांधी ने कहा था, नशा न करे, नशाखोरी से दूर रहे और नशाबन्दी आन्दोलन में भाग ले ।

(२. ०२ म.प.)

(श्री केसरीसिंह, सभापति पदासीन)

महात्मा गांधी के आदेश पर चल कर हमारी आजादी की फौज ने बहुत कुछ काम किये और शराबबन्दी आन्दोलन किये । परिणाम स्वरूप उस महापुरुष के आदेश पर चलने से हम आजादी प्राप्त कर सके और आजादी प्राप्त करने के बाद हमको यह आशा थी कि महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलनेवाली जब हमारी सरकार शासन पर होगी तो यह शराब को तो सबसे पहले हमारे देश में बिल्कुल नष्ट कर देगी । हर साल इस मद पर वाद-विवाद भी करते हैं । गत वर्ष तो यह विभाग हमारे राजस्थान के गांधी, माननीय हरिभाऊ के पास था । खैर, इस साल सरकार ने इतना सुधार किया कि राजस्थान के गांधी के पास से यह दूकानदारी हट गई । यह दूकान उनके पास से दूसरी जगह चली गई । यह सुधार तो जरूर हुआ, मगर इस शराब से समाज का स्तर गिरता जा रहा है, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है और लोगों के दिल और दिमाग भी बिगड़ते जा रहे हैं । ऐतिहासिक सत्य है कि एक समय में बड़े बड़े राज्य शराब की बदौलत नष्ट हो गये, क्योंकि सत्ता में बैठ कर एक तरफ तो सत्ता का झूठा मद होता है और लोग, यह शराब जो है, इसको पीना सीख जाते हैं और इसकी बदौलत बड़े बड़े राज्य नष्ट हुए । इसका परिणाम यह हुआ कि जनता भी परेशान हुई, शराब की बदौलत दिमाग खराब हुए और हमारे देश की आर्थिक हालत खराब हुई । जनता की आर्थिक हालत को देखते हुए, जब हमने अपना शासन सम्हाला था, तो एक तरफ प्रान्त की भुखमरी और बेकारी को मिटाने के लिए नई नई योजनायें चालू की और जब नई योजनाओं में गरीबों को रोजी-रोटी मिलने लग जाय तो हम कह सकते हैं कि हमने नई योजनाओं के द्वारा गरीबों को रोजी-रोटी दी, मगर दूसरी तरफ जब लोग श्रम के द्वारा जो कुछ पैसा वे कमाते हैं योजनाओं में उस पैसे को शाम को शराब में खर्च कर देते हैं और दिन भर में कमाई हुई उनकी रकम शाम को शराब में खर्च होती है तो उनके बच्चे बच्ची नंगे डोलते हैं, उनको कपड़े नहीं मिलते हैं और ठंड में ठिठुरते हैं और उनकी औरत थकी भूखी सोती है ।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

यह शराब के कारण श्रमिक वर्ग की हालत है। तो मैं यह मानती हूँ और गये दिनों में हमारे केन्द्रीय 'वित्त मंत्री मुरारजी भाई' देसाई ने कहा था कि शराब के द्वारा अगर राज्य की आमदनी बढ़ती है तो भी हमको नहीं चाहिए ऐसी आमदनी। लेकिन हमारी राजस्थान की सरकार बारबार कहती है कि शराब से हमारी आमदनी अधिक बढ़ती है। अगर आमदनी बढ़ानी है शराब पर टैक्स लगा कर, तो मैं यह समझूंगा कि शराब के लिए इस प्रकार के आदेश जारी कर देने चाहिए कि खाने को अन्न हम उसको ही देंगे जो रोज एक बोतल शराब पीयेगा। यह कानून लगा दिया जाय तो शराब लोग पीने लगेंगे और हमारे यहां पर दो विचारधारा के लोग नहीं रहेंगे। एक तरफ गांधीवादी विचारधारा के लोग यह सोचते हैं कि शराब नष्ट होनी चाहिए और दूसरी तरफ दूसरी विचारधारा के लोग यह समझते हैं कि शराब चालू रहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एक विचारधारा के आधार पर हम अच्छी तरक्की करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि अगर शराब की आमदनी के द्वारा हमें विकास की योजनायें चालू करनी हैं तब तो मैं समझता हूँ कि सब के ऊपर यह कानून लागू करना चाहिए कि हम खाद्य पदार्थ उसी को देंगे जो रोजाना एक बोतल शराब पीयेगा। तो इस तरह आमदनी बढ़ जायगी और जो शराब नहीं पीना चाहते हैं वे शराब पीना सीख जायेंगे। इस तरह आमदनी बढ़ जायगी। मैं समझता हूँ कि गांधीवादी विचारधारा पर हमें चलना है और हमारी सरकार को चलना है तो शराब पर टैक्स लगा करें क्यों रोकें? गत दिनों में हमारे वित्त मंत्री ने कहा था कि शराब पर टैक्स इसलिए लगाना चाहते हैं कि यह मंहगी होगी तो लोग कम पीयेंगे (घंटी) माननीय सभापति महोदय, थोड़ी देर बोलूंगा....

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह मांग डिस्कस हो रही है, मांग नम्बर दो, इस पर बहुत थोड़े कटमोशन्स हैं, इसलिए मैं चेअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर माननीय सदस्यों को बोलने का अधिक समय दिया जाय और जिस तरह की पहली मदों पर व्यवस्था थी, उस तरह की व्यवस्था को इस पर नहीं रखा जाय।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सभापति महोदय....

श्री सभापति : ठहरिये। बाईस आदमी बोलने वाले हैं। मेरे खयाल से जिनका एक मोशन है, वे पांच मिनट की जगह सात मिनट बोल लें और जिनके दो या उससे ज्यादा कट मोशन्स हैं वे १० मिनट की बजाय १४ मिनट तक बोल लें।

श्री दलपतसिंह (आबू) : कई लोगों ने कट मोशन्स नहीं भेजे हैं, वे प्रेस करना चाहते हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी चेअर से कि उनका टाइम बढ़ाने के बजाय दूसरे मेम्बर्स को चान्स दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वैसे यह परम्परा रही है कि जो कट मोशन

Page No. 61

(श्री मुरलीधर व्यास)

मूव नहीं करते हैं तो जो कट मोशन आजाते हैं और वे चाहते हैं कि हमें भी कुछ मौका मिले तो उनको मौका मिलता है । यह हमेशा की परम्परा रही है कि कट मोशन के बाद दूसरे माननीय सदस्य समर्थन में बोलना चाहें तो समय मिलता है । लेकिन इस वर्ष मैं प्रारम्भ से देख रहा हूँ कि कट मोशन के मूव करनेवाले के अतिरिक्त किसी को समय नहीं मिल रहा है । मैं उम्मीद करता हूं, सभापतिजी, जो पुरानी परम्परा है, उसके अनुसार ऐसा हो कि किसी ने कट मोशन मूव नहीं किया है और किसी मांग का समर्थन करना चाहे तो उनको थोड़ा समय दिया जाय, परन्तु अवश्य दिया जाय । यह मैं प्रार्थना करता हूँ ।

श्री सभापति : यह जो समय बढ़ाया है, यह बहुत ज्यादा नहीं है और समय बचेगा, उसमें दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका दिया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : बाद में बोलने का समय नहीं, मांग के समर्थन में पांच मिनट बोलना चाहें तो उनको मौका मिलना चाहिए, यह मेरा निवेदन है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं कह रहा था कि शराब का हमारे आदिवासियों पर अधिक असर हुआ है । इन आदिवासियों की दशा सरकार सुधारना चाहती है और उन आदिवासियों के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती है । मगर इस शराब के कारण सरकार का खर्च किया हुआ रुपया बेकार जाता है, जो उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए खर्च होता है । आज उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी गरीबी के कारण उन बेचारों को कपड़े नहीं मिल रहे हैं । तो सभापति महोदय, यह शराब अच्छे अच्छे परिवारों को मिट्टी में मिला देती है । शराब के बारे में महात्मा गांधी ने आन्दोलन किया था और शराब की रोक के लिए महात्मा गांधी के अनुयायी आज संत विनोबा बेचारा पद-यात्रा करता हुआ बार बार यह कह रहा है....

श्री गोकुलचन्द (कठूमर-सु.) : 'बेचारा' मत कहिये ।

श्री सभापति : आप कहिये....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उनके सिद्धान्तों की हत्या होती है ।

श्री सभापति : आप डिस्टर्ब न करें, उन्हें कहने दें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : माननीय सभापतिजी, 'बेचारा' का मतलब ख....

श्री सभापति : आप मत समझाइये ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : 'बेचारा' का मतलब है विचार करने वाला । संत विनोबा विचार करते हैं । तो वे विचार कर रहे है। संत विनोबा पद-यात्रा करके संदेश दे रहे हैं कि गांधी के अनुयायियों को कम से कम शराब जैसी चीज को देश से हटाना चाहिए ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज शासन हमारे हाथ में है, फिर भी शराब को चालू रखना चाहते हैं और शराब

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

की आमदनी से योजनाओं को चलाना चाहते हैं ! मैं समझता हूं कि बुरी चीज की आमदनी से हमारी योजनायें भी असफल हो सकती हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी बन्द करना चाहिए । टैक्स लगाने से क्या होता है ? मैं तो समझता हूं कि टैक्स न लगा कर वैसे ही शराबबन्दी आन्दोलन सरकार को चालू करना चाहिए ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

यह चीज आगे–पीछे तो होने वाली है, इसलिए आप ही क्यों न यश लें ? मैं समझता हूं कि गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति, नैतिकता और सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठायें । इस कटौती प्रस्ताव को मैंने इसी आधार पर पेश किया है ।

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली): सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है : "मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर में १) रुपये तक की कटौती की जाय (शराबबन्दी नीति की असफलता पर विचार करने हेतु)" ।

सभापति महोदय, आज प्रश्न यह नहीं है कि शराब पीना खराब है या अच्छा । प्रश्न यह है कि सरकार की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं ? प्रश्न यह है कि सरकार ने जो नीति घोषित की है वह सफल हुई और कहां तक सफल हुई है ? क्या आसपास के पड़ौसी राज्यों में शराब बन्द हुई है और हुई है तो क्या उसका प्रभाव हमारे राज्य में पड़ा है और हमारे राज्य पर जो सारे हिन्दुस्तान की शराब के बारे में नीति है उस पर प्रभाव पड़ा है ? आज हम कहते हैं कि शराबबन्दी करते हैं और उसके बारे में तरह तरह की योजनायें बना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसका उल्टा असर हो रहा है । लोग पहले से शराब अधिक पीने की ओर बढ़ रहे हैं । इसका प्रमाण आपके खुद के बताये गये आंकड़ों से स्पष्ट है । सन् ६०–६१ में आपकी इससे आमदनी बैठी वह दो करोड़ थी और सन् १९६२–६३ में यह आमदनी बढ़ कर तीन करोड़ हो गई । इसी तरह से कॉमर्शियल यूज के लिए जो आमदनी थी वह सन् १९६०-६१ में ६० लाख थी वह घट कर सन् १९६२-६३ में ४ लाख रह गई ।

आज हम यह चाहते हैं कि शराब पीने वाले कम पीवें और इसका कॉमर्शियल यूज हो और दवाइयों में इसका प्रयोग हो । इसमें अधिक सफलता मिले तो अच्छी बात होगी । लेकिन आज जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि शराब पीने की दृष्टि से बढ़ रही है और औषधियों के रूप में या व्यापारिक उपयोग उसका होना चाहिये, उसकी तरफ कमी होती जा रही है । तो यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है । अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि हमारे देश में शराबी कम हों तो आपको निश्चित रूप से यह तय करना होगा कि आप शराबबन्दी चाहते हैं या पैसा चाहते हैं ? अगर आप पैसा चाहते हैं तो शराबबन्दी का जो ढोंग है वह आपको नहीं करना चाहिये और इस पर जो आपका पैसा खर्च होता है उसको बन्द करना चाहिये और ऐसी बात करनी चाहिये जिससे हमारी नीति का प्रचार हो ।

(श्री सम्पतलाल बोहरा)

मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सारी पंचायत समितियों और सभी पंचायतों ने यह तय किया कि शराब की बिक्री उनके यहां बन्द हो । उन्होंने सरकार के पास कई प्रस्ताव इस संबंध में पास करके भेजे हैं कि उनके इस एरिया को ड्राई एरिया डिक्लेयर कर दिया जाय । मगर अभी तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है और न वहां पर शराबबन्दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि शराब बन्द हो तो आपको चाहिये कि आप इस प्रकार का आदेश निकालें कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वे शराब नहीं पीवें और यह प्रतिबन्ध लगावें कि जो शराब पीनेवाले हैं उनको सरकारी नौकरियों में नहीं लिया जावेगा । अगर आप इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे तो यह बुराई मिटेगी । अभी अभी मैंने जो सुझाव दिये हैं उसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जापान में इसको रोकने के लिए क्या होता है, उसके लिए मैंने एक अखबार में पढ़ा । उसमें क्या होता है कि जो शराब पीकर सड़क के किनारे पर पड़े रहते हैं या भला-बुरा बकते रहते हैं उसकी उसी समय फिल्म ली जाती है व टेप रेकॉर्डिंग मशीन से रेकॉर्ड कर लिया जाता है और जब वह नशे की हालत में नहीं होता है तो उसके सामने उस फिल्म का प्रदर्शन करते हैं। जब वह देखता है कि शराब पीकर उसने ऐसा किया तो वह उस पर सोचता है और उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है । वह उस पर सोचता है और शराब पीना बन्द कर देता है । इस तरह से शराब बन्द हो सकती है । अगर हम भी उसी प्रकार का तरीका अपनावें तो हम राजस्थान में जरूर शराबबन्दी कर सकते हैं।

आज हमारे यहां दिन प्रतिदिन शराब पीने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । यहां पर शराबबन्दी नहीं है, इस कारण आसपास से गुजरात राज्य के लोग राजस्थान में छुट्टी के रोज आते हैं और शराब पीकर वापिस चले जाते हैं । आज हमारा पड़ौसी राज्य गुजरात है, उसने अपने यहां शराब बन्द कर दी है और ड्राई एरिया डिक्लेयर किया है । उसकी नीति को भी आप असफल बना रहे हैं । अगर हम यह चाहते हैं कि दूसरे राज्यों की नीतियां भी हमारे कारण असफल हों तो....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह अलग बात है। आज शराबबन्दी को जावे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती । लेकिन प्रश्न यह है कि इसको बन्द किस तरह से किया जावे ? मैं यह कहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जावे और यह नहीं सोचा जावे कि राज्य की आमदनी इससे कितनी हो रही है !....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह से थोड़ी सी बात अब मैं अफीम के डोडों के बारे में कहूँगा । अफीम के डोडों का ठेका सादड़ी का गत वर्ष १२,०००) रुपये में हुआ था और अब घट कर १,०००) रुपया रह गया । बड़ी सादड़ी का ३ हजार रु० से घट कर ४०१) रुपया हो गया । बड़े-बड़े ठेके घट कर इतने कम आय पर आ गये । क्या सरकार ने इसके बारे में जानकारी करने की कोशिश की है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ का

(श्री सम्पतलाल बोहरा)

डोडा इस कारण से नहीं बिका कि मध्य प्रदेश से इम्पोर्ट के लाइसेन्स दे देते हैं, जो सस्ते भाव से बेचते हैं और हमारे यहां पड़े हुए डोडे बिकते नहीं । इसके लिए अगर जांच करावें तो आपको पता चलेगा कि यह ठेका कम में क्यों हुआ । इससे हमारे यहां आमदनी में कमी हुई है।

इसके अलावा शराब के लिए ठेकेदारी प्रथा है और इस कारण पैसा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार ऊंची बोली देकर ठेका खरीदते हैं। इसके बारे में विचार करें कि जब खपत नहीं बढ़ती है और शराब कम बिकती है तो ठेकेदार पैसा बढा देते हैं और शराब में जरूर पानी मिलाते हैं। इन सारी बातों पर विचार करें और मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर विचार करें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सभापति महोदय, शराबबन्दी का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है । एक तरफ राज्य सरकार इस बात की घोषणा करती है कि हमारी नीति यह अपनाते हैं कि हम शराब बन्द करेंगे और दूसरी तरफ नित्य प्रति शराब की बिक्री बढती जाती है । शराब से आय बढती है, यह स्वयं में इस बात का उदाहरण है कि सरकार का कहना कुछ है और करना कुछ है । आज हम चारों तरफ देखते हैं कि आज हमारे नवयुवक हैं उनमें शराब का व्यसन बढ़ता हुआ चला जा रहा है । आज अच्छे अच्छे कुलीन व्यक्ति जो शराब पीना तो क्या शराब को छूना तक पाप समझते थे वे आज शराब को अपनाने लगे हैं ।

आज तो यहां तक कहा जाता है कि सरकारी पक्ष के व्यक्ति ही नहीं, बल्कि ट्रेजरी बैंचेज पर बैठनेवाले मिनिस्टर तक सुरा-सुन्दरी का बड़े प्रेम से उपभोग करते हैं । यह बात है, तब तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक तरफ जो यह कहा जाता है कि हम शराबबन्दी करेंगे तो यह ढकोसला मात्र है ।

मैं पूज्य बापू का अमर वाक्य यहां सदन में रखना उचित समझूंगा । महात्मा गांधी ने अपने वाक्य में कहा था कि अगर मुझे हिन्दुस्तान का डिक्टेटर एक घण्टे के लिए बना दिया जाय तो सबसे पहला काम यह करूंगा कि बगैर किसी मुआवजे के पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा कर दूंगा । मेरी समझ में नहीं आता कि आज उसी शराब को आमदनी का जरिया बनाया जाता है, इस शराब के धंधे को टैक्शेसन का धंधा, आमदनी का धंधा बनाया हुआ है । महात्मा गांधी के शब्द मैंने ऊपर क्वोट किये हैं । उनका कहना है कि मैं भारत का कंगाल होना पसंद कर सकता हूँ, पर यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हजारों लोग शराबी हों, अगर शराबबन्दी करने के लिए शिक्षा भी बन्द करनी पड़े तो पर्वाह नहीं, यह कीमत चुका कर भी शराबबन्दी करूंगा । जब महात्मा गांधी का इतना बड़ा आदर्श था तो उनके चेले, उनकी वसीयत पर बैठी सरकार इस प्रकार का आचरण करती है तो लज्जा से सिर झुक जाता है । महात्मा गांधी के चेले और गांधीवादी सर-

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कार से निवेदन करूंगा कि वे सोचें कि क्या वे ईमानदारी से शराबबन्दी के मसले पर अमल करना चाहते हैं ? अगर ईमानदारी से अमल करना चाहते हैं तो पर्वाह नहीं कि शराब से २ करोड़ की आमदनी होती है, इसे फौरन बन्द कर दें, आमदनी का साधन इसे न बना कर मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिये। शराब से लोगों का नैतिक पतन हो गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया तो देश गहरे गर्त में चला जायगा। भारत एक गरीब देश है, इस भावना से प्रेरित होकर सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बात पर ठंडे दिमाग से विचार करें।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने यह एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव इसलिये रखा है कि सरकार इस शराबबन्दी के मसले में बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुई है और सरकार में यदि थोड़ा भी आत्म बल है, चरित्र बल है तो इसी मसले पर कि शराबबन्दी के मामले में वह असफल हुई है, उसे इस्तीफा पेश कर देना चाहिए और महात्मा गांधी के पवित्र पावन आदर्श पर चलना चाहिये कि हम इस पाप के भागी हैं, शराब बन्दी नहीं कर सके।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना १) रुपये का कट जो कि पॉलिसी कट है, वह पेश करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसका समर्थन करेंगे। सरकारी पक्ष के लोगों को क्लियर हैंड एन्ड क्लीयर माइन्ड से आगे आना चाहिये और देश के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, खास करके शराबबन्दी पर दो माननीय सदस्य कह चुके हैं, इसलिए विशेष न कह कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि शराबबन्दी की चर्चा लम्बे अर्से से चल रही है। १६१६ में जब अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय भी शराबबन्दी की सता जो केन्द्र के हाथ में थी तो राज्य के हाथ में इसलिये दिया था कि राज्य शायद इसे संभाल कर ठीक कर सकें। वह जमाना भी गया। १६३७ में जब सारे राज्यों में कांग्रेसी शासन हुआ तो गांधीजी की घोषणा के अनुसार उन्होंने आसाम, बम्बई, यू. पी. व सी. पी. में शराबबन्दी के रूप का कानून बनाया। १६३० में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आन्दोलन शुरू किया तो उस आन्दोलन के अंग के रूप में शराब की दुकानों पर पिकेटिंग किया गया। आखिर देश आजाद हुआ। देश ने संविधान बनाया और संविधान में इस बात को माना कि मुल्क में शराब और जितनी नशीली वस्तुएं हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करेंगे। संविधान में भी इसे बुनियादी तौर पर स्वीकार किया। पर खेद है कि इसके बावजूद भी हमारे राज्य में इस कानून को नहीं लगा सके और जब सवाल आया तो यह कह दिया कि धीरे धीरे राजस्थान में लागू करेंगे पर देखते यह हैं कि धीरे धीरे उससे उल्टा हो रहा है, होटलों की संख्या बढ़ रही है, और इससे सरकारी खजाने में टोटल भी बढ़ रहा है। शीशियां और दूकानें बढ़ रही हैं और खजाने में इसके जरिये होने वाली आमदनी से आय भी बढ़ रही है। कहा तो यह जाय

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि धीरे धीरे कम करेंगे और होता इसके विपरीत है कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो यह कैसी नीति है ?

सभी प्रान्तों में इस बारे में बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई गईं। हमारे प्रान्त में तो कमेटी भी नहीं बनाई गई कि इसकी जांच करे कि इससे क्या नुकसान होता है। हर प्रान्त की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि इसको बन्द करने के साथ साथ यह भी देखना है कि दूसरे तरीकों से शराब बनती है, सरकार की रेवेन्यू कम होती है, पर साथ ही यह भी बात आती है कि जिन इलाकों में शराब को बन्द किया गया तो जो मजदूरों का ५०.प्रतिशत रुपया शराब में जाता था वह जीवन के अच्छे कामों में जाने लगा, बच्चों की पढ़ाई में कपड़े बनवाने में जाने लगा। हर प्रान्त की रिपोर्ट में, यह बात पाई गई है कि इसकी पाबन्दी से मजदूरों और मेहनतकशों का रुपया जो अधिकांश शराब में खर्च होता था वह अब बच्चों की पढ़ाई में, कपड़े बनाने में और दूसरे अच्छे कामों में खर्च होता है। जिस चीज पर पाबन्दी नहीं लगाने से जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठता तो सोचना चाहिये कि यहां के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। जनता के जीवन स्तर को नीचा गिरानेवाली शराब से, जनता के जीवन स्तर को नीचा गिरानेवाली शराब को बन्द नहीं करने से आपको अच्छी आमदनी होती है, आपकी आमदनी बढ़ती है तो यह अच्छी चीज नहीं। शराबबन्दी के मामले में हमारे गांधीवादी मन्त्री इतने लम्बे अर्से में कुछ भी नहीं कर सके। सारा हिन्दुस्तान दुहाई देता है कि यह तो गांधीवादी हैं, मुझे दुख है कि गांधीवादी मन्त्री भी गांधीजी की सही भावना को नहीं रख सके, शराब को नहीं हटा सके। वे भी नहीं उठा सकें तो कौन उठायेगा ? हमारे नये मन्त्री तो गांधीवादी नहीं हैं। मैं समझता हूं हमारे मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और अगर यह नहीं कर सकते कि पूरी तरह से शराबबन्दी कर दें तो कम से कम कमेटी बैठाइये कि किस किस तरीके से इसे कम कर सकते हैं। एक सरकारी विभाग के जरिये इतना रुपया-पैसा खर्च होता है तो गरीबों में ऐसी किताबें बंटवाइये कि इससे क्या क्या नुकसान हैं, इस प्रकार लोगों में ज्ञान बढ़ाइये। कुछ क्षेत्रों में, मजदूरों के इलाकों में पाबन्दी लगाइये कि वहां कोई शराब की दूकान नहीं खोली जायगी। जामसर का गांव जहां दो-तीन हजार मजदूर रहते हैं वहां शराब के ठेके की दूकान खोली जाती है।

अन्य स्थानों की रिपोर्टों के अनुसार जो साधन दूसरी जगहों में अपनाये हैं वे ही साधन यहां पर भी अपनाइये। गांधीजी उनको शराबखाने नहीं वैश्यालय कहते थे। गांधीजी की रिपोर्ट कहें तो पढ़ कर सुनाऊं ? आप वैश्यावृत्ति को बन्द करते हैं और गांधीजी जिसको वैश्यालय से भी बुरी संज्ञा देते हैं उसको बढ़ाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, आमदनी करते हैं तो मैं मंत्री महोदय से कहूँगा कि शराब को बन्द करेंगे।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है कि गत

(श्री मुरलीधर व्यास)

समय जब यहां पर बजट के लीकेज के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया था और उसको जनसंघ के एक प्रतिनिधि ने यहां रखा था कि इस प्रकार से विदेशी शराब और स्पिरिट पर आबकारी टैक्स की घोषणा करके भी उसको कार्य रूप में नहीं लिया गया, जिससे लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ जो कि स्टॉकिस्ट्स थे और राज्य कोष का नुकसान हुआ। मंत्री महोदय को इस पर हटना चाहिये, इस प्रकार की मांग थी। स्पीकर साहब ने इस पर व्यवस्था दी। लीकेज का सवाल तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन उन्होंने यह जरूर माना था कि जिस तारीख से घोषणा हुई उसके फौरन बाद ही टैक्स लग जाना चाहिये लेकिन नहीं लगा, उसका जो नुकसान हुआ है वह सरकारी खजाने पर हुआ, उपभोक्ताओं पर हुआ और बराबर यह नुकसान हुआ है। यह शंका भी प्रकट की थी कि यह जो कुछ हुआ है वह बुरा हुआ है। जो पद निरपेक्ष हैं, पक्षपात से अलग हैं, यदि पद से, उस स्थान से ऐसी बात कही जाती है तो उसके पीछे बड़ा वजन होता है, उसकी बड़ी कीमत है। उसकी कीमत सरकार को चुकानी चाहिये थी। सरकार को यहां जो कुछ हुआ है उसको गलत मानना चाहिये था लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार से यह गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कहा।

हमने इस सम्बन्ध में एक अविश्वास का प्रस्ताव रखा था और वह इसीलिए रखना पड़ा कि इसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई थी कि दूसरे तरीके से इस प्रश्न को उठा सकते हैं। दूसरा तरीका–प्रोसीजर उसके सिवाय और कोई नजर नहीं आया और इसीलिये इसको आज कट मोशन के द्वारा यहां पर रखा है। मुझे वित्त मंत्री की इन्टीग्रिटी पर कोई अविश्वास नहीं है, लेकिन लोकतन्त्र के अन्दर जब इस प्रकार से वित्त मंत्री के कारण सरकारी खजाने को नुकसान होता है, किसी दूसरे को लाभ मिलता है, चाहे एक पैसे का भी लाभ किसी को मिले, लेकिन जब सरकारी खजाने का नुकसान होता है, चाहे छोटे से छोटा कर्मचारी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, जहां तक राज्य का प्रश्न आता है, सरकारी पैसे का प्रश्न आता है, यह एक कीमती चीज है। हमारे राज्य को ५ करोड़ २० लाख की आमदनी इससे होती है, यदि इसका हिसाब लगाते हैं तो ४४ लाख रुपये एक महीने के होते हैं और इस हिसाब से दो-तीन दिन के हिसाब लगायें तो हजारों रुपयों का घोटाला हुआ है, सरकारी खजाने का नुकसान हुआ है।........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनके कारण राज्य को नुकसान हुआ है। तीन दिन के टैक्स का जो नुकसान राज्य को हुआ है उसकी जिम्मेदारी मंत्री महोदय पर थी और सारे मंत्री मंडल पर थी। लेकिन जवाब दिया नहीं गया। उसको छिपाने की कोशिश की। हमने सोचा कि इसके लिए मांग करनी चाहिये। आखिर लोकतन्त्रीय परम्परा में रहते हैं। चाहे किसी से गलती हुई हो, लोकतन्त्रीय प्रणाली में लोकतन्त्रीय तरीके को अपनाया जाता है। लालबहादुरजी शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे, जब गाड़िया उलट जाती थीं, पार्लियामेन्ट में और देश में सवाल उठे तो उस समय लालबहादुरजी ने यह नहीं

Page No. 68

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहा कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा यह हुआ है, उन्होंने सोचा और कहा कि मैं डिपार्टमेन्ट का मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी है, जो दुर्घटनायें हुई हैं उनकी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने समझा कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिये उन्होंने त्यागपत्र दिया। मैं एक बुनियादी उसूल के लिए निवेदन करना चाहूंगा। आप चाहते हैं कि लोकतन्त्रीय परम्परा चले और सही तरीके से चले और उसके लिए सही रास्ते अपनाने चाहिये। इसके लिए नैतिक कर्त्तव्य होना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि वे खुद ही इस पद से त्याग-पत्र देदें और यह बता दें जनता को कि नैतिक कर्त्तव्य समझ कर, अपनी जिम्मेदारी समझ कर इस कारण से मैंने त्याग पत्र दिया है। इससे उनका नैतिक स्तर तो वे उठायेंगे ही। इससे न केवल उनका नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा, बल्कि राजस्थान की सारी जनता का नैतिक स्तर ऊंचा उठेगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं इसको एक बड़ा मुद्दा मानता हूं। मंत्री महोदय ने और मंत्री मंडल ने लोकतन्त्रीय परम्परा का कोई खयाल नहीं किया है, इसलिए सारे सदन को इस प्रकार की मांग करनी चाहिये वित्त मंत्री महोदय से कि वे अपने पद से हट जायं और यदि नहीं हटते हैं तो सारे सदस्यों को मिल कर मांग करनी चाहिये कि सारे मंत्रीमंडल को हटाया जाय........

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : He is going beyond the scope of the cut motion. Scope of the cut motion is not the demand of resignation from the Ministry.

श्री मुरलीधर व्यास : कट मोशन द्वारा जो कुछ रखा गया है उसके लिए बुनियादी बातें हैं और मुझे उसके लिए अधिकार है। यदि कोई आदमी राज्य के कोष को नुकसान पहुंचाता है; जिस प्रकार से एक छोटा सा कर्मचारी राज्य के कोष को नुकसान पहुंचाता है तो उसको जेल के दरवाजों में बन्द कर देते हैं, उसके लिए जेल के दरवाजे होते हैं। वित्त मंत्री ने राज्य के कोष को नुकसान पहुंचाया है, यदि उनमें नैतिकता है तो वे इस पद से हट जायं........

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

वे इस मंत्री पद पर न रहें। वे त्याग पत्र देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मैं सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सारे सदस्य उनको बाध्य करें कि वे त्याग पत्र दें। इन लफ्जों के साथ मैं इस कटौती प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव नं० ८ और २५ हैं। ये दोनों ही प्रस्ताव उस घटना से सम्बन्धित हैं जिस घटना का जिक्र मेरे से पूर्व बोलनेवाले माननीय सदस्य ने किया था। सभापति महोदय, यह प्रश्न

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है वित्तीय दृष्टियों को देख कर और कॉन्स्टिट्युशनल दृष्टियों को भी देखते हुए ।

सभापति महोदय, २६ मार्च को इस सदन के समक्ष बजट पेश किया गया था और उस बजट में कुछ टैक्सेशन के प्रोपोजल्स रखे गये थे । उन प्रोपोजल्स में जो कन्ट्री मेड स्पिरिट है उसमें सेल्स टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री महोदय ने रखा था । आम तौर पर सदन के सदस्यों को और आम जनता को यह आश्चर्य हुआ कि एक ओर कन्ट्री मेड लीकर पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाता है तो फॉरेन लिकर पर वह रेट क्यों नहीं बढ़ायी गई और इस अजीब स्थिति की आलोचना आम जनता में भी हुई और इस सदन में भी हुई और आखिरकार उसकी प्रतिक्रिया मंत्रीमंडल पर भी हुई, जिसने अपना निर्णय लेकर ३० मार्च को अपने उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि विदेशी शराब पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय । परन्तु, सभापति महोदय, जिस प्रकार और टैक्सों के बारे में तुरन्त ही कार्यवाही करके नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, यही एक अद्‌भुत घटना इस विदेशी शराब के बारे में रही जिसकी पृष्ठभूमि यह थी कि ओरीजनल प्रोपोजल्स में देशी शराब पर इन्क्रीज्ड रेट करने के बावजूद विदेशी शराब को छूट दे दी गई थी और आम पब्लिक में प्रतिक्रिया होने पर उसको बढ़ाया गया और फिर यह घटना घटी कि उसको रियेलाइज करने के लिए एकदम नोटिफिकेशन नहीं निकाला । सभापति महोदय, उस घोषणा के एक दिन बाद ३१ मार्च को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन विदेशी शराब पर इन्क्रीज्ड रेट्स का निकाला गया और दर्मियान में चूंकि यह घोषणा सदन में हुई थी, उस घोषणा के अनुसार विदेशी शराब के व्यापारियों को मौका मिल गया कि पूरी तरह से विदेशी शराब खरीद कर रख सकें ताकि स्टेट एक्स-चेकर को लोस हो और बढ़ा हुआ सेल्स टैक्स उनको न देना पड़े । सभापति महोदय, इस सदन में इस बारे में स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था, माननीय अध्यक्ष ने कानूनी और टैक्निकल ग्राउन्ड्स पर इस सदन में उस पर बहस करने की अनुमति प्रदान नहीं की; उसके लिये कहा गया कि यह प्रश्न उठाने का और मौका मिलेगा, इसलिये उस समय अमुमति नहीं दी गई । उस सम्बन्ध में जो माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी वह बहुत महत्वपूर्ण थी । उसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि वित मंत्री ने इस टैक्स के प्रोपोजल्स की घोषणा के बारे में टैक्स वसूली के लिये तुरन्त कदम न उठा कर ऐसी स्थिति अवश्य पैदा कर दी जिससे विदेशी शराब के व्यापारियों को राज्य सरकार को सेल्स टैक्स की अदायगी से महरूम करने का अवसर मिल गया और इससे राज्य सरकार को जायज टैक्स वसूली के लिये वंचित रहना पड़ा ।

सभापति महोदय, यह सवाल ऐसा है जिसमें वित मंत्री के खुद के कन्डक्ट पर भी एक प्रकार से सस्पीशन हो जाता है । दूसरी ओर जिस प्रकार की पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस है, जिसके अनुसार हमारी सरकार की जिम्मेवारी जो लोग संभालते हैं उनके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ऊपर एक प्रकार की जिम्मेवारी है कि वे अपने किन्हीं एक्शन्स या इन–एक्शन्स द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं करें जिससे स्टेट को और उसके जरिये जनता को भारी नुकसान पहुँचे। सभापति महोदय, ये घटनायें जिस प्रकार की हैं उनको जिस प्रकार से क्रमवार रखने की मैंने कोशिश की है उसमें न केवल इतनी बात है कि गलती हुई है, बल्कि जिस तरीके से इस बात को टालने की कोशिश की गई। यह बात सही है कि जिस परिस्थिति में यह घटना हुई वह एक प्रकार से रीजनेबल सस्पीशन क्रियेट कर देता है कि क्या वजह थी कि जब देशी शराब की रेट बढ़ायी गई वहां विदेशी शराब की रेट क्यों नहीं बढ़ायी गई? दूसरे टैक्स बढ़ाये गये, उनमें जब पुराने टैक्सों के बारे में नोटिफिकेशन निकाल दिया गया और इस टैक्स पर, जिस पर रेट्स बढ़ाये गये उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला? यह सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार ने जो यह नोटिफिकेशन नहीं निकाला उससे एक प्रकार का सन्देह मन्त्री–मंडल के सदस्य के बारे में उत्पन्न होता है। सरकार का यह पहला फर्ज था कि इस डाउट को दूर करने के लिये एक ऐसा रास्ता अख्त्यार करती जिससे सदन को मौका मिलता इन बातों की गहराई में जाने का और उससे सदन वास्तविक तथ्य तक पहुंच पाता। लेकिन सभापति महोदय, स्थिति आज यह है कि सरकार की ओर से नहीं, वित्त मन्त्री महोदय और मुख्य मन्त्री महोदय की ओर से इस सम्बन्ध में पूरी इन्क्वायरी करना तो दूर इस सदन के समक्ष भी कोई बयान नहीं दिया गया। एक साधारण घटना समझ कर आंख मूंद कर इसको टाल दिया गया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्क्वायरी के बाद इस नतीजे पर पहुँचा जाय कि आया वित्त मन्त्री महोदय की जान-बूझ कर किसी को नाजायज फायदा पहुंचाने की तो नीयत नहीं थी? इस नतीजे पर पहुंचने की सरकार की जिम्मेदारी थी। क्या वे अपने मन्त्री-मंडल के एक सदस्य को इस नेगलीजेन्स के लिए जिम्मेवार मानते हैं? अगर वे मानते हैं कि यह डेलीबरेट एक्ट नहीं है तो भी नेगलीजेन्स इसमें जरूर मानी जायगी। फिर देखना यह है कि क्या यह नेगलीजेन्स इस किस्म की है कि जिसको नजरन्दाज किया जा सकता है? क्या पब्लिक ऑफिसेज़ का स्टेन्डर्ड कायम करना चाहते हैं कि जिस किसी आदमी की नेगलीजेन्स से लाखों रुपयों का नुकसान होता है उससे हम आंख मूंद लें? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह असाधारण स्थिति है हमारी राज्य सरकार के सामने। यह उसके अपने खुद के चरित्र के बारे में जो स्टेंडर्ड कायम करना चाहते हैं, यह सवाल आज सामने है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, यह केवल इस सरकार से प्रार्थना करने का सवाल नहीं, वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करने का सवाल नहीं, यह हमारा अधिकार है, हम महसूस करते हैं कि वित्त मंत्री महोदय ने जिस प्रकार के एक्शन्स किये उससे हमें डाउट है शंका है कि यह ईमानदारी से नहीं किया। हम चाहेंगे कि इस सदन द्वारा जांच होनी चाहिये कि वास्तव में क्या वित्त मंत्री ने किन्हीं व्यापारियों से मिलकर उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश की? मैं जब ये बातें कह रहा हूँ हमारे वित्त मंत्री महोदय मुस्करा रहे हैं। वे इसको साइड-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ट्रैक (side track) करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार के जो जिम्मेदार मिनिस्टर होते हैं वे एक दिन भी ऑफिस में रहने की कोशिश नहीं करते।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप शीघ्र समाप्त करिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर थोड़ा समय दिया जाय। आज यह विषय कट मोशन्स से भी ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है, इसमें पांच पांच मिनट से काम नहीं चलेगा।

श्री सभापति : चौदह मिनट दिये जा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : पहले भी पांच-पांच मिनट ही दिये गये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह ऐसा विषय है जिसको टैक्निकल ग्राउन्ड्स पर साइड ट्रैक करने की कोशिश न करें। यह तमाम हाउस की इज्जत का सवाल है, सब की प्रेस्टिज का सवाल है, स्टेन्डर्ड का सवाल है कि किस किस्म का स्टेन्डर्ड हम कायम करना चाहते हैं, इस सदन के सदस्यों के लिये और मंत्रि-मंडल के सदस्यों के लिये। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा, केन्द्रीय मन्त्री-मंडल के सदस्य का जिक्र किया श्री लालबहादुर शास्त्री का, जो रेलवे मंत्री थे। वे न तो रेलवे में गार्ड का काम करते थे और न इन्जन ड्राइवर का काम करते थे, फिर भी उन्होंने महसूस किया कि बार बार एक्सीडेन्ट्स होने से रुकते नहीं, वे उसमें रुकावट नहीं कर पाये, तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हुए एक बहुत बड़ी दुर्घटना के कारण मंत्री-पद से इस्तीफा दे दिया।

श्री षणमुखम चेट्टी ने, जो फाइनेन्स मिनिस्टर थे, बजट के थोड़े लीकेज के कारण अपनी जिम्मेवारी को महसूस किया और इस्तीफा दे दिया।

इसी तरह से पार्लियामेन्ट के एक सदस्य के बारे मे डाउट हुआ, उसके लिए इन्क्वायरी कमेटी बैठाई गई और कमेटी ने उस सदस्य को दोषी माना, उस पर पार्लियामेन्ट ने उस सदस्य को निकाल दिया। इसी तरह से सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय का कन्डक्ट एबॉव बोर्ड नहीं सस्पिशियस है। इसलिये जरूरत है इस बात की कि सदन की एक इन्क्वायरी कमेटी इस तमाम केस की जांच के लिये बैठायी जाय और उसके बाद जिस नतीजे पर वह पहुंचें कि यह डेलीबरेट एक्ट नहीं था, नेगलीजेन्स थी उनको बाध्य किया जाय कि वे उस गद्दी के योग्य नहीं, जिसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ स्थान ग्रहण करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसके लिये इन्क्वायरी कमेटी बैठायी जाय।

(३.० म. प.)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): आदरणीय सभापति महोदय, आज यह शराब का विषय

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हमारे राजस्थान का ही नहीं सारे हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा विषय है। इस बात को लेकर आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में अखिल भारतीय शराब निरोध समिति की बैठक हुई थी। दो हजार प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। बहुत से प्रान्तों के मन्त्री भी उसमें आये थे। मैं भी उसमें गया था। वहां सब की यह राय थी कि वास्तव में यह शराब आज देश-वासियों को विनाश की ओर ले जा रही है। इससे देश को बचाना चाहिये। वित्त मंत्री, भारत सरकार ने भी, मुझे ठीक तरह से याद है, यह आश्वासन दिया था कि अगर कोई स्टेट शराब विरोधी अभियान में भाग लेती है और इसके लिये कानून बनाती है तो इससे होनेवाले आर्थिक घाटे में हम पूरी पूरी मदद करेंगे।

मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार ने तो इस ओर बिल्कुल ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की। डाके तो दिन में डाले जाते हैं, रात में डाले जाते हैं या एक-दो जगह डाले जाते हैं, पर यह शराब तो आज सरे आम सारी जनता को लूट रही है। ज़्यादा से ज्यादा सरकार यह कह सकती है कि इसमें हम क्या करें, लोग पीते क्यों हैं, न पीवें, अपने आप बन्द हो जावेगी। मनुष्य की मनोवैज्ञानिक स्थिति ऐसी है कि वह स्वयं बन्द नहीं कर सकता। इसमें राज्य की सहायता अपेक्षित है। तो अब सरकार स्वयं अगर बेचती है और ठेकेदारों को इसके लिये ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देकर ऊंची से ऊंची बोली लगाने के लिये प्रेरित करती है पांच, पांच और दस दस रुपये की बोली से चल कर ३२ हजार तक की बोली लग जाती है। कमिश्नर, कलेक्टर को इसके लिये तरक्की मिलती है। वे कहते हैं, हमारे पास इसके लिये सरकार के उच्चा-धिकारियों के आदेश हैं कि बोली अधिक से अधिक रकम में छोड़ी जाय। जब आप इस तरह से पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो ठेकेदार क्यों पीछे रहेगा? जिस बोतल की रेट आपकी तरफ से तीन रुपया फिक्स है, उसे वह ६॥ रुपये में बेच कर ऊंची बोली की रकम की पूर्ति करता है। बोतल का पैसा अलग से लेता है और इसमें भी पानी ऊपर से और मिला देता है। आपके अधिकारी इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हमने इसमें सख्ती की तो अगली बार इतनी ऊंची बोली नहीं आवेगी। फिर मजे की बात यह है कि ठेका देने और बेचने की निगरानी करने, दोनों का अधिकार उनको ही दे रखा है। ठेकेदार फिर चाहे कुछ करें, उनका भी मुनाफा उनके साथ में होता है। तो यह जांच का काम और चैकिंग का काम इस विभाग को नहीं देकर अलग विभाग को देना चाहिये।

फिर अगर आपको यही करना है तो इतना तो करिये कि एक गांव में एक ठेके से अधिक न हो। पर आज तो झोंपड़े झोंपड़े में शराब की दूकानें लगी हुई हैं, मर्जी माफिक रेट पर बेचते हैं, मिलावट करते है। मेरा सरकार को सुझाव है कि यह कोई बड़ी रकम का मामला नहीं है, वह इस शराबबन्दी मामले में भी पहल कर सकती है, उसे करना चाहिये। वे गांधीजी के अनुयायी हैं। उनकी खुद की यह मंशा थी। आज हम गांधीजी की समाधि पर जाते हैं, फूल चढाते हैं। पर वास्तव में आप यह नहीं सोचते कि आपके कारनामों को देख कर

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

उनकी आत्मा कितनी दुख पाती होगी। आप अगर बापू की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो उससे जो अर्थ का संकट होगा, उसके लिये अगर राजस्थान की जनता को पेट पर पट्टी बांधनी होगी तो वह बांधेगी। तो आप इस मद को बिल्कुल काट दीजिये। आप जनमत की इज्जत करिये। देश की गरीबी, बेकारी और भुखमरी को इसके द्वारा आप आसानी से सबसे पहले खत्म करिये। आपकी ये अनेकों योजनाएं, उद्योग—चम्बल और भाखरा और राजस्थान नहर योजनाएं तो चलती रहेंगी। आप तत्काल तो इस शराब से जनता को मुक्ति दिलाइये। खास तौर से इस पर आप विचार करें, यह कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

आपने तीन कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। १७ मिनट आपको मिलेंगे। १५ मिनट पर पहली घंटी बजाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पर बीच में, सभापति महोदय, इन्टरप्शन के समय को एक्सक्लूड करके–वह निकाल कर।

मैं अपने तीन कटौती के प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनमें से एक प्रस्ताव के संबंध में अभी अलवर से और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मेरा यह निवेदन है, सभापति महोदय, कि बजट के सम्बन्ध में और खास तौर से फोरिन लिकर के सम्बन्ध में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई उस सम्बन्ध में एडजोर्नमेन्ट मोशन पर माननीय अध्यक्ष महोदय की जो रूलिंग हुई है वह रूलिंग अपने आप में इस बात के लिए स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने जो कार्यवाही करनी चाहिये थी वह नहीं की और उसके कारण उसके अन्दर कई खामियों के द्वारा सरकार की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष की रूलिंग, और उस रूलिंग के बाद में वित्तमन्त्री महोदय ने जो पत्रकारों के समक्ष अपना एक रिएक्शन उस पर दिखाया उस रिएक्शन में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अध्यक्ष महोदय ने जो रूलिंग दी है वह सही है। यह क्लेरिकल मिस्टेक थी, जिसके कारण नोटिफिकेशन जो उस समय इश्यू किया जाने वाला था वह नहीं किया गया।

आज केवल दो मुद्दे खड़े होते हैं। एक इस बात का कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन इश्यू नहीं किया इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई और दूसरा मुद्दा यह आता है कि सरकार ने जो गलती की उसके संबंध में अब किस प्रकार से कौनसा इलाज है ?

जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में अध्यक्ष के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं आती हैं हमें उनको स्वीकार करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय की रूलिंग होने के बाद मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि सरकार की ओर से जो उस रूलिंग पर रीग्रेट शो करना चाहिये था जो मिनिमम पनिशमेंट हो सकता था, वह कर्टसी भी वित्त मन्त्री ने या मुख्य मन्त्री ने नहीं बताई और उस हालत में नहीं बताई,

(श्री भैरोंसिंह)

जब कि उनकी रूलिंग को उन्होंने स्वीकार किया है।

अब प्रश्न आता है, अध्यक्ष महोदय, कि रूलिंग जिसे किसी प्रकार चेलेन्ज नहीं कर सकते उसके अगेनस्ट में अगर सरकार किसी भी प्रकार की कार्यवाही करती है तो सदन उस सम्बन्ध में उनको किसी प्रकार की अनुमति देने की स्थिति में है या नहीं। मैं तो वित्त मंत्री से कहूँगा कि आपने जितने भी नोटिफिकेशन्स इश्यू किये उनकी कॉपी मेरे साथ में है। उन सबके अन्दर वे चाहे पैसेन्जर पर टैक्स लगाये हों, सेल्स टैक्स लगाया हो, कोई आपने व्यवस्था नहीं कि कि this will come into effect from 1st April, 1962.

लेकिन आपने सब में इमीजिएट इफेक्ट की बात कही है। एक्साइज के बारे में ३१ तारीख को इश्यू किया उसमें कहा है कि तारीख १ से लागू होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट सैंक्टिटी का जो महत्व है, सबसे पहले यह है कि हम कोई भी टैक्स की जिस समय घोषणा करें उसे तुरन्त लागू करदें। आज अपने देश में और बाहर, जहां भी पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी है, इस प्रकार की मान्यता है। जिस दिन कर की घोषणा करें, साथ हो टैक्स ऑटोमेटिकली लागू होता है। पर यह तो बदकिस्मत फॉरिन लिक्कर पर कर लगाया गया है। वित्त मन्त्री ने यह घोषणा कर दी। पर साथ साथ जो नोटिफिकेशन इश्यू करना चाहिए वह नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि यह जो घोषणा बाद में की गई वह भी हिन्दुस्तान में अजीबोगरीब घोषणा है। देश की पार्लियामेंट में और अन्य स्टेटों की विधान सभाओं में भी बजट के टैक्सों का विरोध किया जाता है, पर आज तक ऐसा बजट नहीं आप बता सकेंगे कि बजट की स्पीच ओरिजिनल स्पीच होती है इसमें जितने टैक्सों के प्रोपोजल्स होते हैं उनमें कमी हो सकती है, बढ़ाया जा सकता है, किसी को डिस्टोर्ट किया जा सकता है, पर आज तक पार्लियामेन्ट के इतिहास में ऐसी नजीर नहीं होगी कि उत्तर देते समय उसमें कोई टैक्स बढ़ा दिया गया हो। यह पहली नजीर राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान की विधान सभा में पैदा की है और यह बजट की सैंक्टिटी और सिस्टम दोनों के विपरीत जाती है। बजट प्रोपोजल बजट स्पीच के साथ आते हैं। बाद में अगर आते हैं तो यह उसका पार्ट उस हालत में बन सकता है जब कि नये टैक्स लगाने की हालत हो। यह बजट में शामिल नहीं था। ३० तारीख को इनके लगाने की घोषणा की गई और आज विश्वास से मैं यह कहता हूं कि इसकी घोषणा करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। आप जनरल क्लॉज गवर्नमेंट का उठा कर देखें कि इसे पहले सेक्रेटेरियट में मन्त्री मण्डल देखे।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : प्रश्न यह है कि आपके कट मोशन में इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं है, अतः कोई आधार आपके पास नहीं है यह सब कहने का।

श्री निरंजननाथ आचार्य : My point of order is that when a cut motion refers to a particular subject, the speech should be confined to that particular subject, and it should not trans-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

gress the limits of the cut motion. Therefore, I would like to seek the ruling of the Chair on this subject. The Hon'ble Member is transgressing the limits of the subject.

श्री भैरोंसिंह : There is no need of a ruling. I am going to support the motion moved by the Hon'ble Member from Alwar.

श्री सभापति : So I am saying let him have his say and when the time comes the Hon'ble Minister will give his reply.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir.

श्री सभापति : No point of order, Sir. Let him continue.

श्री भैरोंसिंह : My three minutes have gone, Sir.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिति में वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि आपने बजट की स्पीच का जवाब देते समय जो नये टैक्स बढ़ाने की घोषणा की है वह उस समय तक आप नहीं कर सकते जिस समय तक कि सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आता है और सरकार डिसीजन नहीं लेती है। और सरकार का डिसीज़न उस समय तक मान्य नहीं हो सकता जिस समय तक कि सरकार का नोटिफिकेशन इश्यू नहीं होता है। नोटिफिकेशन इश्यू करने के बाद ही इस प्रकार की घोषणायें की जा सकती हैं जो कि बजट के मामले में साइमल्टेनियस होती हैं। आपने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, आपने फाइनेन्शियल रूल्स को फॉलो नहीं किया, आपने सेक्रेटेरियेट मेन्युअल के अनुसार, जो डिसीजन अन्तिम माना जाना चाहिये था, वह नहीं किया, गवर्नर की सेंक्शन प्राप्त नहीं की गई और इन चीजों के बावजूद सीधे यहां विधान सभा के अन्दर आकर घोषणा कर दी। उसको एक तरह से अनऑथोराइज्ड स्टेटमेन्ट कहा जा सकता है। वह अनऑथोराइज्ड स्टेटमेन्ट सरकार की मन्शा का द्योतक है कि सरकार चाहती है कि इसके ऊपर टैक्स लगाया जाये। हमारे वित्त मन्त्री महोदय अभी कहेंगे कि इसका कोई असर फाइनेन्स के ऊपर नहीं पड़ा है, लेकिन मैं बताऊं कि जो एग्ज़िस्टिंग स्टॉक है उसके ऊपर किसी तरह की एक्साइज़ ड्यूटी आप नहीं ले सकते और आप कह भी सकते हैं कि जो एग्ज़िस्टिंग स्टॉक है वह परमिट से लिया जाता है और जिस समय परमिट प्राप्त करता है उस समय एक्साइज़ ड्यूटी का चुकारा करके ही खरीद होती है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कई दुकानों पर टैक्स से बचने के लिए स्टॉक्स लिये गये। आपकी रूलिंग है कि ट्रांसपोर्ट के जरिये से जो भी माल कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली से आता है वह यदि एग्ज़िस्टिंग स्टॉक में शामिल हो गया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और रास्ते में उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जो चीजें ३० तारीख को रिसीव कर ली इस घोषणा के बाद, वहाँ टैक्स लागू किया जा सकता था, लेकिन आपने १ तारीख को नोटिफिकेशन इश्यू किया और उसके हिसाब से वह एग्ज़िस्टिंग स्टॉक में शामिल हो गया और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह से राजस्थान में बनी हुई

(श्री भैरोंसिंह)

रम का जो होलसेल बिज़नैस करते हैं और जिनको आपने होलसेल बिजनैस दे रखा है, लेकिन रिटेल का काम करने वाले लोगों ने रम की पर्चेजेज़ कर लीं और अपना स्टॉक बढ़ा लिया और टैक्स से बचने की सारी व्यवस्था कर ली। आज यह नहीं कहा जा सकता कि उसके कारण से सरकार को नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम यह भी मानकर चलें कि सरकार को नुकसान नहीं हुआ, पर सरकार को नुकसान पहुंचाने की स्थिति तो अवश्य पैदा कर दी कि यदि उससे कोई बिज़नैसमैन लाभ उठाना चाहें तो उठा सकते थे। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद पत्रकारों के सामने इसको स्पष्ट बताया कि यह गलती है और क्लेरिकल मिस्टेक है। अब यह क्लेरिकल मिस्टेक हो या डिपार्टमेन्ट की हो या फाइनेन्स सेक्रेटरी को हो या फाइनेन्स मिनिस्टर की हो, इस मिस्टेक को देखने का काम तो मुख्य मन्त्री जी का है, but there has been a mistake and the man who has committed the mistake should be penalised, and penalised very heavily.

लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि हम उस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई बात लेकर नहीं चल रहे हैं। पर मैं माननीय वित्तमन्त्रीजी को बता दूं कि यह मसला इस प्रकार का है कि जिस मसले को लेकर विधान सभा के सदस्य और बाकी के सदस्यों से अपील करना चाहूँगा। इधर विपक्ष के सदस्यों के अलावा खास तौर से ट्रेजरी बेन्चेज़ के सदस्यों को अपील करूंगा कि बजट के मसले में जितनी कमजोरी से वे चलना चाहते हैं वे उस तरह से न चलें और इस मसले को इतनी कमजोरी से न लें। इसमें बहुत बड़े इम्प्लीकेशन्स हैं और उनको दूर करने का एक मात्र तरीका है कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब अपना पद त्याग दें, अपने वित्त मन्त्री पद से इस्तीफा दे दें और कोई दूसरा विभाग सम्भाल लें। केन्द्र में श्री लाल बहादुर शास्त्री पहले रेल मन्त्री थे उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ले लिया और इन्डस्ट्रीज़ के बाद वो होम-मिनिस्टर बन गये। मैं नहीं कहता कि आप मंत्री नहीं रहें। आप मंत्री रहें, लेकिन फाइनेन्स मिनिस्टर का पद छोड़ दें और माननीय सुखाड़ियाजी से एश्योरेंन्स ले लें कि मैं पद छोड़ता हूँ आप दूसरा डिपार्टमेन्ट दे दें। आप कुछ भी करें लेकिन परम्परा निश्चित रूप से पैदा कर दें कि आप भी गलती का खामयाजा उठाने के लिए उसी तरह से तैयार हैं। आप इस धोखे में न रहें कि आप मेजोरिटी में हैं और ऑपोजिशन माइनोरिटी में हैं, लेकिन यह इस प्रकार का मसला है कि ऑपोजीशन इसको लेकर सदन में इस प्रकार की स्थिति पैदा करेगा कि राजस्थान सरकार को झुकने की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि इसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। आप ५ वर्ष पहले मंत्री नहीं रहे तो अब दो तीन या छः महीने और न रहें। अगर हमें अच्छी कन्वेन्शन बनानी है तो मैं यह कहना चाहूँगा कि वे ऑपोजीशन वालों का सहयोग करें। तो मैं भी ऐसा कहता हूँ कि जब भी कोई बात आती है तो बारबार हर बार यहां पर दूसरों का उदाहरण देते हैं, उसी प्रकार आपका उदाहरण भी ऐसा चलेगा कि इसी विधान सभा में नहीं बल्कि और दूसरी विधान सभाओं में

(श्री भैरोंसिंह)

कहेंगे कि कौल साहब ऐसे थे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No disturbance please, let him continue.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह गलती भी मामूली नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मामूली गलती के ऊपर पद छोड़ना भी मामूली बात नहीं है । मैं कहूँगा कि किसी भी मंत्री को उदाहरण पेश करने का कोई सुअवसर नहीं मिले तो यही वह अवसर है कि जिसके कारण वित्त मंत्री महोदय को उसका अहसानमन्द होना चाहिए कि जिसकी वजह से त्यागपत्र देने का मौका पड़ा । हर विधान सभा में आपका उदाहरण दिया जायेगा कि कौल साहब ने गलती के कारण से इस्तीफा दे दिया । आप सदन में ऐसी परम्पराओं को कायम कीजिए और उनका स्वस्थ निर्माण कीजिए और यदि आप ऐसी परम्पराओं के निर्माण करने की परिस्थिति में हों तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका नाम ऊंचा करने में सहयोग देंगे, ताकि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का नाम ऊंचा हो । इस दिशा में यदि हम कोई भी कार्यवाही करते हैं तो आपको उसका स्वागत करना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहां पर दो प्रश्न उठाये गये हैं, एक तो माननीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल और दूसरा बजट की सैंक्टिटी का सवाल । यदि माननीय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को रखना है तो माननीय वित्त मंत्री महोदय अपनी गलती को स्वीकार कर लें और गलती को स्वीकार कर पश्चाताप करना पड़ेगा और सदन से इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैंने जो गलती की है वह क्लेरिकल है या किसी तरह की है उस सम्बन्ध में सदन मुझे क्षमा करे । फिर यह सदन के अधिकार की चीज है कि उनको क्षमा करे या क्या करे । इसके बाद रहा बजट की सैंक्टिटी का सवाल, तो उसके लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि बजट के बारे में आप किसी भी चीज को उठाकर देख लें, कहीं भी बजट की सैंक्टिटी को धक्का पहुंचा है तो वहां लोगों ने इस्तीफे दिये हैं । डाल्टन और थॉमसन को मामूली सी गलतियों के लिए त्यागपत्र देना पड़ा था । इसी प्रकार से षणमुख चेट्टी को त्यागपत्र देना पड़ा था । इसी प्रकार से बाकी के मन्त्री टी० टी० कृष्णामाचारी को भी इस्तीफा देना पड़ा था । ऐसी हालत में यदि आप उस लिस्ट में अपना नाम लिखायें तो आपके लिए बहुत ही उचित चीज होगी ।

दूसरा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है उस कटौती के प्रस्ताव में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी सरकार आजकल शराब के ठेके नीलाम करती है । माननीय मन्त्री महोदय स्वयं स्वीकार करेंगे कि शराब के ठेकेदार जिनको ठेके दिये जाते हैं वे शराब में पानी मिलाते हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि बाजार में कई बार म्युनिसिपेलिटी के इन्सपेक्टर घूमते दिखाई देते हैं और साथ में उनके बेरोमीटर होता है और जो दूध में पानी मिलाता है उसका चालान कर देते हैं और जो शराब में पानी मिलाया जाता है उसके लिये कुछ नहीं । वहां पर शराब पीने वाले की जेब खाली होती है । मैं सरकार से

(श्री भैरोंसिंह)

कहना चाहूँगा कि आप गांधीजी के सिद्धांतों की हत्या करते हैं; उसमें तो आप एक्सपर्ट हो हो गए। आपको चिन्ता नहीं है। बाजारों में जाकर आप गांधीजी के सिद्धांतों का बखान कर सकते हैं। गांधीजी की हत्या वास्तव में गौडसे ने की होगी लेकिन आज-कल की सरकार उनके सिद्धांतों की हत्या करती है। गांधीजी ने कहा था कि फाइनेन्स की बात कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर शराब का पैसा किसी भी सरकार के बजट में शामिल होता है तो वह सरकार के लिए शोभनीय चीज नहीं है। पर हम देखते हैं सरकार के खजाने में हर साल शराब की मद में इन्कम बढ़ती है। कुछ एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ती है। बॉम्बे के अन्दर, साउथ के अन्दर दो-तीन स्टेट्स में प्रोहीबिशन लागू कर दिया। बॉम्बे के अन्दर फाइनेन्सेज़ की दिक्कत आने वाली थी। अभी कुछ दिन पहले एक सेमीनार हुई, उस सेमीनार में शायद उस समय की सरकार की ओर से प्रपोजल था कि आपको इसमें घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति हम सहायता देकर करेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने उस सहायता को स्वीकार नहीं किया। हमारी सरकार प्रोहिबिशन के संबंध में अपनी नीति की कई बार घोषणा कर चुकी है और इसके लिए किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ड्राई एरिया डिक्लेयर करना चाहिए था वह नहीं किया। बल्कि इन स्थानों पर पहले से जो एरिया ड्राई था वहां पर लोगों को लाइसेन्सेज़ दे दिये। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान मे और राजस्थान के अन्दर फोरिन लिकर को लोग पीना पसन्द करते हैं और आपके यहां देशी शराब बिकती है उसको पीना पसन्द नहीं करते। यह इंग्लिश वाइन पीना इसलिए पसन्द करते हैं कि उसमें पानी मिला हुआ नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह देशी शराब गरीब पीते हैं, अमीर आदमी यह नहीं पीते। कहते तो हैं आप कि गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन आप तो गरीबों की जेब काटने में विश्वास करते हैं। इस नीति को हमारी सरकार को बदलना चाहिये। परन्तु मैं तो यह कहूंगा कि यह गरीबों की जेबों पर डाका डालने का एक ज्वलंत उदाहरण है।

जितना पैसा दिया जाता है उससे ज्यादा कमीशन नहीं मिलता है, फिर भी जहां कमीशन २०००) रु० का है तो ठेका होता है ६०००) रु० का। ऐसी हालत में सरकार से कहूँगा कि खुले आम इस तरह से डाकेजनी गरीबों की जेबों पर हो रही है, इसको रोकें। रोक कर नहीं कहें कि घाटा है। घाटे की पूर्ति दूसरे प्रकार से हो सकती है। अजमेर में पहले यह रिवाज था कि शराब पर प्राइस कन्ट्रोल नहीं था, उस कारण से जाते थे शराब पीने वाले और जिस मात्रा में जैसी अच्छी शराब लेना चाहते थे मिल जाती थी। लेकिन कन्ट्रोल के बाद में ठेकेदारी सिस्टम इन्ट्रोड्यूस कर दिया। उसके असर से सरकार की चाहे आमदनी बढ़ी हो, लेकिन गरीबों की जेब पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में नीति में परिवर्तन करने का विचार किया जाय और साथ ही साथ वित्त मंत्री महोदय फाइनेन्स की चिन्ता नहीं करें, उनके पास दूसरा डिपार्टमेन्ट होगा। राजस्थान की वित्तीय

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति क्या है ? जैसे फोरिन लिकर पर टैक्स लगाया बिना पूछे, तो बिना पूछे इस बात की घोषणा कर दें कि यहां पर प्रोहिबिशन लागू किया जायगा, शराब बन्द की जायगी। इस तरह से अपना नाम कमायें, जैसा कि मुरारजी देसाई ने बम्बई में लागू कर दिया। तो आपकी तस्वीरें आयेगी, पैम्फलेट छपेंगे और त्यागपत्र से जो बदनामी होगी उस बदनामी की पूर्ति उस प्रकार से हो सकेगी। यही बातें कहकर मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): सभापति महोदय, आबकारी व्यवस्था का जो कर है उसको देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका सारा प्रभाव या तो किसानों पर पड़ता है या गरीब मजदूरों पर पड़ता है।

जहां तक केश क्रॉप्स का संबंध है, अफीम और तम्बाखू पर इतना कर लगा दिया गया है या उनकी कीमतें इतनी लिमिटेड कर दी गई हैं कि किसानों को पूरा पैसा नहीं मिलता है। मैं अफीम का उदाहरण दूं। अफीम में एक बीघे पर एवरेज प्रोडक्शन ७ सेर का होता है और सरकार उसकी कीमत ...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): राजस्थान सरकार ने तम्बाखू पर कोई कर नहीं लगाया है।

श्री विजयसिंह झाला : मैं अफीम का कह रहा हूँ, पहले सुनें और फिर आब्जेक्शन उठायें।

अफीम का ३५ रु० सेर का मूल्य देते हैं जिससे कि एक बीघे के अन्दर २४५) रु० एक किसान को मिलते हैं और जब वापिस उसका खर्चा देखते हैं तो उस पर २६५) रु. एक बीघे पर खर्चा होता है ? इसका अलग अलग विवरण भी वित्त मंत्री महोदय चाहें तो मैं उनके सामने रख सकता हूं:–

हंकाई ५०) रु०

खुदाई २५) रु०

पिलाई २५) रु०

अमल इकट्ठा किया जाता है ५०) रु० और २०) रु० अलग। इस प्रकार से एक बीघे में अफीम होती है २४५) रु० की एवरेज प्रोडक्शन के अनुसार और २०) रु० उसको अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। इसलिए मजबूर होकर अफीम को ब्लेक मार्केट में या दूसरी जगह बेचना पड़ता है।

तो मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि ऐसी केश क्रॉप्स हैं जिससे किसानों को फायदा होता है और जिससे वे अपना पैसा कुछ दूसरे कार्यों के लिए कमा सकते हैं तो इस अफीम में इतनी कम कीमत लगाते हैं कि जिससे किसान जितनी मेहनत करता है उतना पैसा वह उसको नहीं देते हैं। इसलिए इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

साथ ही शराब के लिए अर्ज करूंगा कि शराब में जो ठेकेदारी की प्रथा है कि ऊंची कीमत पर वह ठेका मिलता है तो ठेकेदार इस प्रकार की चीजें उसमें मिलाता है कि जिससे आम मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ

(श्री विजयसिंह झाला)

कि २२ नवम्बर, १९६१ को गोगुन्दा के अन्दर वहां के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के देवीलालजी मेहता, उन्होंने एक्साइज़ इन्सपेक्टर को इत्तिला दी कि वहां पर ३०० गैलन शराब स्पिरिट मिलाई हुई है और उस इत्तिला के बाद भी ५० घन्टों के बाद में वह एक्साइज़ इन्सपेक्टर उस स्थल पर पहुंचता है तो इन ५० घन्टों के दरम्यान में ४०० तोला फिटकरी उस ३०० गैलन शराब में मिला दी जाती है तो गरीब मजदूरों के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है।

श्री बालकृष्ण कौल : कौन सी जगह है ?

श्री विजयसिंह झाला : गोगुन्दा, जिला उदयपुर में।

एक तो स्पिरिट मिलाई गई और उसकी एफ० आई० आर० की गई श्री देवीलाल जी मेहता द्वारा कि इस प्रकार से चीजें मिलाते हैं जिनका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। स्पिरिट के प्रभाव को कम करने के लिए फिटकरी मिलाई। एक तो स्पिरिट मिलाने का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा और दूसरा प्रभाव पड़ा फिटकरी का। जिस वक्त पंचनामा बना तो फिटकरी के टुकड़े लिये गये हैं जो कि बन्द हुए हैं और उसके साथ उसकी दूकानें बन्द की गई थीं। लेकिन अफ़सोस है कि २२ नवम्बर से आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और इसलिए नहीं की गई कि वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री मखवाना साहब, वे एक्साइज़ डिपार्टमेंट के कमीशन एजेन्ट या ऐसे कुछ हैं इसलिए कार्यवाही को ढिलाई में डाल रखा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शराब के ठेके को रेट ऊंची हुई तो वह ठेकेदार पानी मिलाता है, लेकिन पानी के साथ साथ ऐसी चीजें भी मिलाता है कि जिसका स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। मैंने एक ठेकेदार का हिसाब देखा है। उस सारे हिसाब को देखने पर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि १०) रु० की जो शराब बेचते हैं तो रु० २.८० न.पै. सरकारी रेट के अनुसार मुनाफा तो लेते ही हैं, इसके बाद ठेके की रकम पूरी नहीं करेगा तो २ रु० ५० नये पैसे और ज्यादा लेने पड़ते हैं। हम हिसाब लगा सकते हैं कि १०) रु० की जो एक गरीब आदमी शराब लेता है तो ५) रु० उसको खाली ठेकेदार की रकम को पूरा करने के लिए ज्यादा देने पड़ते हैं, उसके बाद मुनाफा तो दूर रहा। तो ऐसी स्थिति में सारे का सारा भार तो किसानों पर पड़ता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आज उसको कैश क्रॉप्स, जिसके जरिये वह पैसा कमा सकता है, उसके महनत करने के बाद पूरी कमाई उनको नहीं मिलती है, या शराब के जरिये उनके स्वास्थ्य पर या उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा खास तौर से किसानों के लिए कि इस प्रकार की कैश क्रॉप्स जिसकी बहुत कम कीमत सरकार के द्वारा दी जाती है उसकी ओर ध्यान दिया जाय। इसके साथ साथ शराब के अन्दर चीजें मिलाने की जो प्रथा है उसके लिए कठोर कदम उठाया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय सभापतिजी, मेरा कटौती प्रस्ताव शराब बन्दी के संबंध में है और मैं अपने विचार समय से पहले ही पूरे करने की कोशिश करूंगा। कृपया अगर उसमें कुछ

(श्री अब्दुलजब्बार)

थोड़ी सी बात लम्बी हो जाय तो २–४ मिनिट और एक्स्ट्रा देने का कष्ट फरमायेंगे।

आज हम स्वतन्त्र भारत में नैतिकता को ऊंचा उठाने के लिए खास तौर से जोर देते चले आ रहे हैं। यह ध्येय होता है कि हम किसी तरह से ऐसे काम नहीं होने दें जिसके द्वारा अनैतिकता आती हो। शराब ऐसी वस्तु है कि वह गम गलत करने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, खो जाने के लिए दूसरी दुनिया में, या किसी के साथ बदमाशी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी जमाने में ओपरेशन करने के लिये इन्टोक्सिकेशन के लिये यूज़ किया जाता था, लेकिन आज के युग में जब हम आजाद हैं, जब हम सुधार की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं उस समय हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। वह शराब जो किसी जमाने में बतौर दवाई के इस्तेमाल की जाती थी, आज हमारे स्वतन्त्र भारत में किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है उसका एक ज्वलन्त उदाहरण आज सदन के सामने रखता हूं इसके अलावा भी दलीलें पेश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सदन के माननीय सदस्य अवश्य इस बात की ओर ध्यान देंगे–और महसूस करेंगे कि यह वास्तव में बन्द होनी चाहिये। गवर्नमेन्ट इसके लिये जो कदम उठाती है वह सख्त से सख्त कदम होना चाहिये।

सबसे ज्वलन्त उदाहरण इस प्रकार है कि सत्यनारायण नाम के एक आदमी की एप्लीकेशन है, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा उस पर जुल्म किया गया, यह पेश करता हूँ। वह झुन्झुनूं का निवासी है। उसको थाने में लाया जाता है और वहां पर रूई के जरिये उसके मुंह में शराब डाली जाती है। यह किस्सा है चिड़ावा थाने का, इसकी तारीख भी बता दूं, ५–४–६२ का यह किस्सा है। शराब का इस्तेमाल किस तरह से किया गया यह इसमें शो किया है। धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश की गई और उसका धर्म भ्रष्ट किया गया। मतलब यह है कि शराब से जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा हो गया है क्या उसको राज्य में चालू रखा जाय? साथ ही साथ शराब पीकर हमारे भाई-बन्धु घरों में जाते हैं, स्त्रियों के साथ मारपीट करते हैं, गालियां देते हैं; किसी को पिटवाना चाहते हैं तो शराबी को आधी बोतल शराब पिला दें और उसके हाथ में डंडा दे दें तो किसी को भी पिटवाया जा सकता है। तो बुराइयों की तरफ लेजाने वाली यह शराब है। इससे बजट में चार पांच लाख की आमदनी होती है तो उसका मतलब यह नहीं है कि इसको चालू रखा जाय। यदि किसी की अंगुली में जहरी फोड़ा हो गया है और उससे सारे शरीर में दर्द होता है तो अच्छा डाक्टर यह कहेगा कि उस अंगुली को कटा दिया जाय ताकि दिमाग और शरीर को शान्ति मिले और उनको शान्ति मिले जो घर के सदस्य हैं और जिनकी नींद उसके चिल्लाने से खराब होती है तो इसी प्रकार की अक्लमंदी से काम लेकर वित्त मन्त्रीजी ध्यान देकर सोचेंगे कि इस शराब से हमारा सामाजिक ढांचा बद से बदतर हो रहा है; तो क्यों नहीं इसके खिलाफ खुल कर आवाज उठाई जाय और इसको बन्द किया जाय। क्योंकि इस शराब के कारण स्त्रियों को केवल गालियां देने को ही नौबत नहीं आती है बल्कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है; यही नहीं बल्कि औरतों

(श्री अब्दुलजब्बार)

और बच्चों को रहन रखने व औरतों के जेवर तक रहन रखने का मौका मिलता है। शराब की दुकानें बाजार के बीच में रखी जाती हैं। इसके हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं। शराब पीकर गालियां देते हुए बाजार में निकलते हैं, स्त्रियां और बच्चे उनको देखते हैं, लेकिन उनके चरित्र का निर्माण करने वाली, उन्नति के पथ पर अग्रसर करने का दावा करने वाली हमारी सरकार कदम नहीं उठा रही है। ऐसा दूषित वातावरण पैदा करने वाली शराब को तुरन्त से तुरन्त खत्म किया जाय। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर जितना कदम उठाया जा सकता है उतना उठावें, क्योंकि इससे गरीब लोग जो अपने गरीबी के गम को भुलाने के लिए शराब पीते हैं, जब वे घर में दाखिल होते हैं तो बच्चे पैसों के लिए खींचते हैं, औरत आटा दाल के लिये घर में चिल्लायेगी, इन सब मुसीबतों से बचने के लिए चन्द पैसे बचाकर वह शराब पीता है और अपने गम को भुलाता है। यदि वास्तव में आप सिर ऊंचा उठाना चाहते हैं, देश के निवासियों को ऊंचा उठाना चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो शराब बन्दी के लिये शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाना चाहिये। इस प्रकार कटौती प्रस्ताव पेश करता हुआ उम्मीद करता हूँ कि समाज की प्रगति देखना पसन्द करते हैं तो इसका अवश्य समर्थन करेंगे

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण।

श्री जयकृष्ण (थानागाजी) : सभापति महोदय, मैंने अपना एक कटौती प्रस्ताव आबकारी करों की वसूली की अव्यवस्था के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत किया है? आबकारी कर जिस प्रकार से वसूल किये जाते हैं वह तरीका ठीक नहीं है। शराब का ठेका नीलाम करके दिया जाता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक पंचायत हैडक्वार्टर्स पर कई नई दुकानें शराब की लगी हुई नजर आईं। पूछा तो मालूम हुआ कि अभी शराब के कुछ नये ठेके और नीलाम कर दिये गये हैं। आज छोटी छोटी दुकानों के ठेके तीन हजार या चार हजार में नीलाम किये गये हैं। शराब उनको सरकारी डिस्टिलरी से मिलती है और बेचने वालों को कमीशन मिलता है। जो छोटे छोटे दुकानदार तीन हजार या चार हजार रुपये सरकार को ठेके के देते हैं और साथ में अपना मुनाफा भी कमाते हैं और बेचते शराब कितनी हैं वे आंकड़े देखे जायें तो पूरा नहीं पड़ता है उस ठेकेदार को। फिर इससे क्या होता है? होता यह है कि नाजायज़ शराब जो गांवों में निकलती है उसको बेचते हैं। नाजायज शराब को बन्द करने का सरकार प्रयत्न करती है, लेकिन बंद होने के बजाय ज्यादा निकलती है। नाजायज़ शराब को यदि बन्द करना है तो सोचना पड़ेगा, ठेके की व्यवस्था है उसमें जाना पड़ेगा; क्योंकि ठेकेदार इतने रुपये देते है वह सिर्फ इधर उधर से निकली हुई कम कीमत की शराब होती है उसी को बेचते हैं और साथ में पानी मिलाकर बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं। यदि शराब को बन्द करने में अड़चन है तो जिस प्रकार से भोजन हरएक को पवित्र मिलने की व्यवस्था है उसी प्रकार से कोई भी चीज मिलती है वह पवित्रता से मिलनी चाहिये। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिये। जो आदमी पानी मिलाता है-- यह तो मालूम ही है कि जो आदमी ३ हजार

(श्री जयकृष्ण)

रुपये देकर ठेका लेता है। दूसरे गांव में वही आदमी ५ हजार रुपये देकर ठेका लेता है। तो उसकी मन्शा साफ हो जाती है, क्योंकि पैसा आसमान से नहीं मिलता, उसको मिलता है जो नाजायज शराब लेकर बेचता है या पानी मिला कर बेचता है। यह व्यवस्था की बात है। सोचना चाहिये, सरकार को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी ओर सरकार ने जो ठेका दिया है वे ठेकेदार गांव के बीच में दूकान खोलते हैं। यह सभी जानते होंगे कि शराब पीनेवाले किस तरह के शराब के नशे में गाली गलोच करते हैं और नालियों तक में पड़े रहते हैं और किस कद्र उनका असर स्कूलों में पढ़नेवाले बच्चों पर पड़ता है। मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र में जहां की पंचायत समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, तो गांव में शराब के ठेके की दूकान बीच गांव में है, पहले गांव के एक तरफ था और ट्रकों या बसों में जाने वाले मुसाफिर उनसे शराब खरीदते थे और पंजाब तथा दूसरी जगह ले जाते थे। यह जो प्रवृति है कि ठेका दिया जाय, यह ठीक नहीं है। पंचायत चाहती है कि ठेका नहीं देंगे लेकिन आबकारी के लोग हैं वे लिखते हैं कि पंचायत को इस मामले में अधिकार नहीं है। जिसने ठेका लिया है उसको दूकान लगाने का अधिकार है। नशाबन्दी दूर करने की कोशिश करें और उसके लिये यह व्यवस्था हो तो आबकारी मन्त्रीजी को ध्यान देना चाहिये कि ठीक व्यवस्था हो। इसको दूर करने के लिये ठेके को प्रथा समाप्त करनी चाहिये। इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये। मैं इस कटौती प्रस्ताव द्वारा आबकारी मन्त्रीजी क ध्यान दिलाना चाहता हूं और सदन के समक्ष कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, सदन में पार्लियामेन्टरी ढंग के तर्कसंगत और ठोस भाषण नहीं हो रहे हैं और किसी........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, लिखा भाषण नहीं पढ सकते।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): The exprssion itself is unparliamentary when he termp the debate of the House as unparliamertary, Sir. He may be asked to withdraw the expression. He is calling the debate of this House as unparliamentary.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं पढ़ रहा था........

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और किसी पब्लिक........

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : प्लेट फार्म पर पार्टियों के........

श्रो भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : नुक्ते निगाह से भाषण दिये जा रहे हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : The expression is unparliamentary when he calls the debate of this House as unparliamentary, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वित्त मन्त्रीजी की स्पीच के एक्सट्रेक्ट्स पढ़ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस सदन में कोई माननीय सदस्य लिखा हुआ भाषण पढ़ना चाहते हों तो उस हालत में माननीय सदस्य सदन के अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय की पर्मिशन लिये बिना नहीं पढ़ सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अरे, मुझको अधिकार है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is calling the debate as unparliamentary. यहां की डिबेट को अनपार्लियामेन्टरी कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपका अधिकार इनको मिल गया।

श्री सभापति : आप उसमें से पढ़ना चाहते हैं तो दो-चार लाइनें ही होंगी। आप बतायें और फिर अपनी बात कह दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is calling the debate of this House as unparliamentary, Sir.

श्री सभापति : Probably he is quoting something.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is not citing from any book.

श्री सभापति : Let us hear him.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : और किसी पब्लिक प्लेटफार्म पर पार्टियों के पोलिटीकल नुक्तेनिगाह से भाषण दिये जा रहे हैं। पार्लियामेन्टरी ढंग है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The first part is unparliamentary.

श्री सभापति : Order please !

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, हाउस में इस समय झगड़ा होने की स्थिति है, इसलिए दोनों को अलग अलग किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ये हमारा बड़ा भला चाहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यहां मिली भगत से नया वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

श्री सभापति : Order ! Order please! लिखा हुआ भाषण है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज करूंगा·······

श्री सभापति : आप यह बोल रहे हैं, या अपनी लिखी हुई बात पढ़ रहे हैं या कोई दूसरे का लिखा पढ़ रहे हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अपनी उन सब चीजों को रख देना चाहता हूं·······

श्री सभापति : आप मेरी बात का जवाब दीजिये। आप बोल रहे हैं, आप अपनी

(श्री सभापति)

लिखी हुई बात पढ़ रहे हैं या किसी की लिखी हुई बात को कोट कर रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्री का अनुकरण कर रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरी लिखी हुई बात होगी तो अनपार्लियामेन्टरी हो जायगी और दूसरे की लिखी हुई होगी तो पार्लियामेन्टरी हो जायगी ?

श्री सभापति : मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, वह वाजिब नहीं है। आप बिना पढ़े कहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इनकी स्पीच है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : क्या यह हाउस की परम्परा हो गई है.........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हाउस का वक्त खराब कर रहे हैं।

श्री सभापति : हाउस का वक्त खराब हो रहा है, माननीय सदस्य को बोलने दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हाउस की परम्परा हो गई है कि लिखा हुआ पढ़ा जाय ?

श्री भैरोंसिंह : But with the permission of the Chair.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Not the Members, Sir. It is only matters of policy that can be allowed to be read in the House.

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें। लिखा हुआ न पढें तो अच्छा है, आप अपनी स्पीच यों ही बोलें तो अच्छा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एं जी।

श्री सभापति : आप जो कुछ कह रहे हैं वह लिखी हुई बात को न पढें तो अच्छा है। आप जो कुछ कह रहे हैं वह कहिये।

श्री भैरोंसिंह : लिखी हुई बात कह रहे हैं क्योंकि जबान पर लगाम नहीं है, और कुछ निकल जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह इनके लिए ही दलील हो सकती है, साहब। आप मुझे मौका दें तो मैं सारी बातों पर आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं बोलना नहीं जानता।

श्री भैरोंसिंह : चेयरमैन महोदय की पर्मिशन ले लीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अगर हमको कुछ ज्यादा वक्त मिल जाता तो हमारे सामने........

श्री हीरा भाई (कुशलगढ़) : चेयरमैन महोदय की व्यवस्था के बाद भी बोल रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He should not be allowed to read his written speech, Sir. It is only on matters of policy that generally Members from Treasury Benches are allowed to read from written speeches and not all the Members.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रेफर कर सकता हूं। I can refer to my extracts. Can I not sefer to those extracts ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य को मौका दीजिये कि वे क्या बात कहना चाहते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Some of the extracts which I am Just quoting are from the speech of the Hon'ble Finance Minister.

श्री सभापति : फर्माइये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ मैंने यह दरख्वास्त करने के लिए लिखा पढ़ा है कि मैं खुद अनपार्लियामेन्टरी होऊं तो सम्माननीय वित्त मन्त्री मुझे टोक दें और मुझे सही कर दें। इसलिए मैंने वह बात याद दिलाई।

दूसरी बात मैं रेफर करना चाहता हूं, एक्सट्रेक्स पढ़ना चाहता हूं आपकी इजाजत से–हमको कुछ ज्यादा वक्त मिलता और हमारे सामने राज्य की माली हालत के ज्यादा रिलाएबल आंकड़े होते तो शायद टैक्सों का रूप कुछ दूसरी किस्म का होता....

श्री भैरोंसिंह : एक्सट्रेक्ट काहे का है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : बजट स्पीच का।

श्री भैरोंसिंह : बजट स्पीच में 'रिलायेबल' शब्द नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am sorry. I am quoting from the written speech which was read by the Hon'ble Finance Minister.

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is not a certified copy for the referenco of the House.

श्री सभापति : However, let him continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am putting on the Table of the House. whereas other Members have always. a hitch in putting up such things, The same speech, which was read by the Finance Minister, is with me.

श्री सभापति : आप अपनी बात रखिये।

श्री भैरोंसिंह : Whether it is original speech or a copy of it ?

श्री सभापति : Order pleasel, Let him continue.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने अर्ज किया, मैंने इस मसले को, दोनों मसलों को पिछली दफा जनरल बजट स्पीच में बताया। एक मसला यह था कि हमारे राज्य में जो विलायती शराब, अच्छे ढंग की शराब पीनेवाले हैं, उस विलायती शराब पर टैक्स लगाने की ओर ध्यान नहीं जाता। मैं शुक्रगुजार हूँ फाइनेन्स मिनिस्टर का कि उनकी नजर उसकी तरफ गई।

इसके बाद जो दूसरा मसला है वह देशी शराब के बारे में है। मैंने पहले भी जोर दिया और आज भी जोर देना चाहता हूँ उस सिलसिले में। हमारे बजट के आंकड़ों के बारे में खुद फाइनेन्स मिनिस्टर साहब महसूस करते हैं कि ये रिलायेबल आंकड़े नहीं हैं। यह मसला जब टैक्स लगाये थे उस वक्त नहीं था। जब वे ओहदा–नशीन हुए, कम समय हुआ था,

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसलिए ये दिक्कतें उनके सामने पैदा हुई हैं। इस वजह से मैं अब रिलायेबल आंकड़े पेश करना चाहता हूं, रिलायेबल आंकड़े जयपुर के, अजमेर के, जहां के कहें वहां के पेश करना चाहता हूं और इस सदन से यह दर्ख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस तरह का करप्शन और वह विथ कन्नाइवेन्स ऑफ दी गवर्नमेंट यहां पर होता है, वह इस सदन के लिए और सरकार के लिए इज्जत देने-वाली चीज नहीं है। मैं आंकड़ों से उस स्थिति को बताना चाहता हूं जो ठेके की वजह से पैदा होती है। जो सरकार की तरफ से शराब दी जाती है ड्यूटी लेकर जयपुर में वह ६८ लाख ४६ हजार गैलन दी जाती है और उसकी ड्यूटी १ लाख ७० हजार १२२ रुपये होती है। और जो कमीशन दूकानदार को देना पड़ता है वह १ लाख ७० हजार १२२ रुपये, आठ आना मिलता है इतने गैलन का और जो ठेका दिया जाता है वह ५ लाख ६६ हजार १ रुपये में दिया जाता है। इससे ४ लाख १६ हजार ४७८ रुपये आठ आना, जो कुछ जयपुर में आमदनी होती है, उससे ज्यादा वह नीलामी के अन्दर बोली बोलता है और इसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्टर को जो लोस होता है और सरकार को जो लोस है वह है १६,७६५ गैलन्स का। १६,७६५ गैलन्स अगर वह शराब और खरीदे और ईमानदारी से बेचे तो दूकान के ऊपर तब जाकर उसको ४ लाख १६ हजार ४७८ रुपये का लोस पूरा होता है। इस तरह से इसका मतलब यह हुआ कि जो ६८ लाख ४६ हजार गैलन सरकार की शराब आती है उसके अन्दर १६, ७६५ गैलन्स, यह कितना होता है, यह आप अन्दाज लगाइये, के बराबर गटर का पानी या और कोई चीज मिलाई जाती है और वह सब जनता को बेच देता है। नहीं तो ४ लाख १६ हजार ४७८ रुपये वह ठेकेदार सरकार को दे नहीं सकता। मैं इस विषय में आपके सामने एक फैसला भी पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ और सरकार की निगाह में लाना चाहता हूं। रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर एक अपील गई तो वहां की बैंच से एक फैसला हुआ। उसके अन्दर कहा है वह उनकी आंख खोल देनेवाला है। वह लिखते हैं, मैं थोड़ा एक्सट्रेक्ट दे रहा हूं फैसले का, "There can be no two opinions on the point that where a person offers a bid which is much in excess of the amount that can legitimately be secured by way of profit than he would invariably resort to malpractices of adulteration etc., in other words, the system of auction employed in such cases encourages the dealers to secure the licence of a shop even at very high prices and that would be possible only when there is clear consciousness in the mind of the dealer of the fact that the malpractices in which he would be indulging would more than compensate him for the losses that he would suffer by way of unduly inflated prices for the licences." This is the relevant remark for the Goverment.

यह फैसला भी गवर्नमेंट में होगा। इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इस मसले को तय करे जिसके संबन्ध में मैंने अभी आपको कहा है। यह जयपुर का हाल मैंने आपको बताया है। इसी तरह अजमेर और दूसरी जगहों का हाल है। सरकार के सामने यह समस्या है कि शराबबन्दी की जाय या

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पैसा बढ़ाया जाय। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार अपने एक्सचेकर को इस तरह से बढ़ाना पसन्द नहीं करेगी। सरकार ठेकेदारों को लाइसेन्स देती है और ऊंचे दामों पर देती है। सरकार उनको लाइसेन्स इस बात का नहीं देती कि वे शराब बेचें। उनको लाइसेन्स इस बात का दिया जाता है कि वे जिस तरह से चाहें उस तरह से शराब बेचें और अफसरों के पेट भरते रहें और चार लाख के बजाय ८ लाख की आय कर लेते हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि चाहे सरकार भले ही अपनी आय बढ़ा ले, मगर ठेकेदार जो मनमानी करता हैं उसके लिये किसी की भी सहानुभूति नहीं हो सकती। वह गरीबों के साथ अन्याय करता हैं। जो गिरा हुआ तबका है उसको असली चीज नहीं देता और उसमें पानी मिला कर देता है। इसको रोका जाना उचित है। मैं यह मानता हूं कि शराबबन्दी होनी चाहिये। मैं यह भी मानता हूँ कि कांग्रेसवाले ईमानदारी से यह चाहते हैं कि शराब बन्द हो, यह भी बात है, मगर इसके साथ साथ यह बात भी है कि जो लोग शराब से करोड़पति बने हुए हैं वे परपजली इस ओर बढ़ावा देते हैं। यह सही है।

मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि जब हमको सेन्टर मदद देती है तो हमें इसको बन्द करना चाहिये, लेकिन इसमें लोगों के मुंह खून लगा हुआ है। जो गरीब लोग हैं उनका खून चूसने के लिये मक्खियों और जोखों की तरह लगे हुए हैं उसको नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस पर विचार करेंगे और

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गरीबों का खून चूसने के लिये जिनके मुंह पर ये जोखें लगी हुई हैं उनको छुड़ावेंगे। इसके अलावा मेरे पूर्व वक्ता ने पहले कहा कि यह कुछ मिली भगत मालूम होती है। मैं उनसे कहूंगा कि हमें भी दुःख वैसा ही होता है जैसा उनको होता है। मैं यह कहूंगा कि शराब की बोतलों की कीमत मुकर्रर है। मगर ठेकेदारों को चाहे जिस कीमत पर बेचने की छूट है। जिस तरह से विलायती शराब को चाहे जितने पैसों में बेचने की छूट है उसी प्रकार उनको भी छूट है। यह खुली छूट उनको होगी। इसलिये इस संबन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने अगर पहले पहल किसी को नेशनलाइज किया है तो शराब की इन्डस्ट्री को, डिस्टीलरी को। जब आप मोटरों को नेशनलाइज़ करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से मोटरें चलाती है। आपने जब इसको नेशनेलाइज़ किया है तो फिर क्यों नहीं सरकार अपनी दूकानें खोल कर शराब बिकवाती है। क्यों नहीं ठेकेदारों से दूकानें लेकर असली शराब लोगों को असली पैसे लेकर देती ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : संक्षेप में ही कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मैं यह भी कहना

Page No. 89

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

चाहता हूँ कि जितना पानी ठेकेदार शराब में मिलाते हैं उसका पैसा ठेकेदार लेते हैं, अगर उनके साथ सख्ती की जावे तो आपको मालूम हो सकता है कि वास्तविकता क्या है। आप यह कहेंगे कि सख्ती करने से दूकानें बन्द हो सकती हैं, सरकार की आय का दिवाला निकल सकता है। मैं तो खुद देवालिया हूँ, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे जैसे गरीब आदमी की बात मान कर आप देखें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। जितनी रकम की आमदनी आपको ठेकेदारों से प्राप्त होती है बराबर उतनी रकम आपको मिल जावेगी।

एक बात और हुई, वह यह कि आप इधर बैठनेवालों को ऐसा समझते हैं कि हम चिकने घड़े हैं, हमारे पर कोई किसी बात का असर नहीं होता है। मगर आपको मैं यह कहूंगा कि जिस तरह से आप उनका हित सोचते हैं उसी तरह से हम भी उनका हित सोचते हैं। आप कोई बात यहां कहें उससे पहले पूरी इन्क्वायरी करके कहें। मैं यह कहूँगा कि सेवा और साधना कर्मकांड के स्तम्भ हैं और जिसका एक हिस्सा गलत हो जावे तो सारा स्तम्भ कमजोर हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : कर्मकांड नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह कर्मकांड है कि इसको किस तरह से रोकेंगे।

श्री सभापति : आप संक्षेप में ही अपनी बात कहें तो ठीक होगा।

(एक साथ दो माननीय सदस्य बोलने शुरू हुए)

(श्री ज्वालाप्रसाद से) Order please ! That will do.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि शराबबन्दी के मामले में आप हमें कभी भी किसी प्रकार से पीछे हटे हुए नहीं पावेंगे। जहां तक सदन में परम्परा की बात है इधर वाले कभी पीछे नहीं रहेंगे।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय........

श्री सभापति : आप १५ मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, २० मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऐसी हालत हो तो जल्दी खत्म करेंगे।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे उधर बैठनेवालों के लिए यह मामला और भी अहम का है। हमारे आदरणीय बापू ने देश में जिस बात के लिए सबसे ज्यादा प्रचार किया वह शराबबन्दी के लिये था। वे चाहते थे कि शराब भारतवर्ष में पूर्ण रूप से बन्द हो। इसके लिये उन्होंने अंग्रेजों के युग में बहुत कुछ किया, मगर वे सफल नहीं हुए। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो उस समय भी उन्होंने इस बात का बहुत प्रयत्न किया। उस

(श्री मानसिंह महार)

समय बम्बई के चीफ मिनिस्टर श्री मुरारजी भाई ने इस प्रकार का प्रयास बम्बई में किया। मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूँ कि वे किसी तरह से जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा ठेकेदारों के दबाव से न दबते हुए उन्होंने बम्बई प्रान्त में शराब बन्द की। बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि यह शराबबन्दी कामयाब नहीं होगी, परन्तु बहुत हद तक यह सफल रही है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, बल्कि बम्बई में शराब बन्दी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो लोग तर्क के लिये यह कहते हैं कि शराबबन्दी करने से हमारे बजट में इतना घाटा होगा उसको किस तरह से पूर्ति करेंगे, उनके इस तर्क को मुरारजी भाई ने खत्म कर दिया। उन्होंने यह बता दिया कि प्रान्तीय सरकारें बहुत अच्छी तरह से शराबबन्दी के बाद भी अपना काम चला सकती है। यह सब होने के बावजूद चेयरमैन महोदय, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि शराबबन्दी की ओर राजस्थान सरकार की आँखे बिल्कुल बन्द हैं। राजस्थान सरकार शराबबन्दी की तरफ से बिल्कुल अन्धी हो गई है, मैं तो यह बात मान कर चलता हूँ। आज जब चुनावों में लोग जाते हैं तो गांव गांव में लोग कहते हैं कि बापू ने ऐसा किया, बापू ने यह किया। बापू तो बहुत चाहते थे कि बेचारों को शराब बन्द की जाए। जब आप वोट मांगते समय बापू की और बातों के लिये कहते हैं तो उन गांवों में शराबबन्दी तो करें, जिससे लोग जो बरबाद होते हैं वे बरबाद न हों।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि स्वतन्त्र पार्टी शराबबन्दी के पक्ष में है या नहीं ?

श्री मानसिंह महार : आप अपनी म्युनिसिपेलिटी के दायरे में रहिये, गंदगी को ठीक करिये।

श्री भैरोंसिंह : आप जैसे xxxx हैं उसी से यह होता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : xxxx शब्द अनपार्लियामेंटरी है। चाहे xxxx हैं पर xxxx कहा नहीं जा सकता।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री मानसिंह महार : हम xxxx हैं या जनसंघवाले xxxx हैं, यह तो जयपुर-वाले बतायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैंने यह पूछा है कि शराबबन्दी के बारे में स्वतन्त्र पार्टी की क्या नीति है ?

श्री मानसिंह महार : स्वतन्त्र पार्टी की यह नीति है कि राजस्थान सरकार को मजबूर किया जाय कि शराबबन्द की जाय। यह है। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो यहां दिन भर शराबबन्दी की बात करें और रात को घर में चुपके चुपके शराब पीयें।

हमारे नये नये मंत्री आये हैं उन पर आरोप लगाया कि बजट का लीकेज कर दिया, सरकार को नुकसान कर दिया। मैं तो कहता हूं छोटी सी बात थी, अंग्रेजी शराब पर टैक्स लगाने की घोषणा से पांच, दस लाख का

---

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानसिंह महार)

घाटा हो गया, कोई बात नहीं, आप इस्तीफा मत दीजिये, ऐसा XXXX मत कीजिये, ये आपको गलत राय देते हैं। आपने कर दिया सो तो कर दिया, पर अब प्रान्त में शराबबन्दी जरूर लाइये क्योंकि आप देखिये आप कहते हैं कि हम मजदूरों की हालत को सुधारना चाहते हैं, नीचे तबकों की हालत सुधारना चाहते हैं। हम आपके इन शब्दों को सुन कर बड़े खुश होते हैं, पर आप जयपुर के ठेकों पर जाकर देखिये कि बेचारे कैसे शाम के टाइम थक कर पड़े पड़े सड़ा करते हैं, उनकी औरतें मासूम बच्चे घर पर उनकी इन्तजार में रोया करते हैं। शराबबन्दी मजाक का मसला नहीं, तथ्यपूर्ण मसला है कि जब तक वे घर नहीं जाते तब तक उनके बच्चे और उनकी औरतें उनके इन्तजार में रोते रहते हैं और जब शराब पी कर मस्त होकर घर जाते हैं तो अपनी धर्म-पत्नियों को डंडों से मारते हैं, जिसका हमारे उप उद्योग मंत्रीजी को बहुत तजुर्बा है।

तो मैं निवेदन करूं कि वे औरतें और भी रोती और बिलबिलाती हैं। आपके तो उस पक्ष से आठ आठ, सात सात महिलाएं भी जीत कर आई हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे भी ट्रेजरी बैंचेज को और विशेष कर अजमेर से चुन कर आये हुए वित्त मंत्री को इस बात के लिये मजबूर करें कि शराब बन्द करदी जाय।

तो अब तो वित्त मंत्री आप हैं, खर्च को इधर उधर करके डेढ़—दो करोड़ का घाटा है, ५ करोड़ का और सही पर शराबबन्दी जरूर जल्दी लागू कीजिये, क्योंकि यह बड़ा अहम मसला है, इसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अगर आप इसमें टालमटोल करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप पूज्य बापू के सिद्धान्तों को भूल जाते हैं। पर सभापति महोदय, मैं जानता हूँ कि वे शराब को बन्द नहीं करेंगे, क्योंकि वे शराब के विक्रय को, शराब को अधिक प्रश्रय देने वाले हैं। सभापति महोदय, परसों मैं कटौती प्रस्ताव को देकर गया तो मुझे एक सपना आया, मैं उस सपने की बात कहूँ........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यहां सपने की बात नहीं हो सकती, क्योंकि चेयर से रूलिंग हो चुकी है कि यहां चण्डूखाने की बात नहीं हो सकती।

श्री मानसिंह महार : आप चण्डूखाने की बात कर रहे थे इसलिये चेयर ने रूलिंग दी।

श्री भैरोंसिंह : अब उस स्थान की पूर्ति आप कर रहे हैं।

श्री मानसिंह महार : जरूर करूंगा, आप चिन्ता मत करिये, आपको नहीं करने दूंगा।

हां, तो मैंने सपने में देखा कि पूज्य बापू आसमान में रो रहे थे कि मेरे ऐसे कपूत बेटे हैं कि मेरे मरने के बाद भी शराबबन्द नहीं करते। इस वजह से भी मैं वित मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि शराबबन्दी की ओर जरूर ध्यान दें।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, वह इस प्रकार है :

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानसिंह महार)

"To discuss the failure of the department to stop illicit distillation in Rajasthan."

सभापति महोदय, मैंने शराबबन्दी की बात कही, पर मैं सही निवेदन करता हूँ कि आज अगर ये ठेके बन्द कर दिये गये तो इससे शराबबन्दी नहीं होगी। देहातों में जा कर देखिये। आज देहातों में ७५ प्रतिशत गांव ऐसे हैं जिनमें प्राइवेट डिस्टिलेशन, प्राइवेट डिस्टिलेरीज़ मौजूद हैं। आज तो घर घर में डिस्टीलेरीज़ हैं।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ) : यह तो कॉटेज इन्डस्ट्री है।

श्री मानसिंह महार : वह तो है ही। मैं जानता हूँ, कांग्रेस के राज्य में शराब, गांजा, भांग ये कॉटेज इन्डस्ट्रीज हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके आमेर में है।

श्री मानसिंह महार : आप तो इसके जीते जागते उदाहरण हैं। किसी को इसका ज्वलन्त उदाहरण देखना हो तो हमारे नसीराबाद से आनेवाले मित्र मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह : ज्वलन्त उदाहरण इस बात के हैं क्या कि वे इस तरह की कॉटेज इन्डस्ट्री चलाते हैं ?

श्री मानसिंह महार : इल्लिसिट डिस्टिलेशन के अड्डे हैं, उनका इनको सब पता है, इनका उनमें xxxx है। वित्त मन्त्री की सूचना के लिये बता दूं कि ऐसों का ध्यान ही रखिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : This remark may be expunged, Sir. It is the record of the House.

श्री मानसिंह महार : मैंने कोई गलती नहीं की है। जो कुछ मेरे मित्र ने कहा, वही रेफर किया है। अगर माननीय सदस्य ने गलती की है तो मैं क्या करूं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : घर घर में चालू है आपने कहा था।

श्री मानसिंह महार : आपने कहा कि अजमेर में मेराxxxx है।

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सदन में मंजूर करते हैं किxxxx है तो बड़ा गुनाह है, फौरन कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि मैं कोई गलत बात नहीं करता हूं। आज एक्साइज की चैकिंग पार्टियों को गांवों में ईमानदारी से भेजा जाय तो एक एक गांव में, जहां वे जायेंगे, कोईसा पंचायत सर्किल ही सौभाग्यशाली होगा जिसमें अवैध शराब नहीं बनती है। जयपुर शहर में देशी ठर्रा ही नहीं, स्पिरिट की शराब जो डिस्टिलरीज में बना कर बेचते हैं, वह जयपुर शहर के बंगलों में बन रही है और बंगलों में बना कर शराब के ठेकों में देते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वित्त मंत्री सहयोग देंगे तो

xxxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मानसिंह महार)

मैं पकड़ाने को तैयार हूं। ये क्यों नहीं पकड़े जाते, इसकी वजह मैं बताता हूं। राजस्थान सी. आई. डी. के थानेदार हैं उनका इसमें साझा रहता है। मैं नाम पता बता सकता हूं। चांदपोल का ठेका है उसमें राजस्थान के एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का हिस्सा है। यह और बता दूं उनके संरक्षण में बंगलों में से शराब निकाल कर चांदपोल आती है, प्लास्टिक के थैलों में आती है, बोतलों में नहीं। आपके जो स्क्वेड कहलाते हैं, उनकी आंखें मिची हुई नहीं हैं, पर सब मिले हुए हैं। हमारे पड़ौस में रामनारायण के यहां से शराब पकड़ी गई और कुछ भी नहीं हुआ। हजार, पांच सौ रुपया देकर केस कम्पाउन्ड कर लिया।

(४.० म. प.)

अगर उसको कम्पाउन्ड नहीं कराते तो आपका राज खुलता कि स्पिरिट से शराब बनती है वह कैसे बनती है। कोऑपरेशन की बात करते हैं तो कोऑपरेशन तो तब दिया जावेगा जब आपकी नीयत साफ होगी। हम बातें यहां बता दें और आप जाकर सूचना दे दें तो यह काम नहीं होगा। मैं आपको ताजा उदाहरण दूं कि मेरी कॉन्स्टीट्युएन्सी में देरा गांव है, वहां पर नानू मीणा के यहां चलती हुई शराब की भट्टी मिली। शराब निकालने का नलिया वगैरह भी मिले। उसको पकड़ा गया। नानू मीणा ने पांच सौ, सात सौ रुपये इन्सपेक्टर को दे दिये और उस केस को कम्पाउन्ड करा दिया।

एक माननीय सदस्य : उस मीणा ने आपको वोट नहीं दिया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : नहीं दिया था।

श्री मानसिंह महार : कांग्रेस वालों को तो शराबी-कबाबी ही वोट देते हैं। हमको काहे को वोट देने लगे ? आज पता चला कि कम्युनिस्टों को भी देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सख्ती करेंगे तो शराबी-कबाबी के वोट नहीं होंगे।

श्री मानसिंह महार : हमने मान लिया। आप मत समझिये। गंगानगर में कितनी अवैध शराब निकलती है, क्या आपसे छिपी हुई है ?

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये। समय कम है।

श्री मानसिंह महार : मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं सभापति महोदय। मैं क्षमा चाहूँगा।

सभापति महोदय, राज्य में यहां इल्लिसिट डिस्टीलेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका कारण क्या है ? यह आपके विभागीय अधिकारियों की अयोग्यता है। मैं वित्त मन्त्रीजी को बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से इल्लिसिट डिस्टीलेशन यहां जयपुर शहर में होता है और मैं आपके आबकारी के इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर और असिस्टेन्ट कमिश्नर की अयोग्यता का नमूना रखना चाहूंगा। यदि आप इनको खत्म करना चाहते हैं तो १५ दिन की मुझे छुट्टी दीजिए और यह वादा कीजिये कि मैं आपको यदि एक हजार चालू भट्टियां यहां जयपुर शहर में पकड़वा दूं तो आप असि-

(श्री मानसिंह महार)

स्टेन्ट कमिश्नर, जयपुर को बर्खास्त कीजिये और नहीं पकवड़ा दूं तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। आप खुद चलिये। एक हजार भट्टियां न पकड़वा दूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको क्या मालूम ?

श्री मानसिंह महार : घर घर में रोज शराब आती है। आपसे कोई छिपी हुई है क्या ? खुद मांग मांग कर पीते हो।

आप डरिये मत और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जयपुर शहर में एक हजार चालू भट्टियां पकड़वाता हूं। आप यह वादा करें। नहीं तो, भट्टियां पकड़ाने से वे गरीब तो मारे जावेंगे और जो आबकारी विभाग की मोटी मुर्गियां हैं वे पांच, पांच सौ रुपया फी भट्टी का लेते हैं वे बच जावेंगे। आप उनका क्या करेंगे ? मैं तो कल पकड़वा दूं। कहीं छुट-पुट पकड़े भी जाते हैं तो वे कहते हैं, क्या हो गया, पकड़ा गये। पांच दिन की कमाई एक्साइज़वालों को दी और काम फिर चालू हो जायगा। आप जरा यह भी देखिये कि एक्साइज़ केसेज़ में कितने केस चालान होते हैं और कितनों में सजा होती है। वे भी २५), ३०) रुपया जुर्माना होकर छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं ? आपके कर्मचारी हैं, पहले से ही पैसा लेकर तैयार रहते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जाकर कहते हैं कि, महाराज इकबाल कर लिया है, इकरार भी कर लिया है; जुर्माना कर दीजियेगा। शराब निकालने जैसे जुर्म में २५), रु० ५०) रुपया जुर्माना होता है। २५), रु० ५०) रुपया जुर्माना तो बहुत कम है, उसको तो सीधा छः महीने, १२ महीने के लिए जेल भेजिये। यह नहीं होता है।

आपके आबकारी विभाग का नमूना बताता हूँ। इसको रिऑर्गेनाइज़ कीजिये। जितने नीचे के आमदी हैं रेगुलर उनकी क्यू लगी हुई है। रेगुलर पैसा लेते हैं, बन्धा हुआ है। चौमूं क्षेत्र में सड़क के नुक्कड़ पर प्याऊ है। उसका एक आदमी है। वह डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मर है। वह इन्फॉर्मर क्या करता है यह और सुन लीजिये। उनके डिपार्टमेन्ट की मोटर में बैठ कर जाता है, उसको सूचना पहले मिल जाती है कि इन इन गांवों में जावेंगे तो वह रात को ही जाकर सबको सूचना दे देता है कि इस एरिया में एक्साइज़ वालों का रेड होगा, तो वे लोग मटकियों को कूओं में डाल देते हैं। उस आदमी का नाम शिवसहाय है। चौमूं में वह प्याऊ पर काम करता है। उसको कुछ नहीं मिलता। वैसे उसने किसी से पांच रुपया, किसी से दस रुपया फी भट्टी बांध रखा है। आज भी मन्त्री महोदय चाहें तो चौमूं क्षेत्र में उदयपुरिया गांव है वहां चले जाय। वहां एक बार शराब पकड़ी भी जा चुकी है। अभी रेड करें तो ८ चालू भट्टियां उस एक गांव में मिलेंगी। अभी पधार जाओ। सड़क के किनारे ही गांव है। ८ चालू भट्टियां न मिलें तो मुझे कहिये। इसी समय चलिये। यह आपका विभाग है, इतना निकम्मा है जिसकी कोई हद नहीं।

मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव करप्शन के बारे में है, जिसका इसी में समावेश हो जाता है। मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार करप्शन आपके विभाग में होता है। कर्मचारियों को

(श्री मानसिंह महार)

देखिये। क्राइटेरिया यह एक्साइज़ विभाग में रखिये कि शराब पीने वाले इस विभाग में न रहें। उनको दूसरे विभाग में ट्रान्सफर कर दीजिये। गांवों में जाकर खुद पीते हैं और आराम करते हैं। वे चाहते हैं कि अवैध शराब निकले उतना ही अच्छा है। उनको पीने को फ्री बोतलें तो मिल जाती हैं। हमारी सरकार डींग हांकती है कि सरकारी अफसरों को दारू नहीं पीनी चाहिये। ये कन्डक्ट रूल्स हैं या क्या हैं अधिकारियों के, उसमें रखा भी है। अधिकारी शराब पी-पी कर मतवाले होकर रात को रंगरेलियां करते हैं, इस ओर ध्यान दीजिये। आपने आज तक बन्द की है क्या? क्या एक अफसर को भी शराब पीने में तनज्जुल किया गया? आप बताइये किसी एक अफसर को भी? क्या एक्साइज़ विभाग, हर विभाग में ऊंचे से ऊंचे आदमियों को बता सकता हूं। ऐसे शराबी-कबाबी हैं जो शराब के बिना नहीं रह सकते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): ऑन ड्युटी नहीं कर सकते।

श्री मानसिंह महार: दौरों में गांव में जब जाते हैं तो ऑन ड्युटी हैं, नहीं तो क्या? एक्साइज़ के, पुलिस के जितने अफसर जाते हैं खूब शराब उड़ाते हैं। हमारे....

(समय--समाप्ति-सूचक घंटी)

वित्त मंत्री महोदय जरा सुन लें। चेयरमैन महोदय चाहते हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त कर दूं। एक बार फिर अपील करूंगा कि जो सरकार राजस्थान में शराबबन्दी करने में नाकामयाब रही है उस सरकार को आप बापू के चेले और इधर हम राजाजी के चेले दुरुस्त करें। यह परम कर्तव्य होना चाहिये। बापू की दुहाई देते हैं तो मैं बापू के नाम पर आप से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि शराब बन्द नहीं करनेवाली सरकार को आपको कभी मत नहीं देना है।

श्री सभापति: श्री नाथूलाल करोल।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): सभापति महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव है, नाजायज शराब निकालने पर बहस करने के लिये। आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को पहले से ही मूव कर दिया है। इसलिए मैं अधिक न कह कर इतना ही कहूँगा कि प्रशासन में इतनी क्या कमजोरी आ गई है जो यह सरकार नाजायज शराब को बन्द करने में असफल रही है। दो-तीन मर्तबा इस बजट सेशन में नाजायज शराब के बारे में कहा, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कट मोशन जो रखा है वह ध्यान दिलाने के लिए है। कानून में जो अमेन्डमेन्ट सामने आया था उसमें इतनी सख्ती रखी गई कि अवैध शराब बिल्कुल बन्द हो जाय। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि मजिस्ट्रेट कानून को अमल में लाने में फेल हो जाते हैं, क्यों नहीं काम में लेते हैं। चालू भट्टियां पकड़ी जाती हैं, उन लोगों के केसेज़ को बार बार कम्पाउन्ड करते हैं और जेल नहीं भेजते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूं चेयरमैन महोदय, कि जब तक इन नाजायज शराब निकालनेवालों को जेल नहीं भेजा जायगा तब तक नाजायज शराब कभी भी बन्द नहीं होगी। जुर्माना जो उन पर होता है वह तो उनकी दो-तीन रोज की कमाई है। इस तरह से वे अपना जुर्माना अदा कर सकते हैं। उसके बाद वे

(श्री नाथूलाल करोल)

दुबारा भट्टी चालू कर देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह से केसेज़ को कम्पांउन्ड न कर के सजा दी जाय तो यह रुक सकती है।

इस सम्बन्ध में मैंने बजट स्पीच के समय जो भाषण दिया था उसमें मैंने कहा था कि नाजायज शराब जो बनाते हैं उन पर और सख्ती डाली जाय। लेकिन सरकार अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। मैं निवेदन करता हूं कि प्रशासन में इतनी कमजोरी नहीं होनी चाहिये। इस संबंध में मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ कह दिया है, उसको न दोहराते हुए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप केसेज़ को कम्पाउन्ड न करके उसके लिए सजा रखी जाय तो बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभापतिजी, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक तो है नशाबन्दी पर विवाद करने हेतु और दूसरा है अफीम की कीमतों के सम्बन्ध में। जहां तक नशाबन्दी का प्रश्न है, इस पर माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाल दिया है। यह सर्व मान्य सत्य है कि गांधीजी की वारिस सरकार को शराब की नीति चालू नहीं रखनी चाहिये। यह हो सकता है कि सरकार यह कहे कि इससे पांच, साढ़े पांच करोड़ रुपयों का नुकसान है; यह तर्क दे सकते हैं, जब पैसा नहीं मिलेगा तो विकास के कार्य कैसे होंगे। इस हिसाब से देखा जाय तो ५॥ करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को आबकारी कर से प्राप्त होता है। अगर इसको विकास कार्यों पर खर्च किया जाय तो एक व्यक्ति के पीछे दो ढाई रुपया खर्च आता है, इसके लिये पांच, सवा पांच करोड रुपया वसूल करते हैं तो वह सत्तर-अस्सी रुपये की शराब पी जायगा, तब उससे इतना वसूल कर सकेंगे। इस तरह से यदि शराबबन्दी कर देते हैं तो शराब में नष्ट होने वाला पैसा बच जायगा और उसके पास जो बचत होगी तो वह पैसा विकास के कार्य में खर्च होगा। जहां तक विकास का सम्बन्ध है, वह किसी के जबरदस्ती करने से नहीं होता। वह तो स्वतः होता है। आप बन्ध बनाये, सड़कें बनायें, ठीक है, लेकिन जब लोगों के पास पैसा बचने लगेगा तो वे अपनी बेहबूदी के लिये अच्छे हल खरीदेंगे, अच्छा बीज लेंगे, अच्छा खाद देंगे तो यह अपने आप विकास होने लग जायगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह सरकार को खयाल नहीं रखना चाहिये कि अगर शराबबन्दी कर दी गई तो उससे जो आमदनी होने वाली है वह नहीं होगी और उससे विकास रुक जायगा, ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ, इस नशे के कारण आज नाश हो रहा है इसलिये इस नीति को सरकार को अविलम्ब त्याग देना चाहिये। ऐसा होना चाहिये कि जिन मंत्री महोदय को यह आबकारी विभाग सौंपा जाय वह असहयोग कर दे, उसको लेने से इन्कार कर दे, तो इस तरह से सारा कलंक मुख्य मंत्री पर रहेगा। जब आप गांधीजी के वारिस बनते हैं, तो उनसे आप असहयोग की आदत भी सीखिये। मेरा यह निवेदन है कि शराबबन्दी के पीछे आप विकास का, योजनाओं का नाम लेते हैं, यह एक मजाक की चीज है। यह सही है कि गांधीजी की मृत्यु हो गई शरीर से, लेकिन उनकी आत्मा भी आज आपके हाथ से मर चुकी है? जिस दिन से आपने शराबबन्दी को

(श्री रामकिशन)

लागू नहीं किया और इससे प्राप्त होने वाले पैसे को विकास में लगाया। गांधीजी के वारिस कहलाने वाले जब शराबबन्दी को लागू नहीं करते हैं तो यह एक आश्चर्य की बात है। मैं वित्त मंत्रीजी से जो कभी गांधीजी के अनुयायी रहे होंगे, उनसे निवेदन करूंगा कि उनको तुरन्त शराबबन्दी लागू कर देनी चाहिये, शराबबन्दी' में देरी नहीं करनी चाहिये। लोग कहते हैं कि गांधीजी की मृत्यु हो गई, यह ठीक है; नाथूराम गोडसे ने उनको मार डाला होगा लेकिन उनकी आत्मा क्या कह रही होगी जब वे देखते होंगे कि उनके अनुयायी आज शराबबन्दी के साथ आँख-मिचौनी कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस बारे में आप तुरन्त कदम उठायेंगे और इससे होने वाली आमदनी पर विचार नहीं करेंगे। मैं चरित्र की बात नहीं कहता। भारतीय संस्कृति में चरित्र और धर्म की प्रधानता रही है, लेकिन पश्चिमी सरकारें भी-नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क,-ये सरकारें भी शराब बन्दी की योजनायें बना रही हैं; उनकी आर्थिक हालत हमारे यहां से बहुत अच्छी है। जहाँ राजस्थान के व्यक्ति की आय ३१५) रुपया हमने मानी है, वहां नार्वे में प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी ८ हजार है, फिर भी वे नैतिक दृष्टि से समझते हैं कि यह हानिकार चीज है; इससे छोटे-बड़े [redacted] पतन हो जाता है। इस पर काफी बहस हो चुकी है, इस पर नये ढंग से और कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं।

अब मैं, सभापति महोदय अपने दूसरे कटौती प्रस्ताव पर आता हूं। अफीम के बारे में, मैं समझता हूं, राजस्थान में अफीम बोने-वाले किसान हैं उनके बारे में सब से ज्यादा उपेक्षा हुई है, राजस्थान का किसान जो खेती करता है। कोटा इलाके में, उयपुर के इलाके में या झालावाड़ के इलाके में जो अफीम की खेती करते हैं उनसे अफीम लिया जाता है चालीस रुपया प्रति सेर और उसको हमारी सरकार बेचती है ८॥) रुपया तोला। इससे ज्यादा मुनाफाखोरी कोई भी पूंजीवादी सरकार हो, नहीं कर सकती। इस बारे में मैं समझता हूं, पहले भी आवाज उठायी गई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह मैं पहले ही निवेदन कर दूं-मैं अफीम के प्रचलन के पक्ष में नहीं हूं; अफीम, भांग, गांजा आदि सब बन्द होने चाहिये, लेकिन यह जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है वह दूसरे ही ढंग का है। किसान जिन चीजों को पैदा करता है उनकी कीमत चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे बाजार की तरफ से, हमेशा उनके भाव नीचे रखे जाते हैं। जो अफीम आप २८ से ४० रुपया सेर लेते हैं वही अफीम थोड़ी दूरी पर छीपा बड़ोद में २०० रुपया सेर पर बिक जाती है। इसमें सरकार का विभाग भी साथ है; इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, विभाग को नुकसान हो रहा है। अफीम की कीमत १५ सालों में कोटा रियासत के समय और झालावाड़ रियासत के समय, झालावाड़ के एक मन्त्री महोदय भी हैं वे जानते हैं कि १५ साल पहले, १७ रुपया सेर अफीम की कीमत थी। किसान के उपभोग की अन्य वस्तुयें कपड़ा चीनी, लोहा आदि उसमें करीब छः गुनी कीमत बढ़ गई है लेकिन किसान जिन चीजों का उत्पादन करता है और उनको बेचता है उनकी कीमत दुगुने से ज्यादा नहीं बढ़ पायी है।

(श्री रामकिशन)

मेरा सुझाव यह है कि किसान को अपनी उपज की उचित कीमत देने की व्यवस्था की जाय। इसके साथ साथ प्रश्न यह है कि जो हो सकता है उद्योगों से सम्बन्धित हो उस इलाके में। जब मैं अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जाता हूं तो सुनता हूँ कि अफीम जो नीमच जाती है उसको ले जाने में बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उसमें जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनका पैसा बंधा हुआ रहता है। पकड़ेंगे तो किसी नये आदमी को। एक बार ऐसे आदमी को पकड़ लिया जो पार्लियामेंट का मेम्बर था। उसका बिस्तर खुलवाया, लेकिन जिस आदमी की सूचना हमने दी कि फलां फलां आदमी ले जा रहा है तो उस पर हाथ भी नहीं डाला गया। इससे राजस्थान की आमदनी बढ सकती है और किसान को भी लाभ हो सकता है। किसानों के लिए इसकी कीमत ८० और ६० रुपया सेर कर देनी चाहिये। मैं समझ नहीं पाया, छोटी मोटी बातों की ओर तो ध्यान चला जाता है किन्तु किसानों की समस्या की बात आती है तो सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता. इसलिये मैं इन दोनों चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इसके अलावा एक मुद्दा हमने पहले भी उठाया था और आज भी कई माननीय सदस्यों ने उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लोकतन्त्र कोई किताबों में लिखी जाने वाली चीज नहीं है। और न भाषणों में कही जाने वाली चीज है यह तो परम्पराओं पर आधारित है। वित्त मन्त्री महोदय ने जाने में या अनजाने में जो गलती की है इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से नयी परम्परा डालने के लिये वे साहस से काम लेंगे। लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले सदन के लिये हो सकता है. इस मामले को छोटा समझें, लेकिन जो मन्त्री महोदय इससे सम्बन्धित हैं इस मामले में मुख्य मन्त्री जी भी जिम्मेदार हैं क्योंकि मन्त्रिमंडल की सम्मिलित जिम्मेवारी होती है, हो सकता है, इस मन्त्री पद से हट कर उनको अन्य विभाग मिल जाय। मैं उनको इसके लिए तो बधाई देता हूँ कि उन्होंने विदेशी शराब पर टैक्स बढाया। उनके बारे में हमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं, लेकिन लोकतन्त्र में स्वस्थ उच्च परम्परा स्थापित करने के लिये वे अपराधी के रूप में सामने आ जाय। 'हां' पक्ष के लोग भी इस मामले को दबायें नहीं। यदि वे सदन में साहस नहीं कर सकते तो पार्टी के भीतर ही भीतर इस मामले को तय करें। अपनी पार्टि को मिटिंग में तय करें या जिस समय तय करना चाहिये उस समय करें। हम तो यह समझते हैं कि अगले सेशन तक सभा स्थगित होने से पहले निर्णय हो जाना चाहिये। कर्म के लिए भी तैयार रहें भाषणों के साथ। सरकारी पक्ष अगर नहीं झुकता है तो शक्ति प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री फतेहसिंह (चौहटन) : इस प्रकार का टैक्स बड़ा बेवाजिब है। इसमें ठेकेदारों को बड़ी भारी जिम्मेदारी और छूट दे रखी है। ठेका देने के बाद वह जो करे सो उसकी मरजी है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठेका देकर सरकार की जिम्मेदारी तो

(श्री फतेहसिंह)

खत्म हो जाती है। ठेकेदार अन्धाधुन्ध पानी मिलाता है, पैसा लेता है, मनमानी करता है। गरीब लोग इससे तबाह हैं। एक एक बोतल में दो दो, तीन तीन, चार चार बोतल पानी मिला देते हैं। न तो इससे पीने वाले को नशा आता है और न उनको विशेष फायदा होता है। पानी पीने से क्या होता है। हृदय पर बड़ा बुरा असर होता है। हार्ट की बीमारी इसी कारण होती है।

स्पिरिट मिला देते हैं तो लंग्ज कमजोर पड़ जाते हैं। तो सरकार इन बातों को नहीं देखती, सरकार तो पैसे की तरफ ध्यान देती है। पैसा ही कमाना है तो कमीशन सिस्टम कर दीजिये। यह न होने के कारण देहातों में बनावटी शराब चालू हो गई है, दुनिया का नाश हो रहा है। उधर बोरड़ी का वृक्ष होता है उसका रंग देते हैं। तो बोरड़ी का उधर नाश हो रहा है। मेरी आप से अर्ज है कि शराब कमीशन सिस्टम पर चालू कर दें तो सरकार को भी नुकसान नहीं और गरीबों को भी नहीं। जिसको जरूरत होगी पीकर चला जावेगा। यह मेरा सवाल आपके सामने है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आबकारी विभाग के व्यवहार के सिद्धान्तों में सुधार लाने के लिए यह कटौती प्रस्ताव रखा है। आबकारी विभाग के चपरासी से लेकर मिनिस्टर तक, मेरी प्रार्थना है कि यह वाद-विवाद का मसला है, इसे जितना जल्दी बन्द किया जावे अच्छा है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि पहले यही हमारी मौजूदा मिनिस्टरी के लोग कई तरह के दूसरे राज्यों के सामने शराबबन्दी का आन्दोलन करते थे। पर ४७ के बाद जब ये राज्य में आ गये तो उस आन्दोलन का असर इन पर नहीं पड़ता। ये अब आन्दोलन की खुद की बात को भूल गये। यह तो ऐसा हुआ जैसे रेलगाड़ी में एक आदमी चढ़ जाता है और वहां पर उन सीटों पर बैठे हुए मनुष्य को कहता है कि कितनी जगह को रोक कर बैठे हैं। मुझे तो दुख हो रहा है और यह मौज कर रहे है। तो उस वक्त तो खुद को देखते हुए दिक्कत होती है और खेद प्रकट करते जाते हैं। पर सीट पर बैठ जाने के बाद जितनी बातें दुख की महसूस होती थी और खेद प्रकट करते थे वह भूल जाते हैं और दूसरे को खड़ा देखकर उस पर कोई रहम उनको नहीं होता। इसका मतलब यह है कि पहले की सरकार की इसके लिये कितनी ही बुराई की और उसे देश से निकाल दिया, पर वहां जाकर सीट पर बैठ जाने के बाद हमारा जब वक्त आया तो हम उनसे ज्यादा निकम्मे और नाकाबिल हो गये।

तो इस तरह का व्यवहार हमारे इन मिनिस्टर लोगों का है। ये इस पिछड़े हुए देश में शराब चला रहे हैं। शराबबन्दी की बात को, जो पूज्य बापू कहा करते थे, उसको भी नहीं माना। तो मैं तो उसे बन्द करने की नीति मैं हूं। समाजवादी समाज खत्म करने की नीति मेरी नहीं है। मौजूदा सरकार की यह नीति हो तो फिर दूसरा रवैया अपनाना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से हमारा मुल्क गरीबी का शिकार हो रहा है। एक तरफ तो वे दुहाई देते हैं बन्द करने की और दूसरी तरफ आम ठेका दिया जाता है। पूंजीपति के हाथ में अधिकार दिये जा रहे हैं। ठेकेदार पूंजी बटोरता है। गरीबों का

(श्री हीराभाई)

धन समेटा जा रहा है और गरीबों का खाना कोसा जा रहा है।

अगर आपको इस शराब की कमाई ही खानी है, तो मैं ही सुझाव रखता हूं इसके लिये। हालांकि मेरी दिली मंशा नहीं है यह सुझाव देने की पर मन्त्री महोदय की एक कटु नीति के कारण वह सुझाव मुझे रखना पड़ रहा है और वह सुझाव में मजबूर होकर आपको देता हूं कि आप जितने ठेके हैं, वे तो बन्द कर दें और जितने दारू पीने वाले हैं उन पर या उनके परिवार पर ऐसी कोई रकम टैक्स के बतौर निश्चित कर दें कि जिससे पांच लाख की आमदनी हो जावे और आपके खजाने भरते रहें और उस धन से हमारे मन्त्री महोदय को हवाई जहाजों और स्पेशल ट्रेनों के लिए किराया भी मिलता रहेगा और आराम की उनकी जगह चलती रहेगी। इसलिये मैं यह साफ कहूँगा क्योंकि लोग परेशान हो गये। आज एक्साइज़ वाले ७५ प्रतिशत आदिवासियों को नाजायज शराब निकलवाने वाले लोगों को किस तरह से परेशान करते हैं, यह शायद आपको मालूम नहीं होगा। अगर आपको मालूम भी होगा तो आप पेट पर पट्टी नहीं बांध सकते। इसलिये बर्दाश्त कर रहे हैं। उनका जुल्म यहां तक होता है कि आदमी कहीं भाग गया तो महिलाओं को मिरच भर कर बेइज्जती की जाती है और मौन जगह पर मिरच का उपयोग किया जा रहा है और हजारों लोगों को पांच सौ या हजार तक की रकम का जुर्माना किया जा रहा है। तब जाकर छोड़ते हैं और इस तरह से दंडित किया जा रहा है। तो मैं सभापति महोदय, अगर हम उनकी तरफ देखें और विकास की आमदनी की तरफ देखें तो उधर भी अन्याय हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, ७५ प्रतिशत आदमी। जितने गरीब हैं उनको कचोटा जा रहा है कि कोई उनको देखने वाला नहीं है।

शराब की आमदनी के ऊपर आप जिन्दा रहना चाहते हैं तब तो हर परिवार के ऊपर लाइसेन्स सिस्टम किया जा सकता है या पीढ़ी या देहली–परिवार के आधार पर कमीशान ले लिया जावे। इससे एक्साइज़ विभाग का खर्चा आपका बच जावेगा। सीधे पटवारी को आप वसूल करने का अधिकार दे दीजिये। जैसे रेवेन्यू वसूल करते हैं वैसे यह कमीशन भी दारू पीने वाले हर व्यक्ति से वसूल कर लिया जावेगा तो इस तरह की लूट बन्द होगी या और किसी तरह से भी इसे बन्द करें। नहीं तो ७५ परसेन्ट लोग बरबाद हो रहे हैं। यह स्थिति बहुत खराब है। बहुत सी जगह ऐसी भी बात हुई कि पकड़ी नहीं जा रही है नाजायज शराब को। कैसे नहीं पकड़ा जावे, पकड़ना चाहिये। पहले जो खोटा कानून बनाते थे उनको हम निकालने की बात करते थे। अब अगर वे ही कानून ये करें तो ऐसी सरकार को भी पकड़ कर जेल में डाल दिया जावे। यह तो बुनियादी गलती है, इसके लिये सरकार जिम्मेदार है। इसलिये मैं कहता हूँ कि या तो शराब को कतई बन्द कर देना चाहिये, नहीं तो इसके बारे में जैसा मैंने कहा वैसा करना चाहिये।

दूसरी बात, हमारे भारत के संविधान की भी इस सरकार ने तौहीन की है। कैसे ? जब हमारे पड़ौसी प्रान्त में कानून बन चुका है,

(श्री हीराभाई)

मुरारजी देसाई ने प्रयास किया और कानून बनाया और वहां पर शराब बन्द कर दिया गया है, पर हमारे राजस्थान की सीमा में बम्बई व गुजरात की सीमा से ५ मील की दूरी पर शराब की दुकानें लगी हुई हैं। कानून है कि दस मील के आस-पास के एरिया में दुकानें नहीं रहनी चाहिये। पर ६ मील के एरिया में राजस्थान की दुकानें लगी हुई हैं और चल रही हैं। तो क्या यह कानून का भंग नहीं है ? एक्साइज़ विभाग ने यह कानून का भंग नहीं किया तो किसने किया ? कौन इसका जिम्मेदार है ? परन्तु यह कौन देखे ? कांग्रेसी हैं कलाल, ठेकेदार कांग्रेसी है। इसलिए सब चुप हैं। इसलिये इसकी तरफ देखा नहीं जा रहा है। पांच मील के घेरे में छोटा-डूंगरा में दुकानें चल रही हैं। कानून का भंग करने की बात हो रही है। तो इनकी पूरी जांच कर उक्त दुकानों को हटाना चाहिये, नहीं तो बम्बई सरकार का कानून भी भंग हो रहा है।

दूसरी बात मैं अन्त में यही निवेदन करूंगा कि हमारे वित्त मन्त्रीजी ने जो टैक्स की घोषणा की और टैक्स वसूली का ऑर्डर नहीं दिया उसके लिए मैं समझता हूँ कि वह कोई मामूली बात नहीं है। आज एक छोटा सा आदमी मार्केट से अंडा चुराता है तो उसको ६ महीने की सजा होती है। तो हमारे राजस्थान के खजाने में हजारों रुपयों का डाका डलवा दिया है इसके लिये उचित कार्यवाही करना जरूरी है। कारण यह है कि जो आदमी डाका डालने वाला है उस डकैती को वह छिपाना चाहे और उसको बचाना चाहे तो उस बचाने वाले आदमी पर भी भारतीय दंड विधान के तहत कानूनी गुनाह लागू होता है। जो पूंजीपति और विदेशी शराब के ठेकेदारों को बढ़ावा देता है, राजस्थान के खजाने में डकैती डलवाई है उसके बारे में या तो हमारे वित्त मन्त्री महोदय को डकैती जैसे दण्ड का भागी बनना होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूँ।

श्री सभापति: संक्षेप में कहें। औरों को भी बोलना है।

श्री हीरा भाई : अभी एक मिनट में ही समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अगर गरीब किसी तरह का कोई कानून भंग कर देता है, कहीं भूख की आवाज उठा देता है तो १४४ धारा लागू कर दी जाती है और १५१ में सजा दी जाती है। पर जिन्होंने कानून को भंग किया है और भारत के संविधान के अन्तर्गत एक दिन तो शपथ खाई थी कि संविधान के प्रति ईमानदारी से काम करता रहूंगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पूजीपतियों को बढ़ावा देकर हमारे राजस्थान के खजाने को लुटवा दिया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री महोदय या तो अपने आप त्यागपत्र दे दें, नहीं तो फिर मैं समझता हूं कि उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही की जायेगी जैसे भूखे लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, ताकि आइन्दा मिनिस्टर इतनी ठोकर नहीं खायें और हमारे हाउस पर इतना कलंक नहीं लगे और इस तरह की परम्परा हाउस के लिए कायम न रहे।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : श्रीमान सभापति महोदय, अब मैं आपके समक्ष जो सरकार की नीति शराबबन्दी के

(श्री जोधसिंह चौहान)

प्रति है वह नीति असफल हुई है उसके बारे में आपको निवेदन करूंगा। मैं जानता हूँ जब मैं छोटा था उस समय शराब की बोतल एक रुपये में पांच मिलती थीं और आज पांच रुपये में भी वह बोतल नहीं मिलती है। सरकार ने इस प्रकार जो कर बढ़ाया, कर बढ़ाने की नीति केवल इसलिए थी कि जनता शराब पीना बन्द कर दे, लेकिन आज क्या हुआ? आज एक रुपये की पांच बोतलों के बजाय पांच रुपये में एक बोतल नहीं आती है, फिर भी शराब बन्द नहीं हुई। शराब पहले के बजाय अधिक बिकने लगी है। आज यह हालत है कि हमारे यहां कई कौमें ऐसी थीं जो कि शराब नहीं पीती थीं और आज वे कौमें भी शराब पीने लग गई हैं। मेरा ऐसा खयाल है कि ८० पर्सेन्ट जनता शराब पीती होगी। जनतन्त्रवाद में या तो वे लोग जो हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा खयाल है कि अपने दिलों से तो चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि शराब बन्द कर दें और पिछले रास्ते से आकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं, हम शराब बन्द नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि जब हाउस ने इस प्रकार का निर्णय ले लिया है कि हम हमारे यहां शराब-बन्दी लागू करना चाहते हैं, फिर भी इस प्रकार की मांग क्यों नहीं की जाती कि वास्तव में हमारे यहां शराबबन्दी होनी चाहिये। कांग्रेस के कई भाई कहते हैं कि हमने शराब पर टैक्स बढ़ाया है। राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टैक्स बढ़ाने की नीति केवल शराबबन्दी रोकने के लिए है और शराब पीना कम करने के लिए की है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर नगर के पास गिरवा क्षेत्र में गड़रियावास एक गांव है उसमें एक व्यक्ति को शराब का ठेका दिया गया और वह व्यक्ति आज भी उदयपुर नगर के पास जहां उसकी दुकान है फिर भी वह उदयपुर में हमारी पुलिस लाइन के पीछे टेकड़ी नाम का स्थान है वहां वह शराब बेचता है। उदयपुर नगर में इन लोगों ने चुनावों के दिनों में शराब का प्रचार किया और शराब की बिक्री की और शराब को घरेलू धंधे के रूप में पनपाया। उदयपुर में कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आप चाहें तो नाम बता सकता हूँ, उनका रेगुलर धंधा है। वे शराब बनाते हैं और बेचते हैं। दिन दहाड़े डर्रा दो रुपये में बोतल बेचते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि गत वर्ष नगर कांग्रेस की तरफ से उदयपुर में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने निर्णय किया कि शराब की दुकानें नगर के बाहर हों लेकिन अफसोस की बात है कि जनता से पैसे वसूल किये, जनता को धोखा दिया और उसके बाद में इस वर्ष कई दुकानें शराब की खुल गई। हमारे नगर में कई जगह ऐसी दुकानें हैं कि जहां शराब का भारी स्टॉक है। सरकार का नियम है कि कोई भी होटल ३ बोतल रख सकता है। उसकी आड़ में गणेश-घाटी नगर में एक स्थान है जहां का मैं रहने वाला हूँ वहां पर खुले आम शराब बिकती है। कई बार मैंने म्युनिसिपैल्टी में सवाल उठाया, मैंने पुलिस को फोन किया, कलेक्टर को किया, कमिश्नर को किया और शाम को हम वहां पर देखते हैं कि सरकारी मोटरों में लोग बैठ कर आते है और शराब पीते हैं दिन दहाड़े, और रात में लोग वहां पर लड़ते हैं। वहां की ऐसी हालत है कि कोई भी स्त्री वहां से पास नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि एक तरफ

(श्री जोधसिंह चौहान)

तो सरकार पाबन्दी लगाना चाहती है और दूसरी तरफ सरकार की इच्छा है कि हम शराब के ऊपर टैक्स लगाकर उसको बन्द करेंगे। यह उनका सही मार्ग नहीं है । परन्तु ऐसा मालूम होता है कि आप जनता को धोखा देना चाहते हैं, जनता का शराब पीना बन्द नहीं करना चाहते हैं। सरकार शराब से जनता का पैसा चूसना चाहती है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की धांधली और इस प्रकार की अन्धी नीति न अपना कर अच्छी तरह से सरकार को चाहिए कि इस ओर कदम उठाये। हमारी जनता आज ८० प्रतिशत शराब पीती है और हमारी सरकार चाहती है कि वह पीती रहे और एशोआराम करे तो फिर एक तरफ से छूट हो जानी चाहिए। आज ठेकों का हाल देख लीजिए। ठेके में यह होता है कि जो शराब देते हैं उसमें शराब तो कम होती है और पानी ज्यादा होता है । शराब का ठेका ज्यादा पैसों का दिया जाता है। उससे क्या होता है ? ठेकेदार पानी मिला कर शराब बेचता है। मैं कहूंगा कि सरकार ने ऐसा एक भी केस रजिस्टर नहीं किया होगा जो शराब में पानी मिलाने का हो। अगर ऐसा केस रजिस्टर किया है तो सरकार हाउस के सामने बताये। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस प्रकार के ठेके सिस्टम को बन्द करे और सरकार अपनी ओर से शराब को दुकानें खोले और जनता पर अगर टैक्स भी लगा देते हैं तो प्योर शराब पीने को मिले और जनता उसको आराम से पी सके और अन्ततोगत्वा मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सब सदस्यों की इच्छा है कि हमारे यहां शराब बन्द हो तो इसके ऊपर वोट लिया जाना चाहिए कि वास्तव में शराब बन्द की जाये या नहीं। इससे सब लोगों की इच्छा जाहिर हो जायेगी और लोगों से कहूँगा कि लोग करते क्या हैं और कहते क्या हैं ? सब बातें हमारे सामने आ जायेंगी।

श्री सभापति : कृपया आप अपना भाषण जितना संक्षेप में रखें उतना अच्छा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : बहुत संक्षेप में।

सभापति महोदय, इस मांग के ऊपर मैं अपने दो कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के हाथ में आज की सरकार है उस सरकार में ऐसे विषय पर भी यदि हमें हाउस में बहस करनी पड़े तो यह हम लोगों के लिए शर्म की बात है। कांग्रेस के जो उद्देश्य व सक्रिय सदस्यता के नियम हैं उन नियमों में भी लिखा है कि जो कोई भी नशा करने वाला आदमी है वह सक्रिय सदस्य नहीं हो सकता। जो कांग्रेस इसमें विश्वास करती है उस कांग्रेस सरकार में लोगों को नशा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके सिवाय उस सरकार के लिए और क्या शर्म की बात हो सकती है। उस सरकार, जिसमें हरिभाऊ उपाध्याय जैसे मन्त्री बैठते हैं कि जो महात्मा गांधी के पूज्य भक्त कहलाते हैं, उनकी आंख के नीचे इस तरह की चीजों के ठेके का नीलाम होता है और ठेकों की रकम हर साल बढ़ती जाती है। जहाँ कोशिश यह करनी चाहिए कि इस चीज को बिल्कुल मिटा दिया जाय वहां यह चीज हर वक्त, हर साल बढ़ती जा रही है। इस साल

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जिस तरह से माननीय वित्त मन्त्रीजी ने हिम्मत करके राज्य के पुराने जितने कार्यों में गल्तियां की वे भी उन्हें बताने की कोशिश की, उसी तरह से अगर हिम्मत करके यह भी करते कि इस शराब को बन्द करने का ऐलान करते तो उनको और ज्यादा धन्यवाद दे सकते थे, जितना उस समय दिया है उससे भी ज्यादा। मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल के बजट के वक्त अगर वे रहे तो जैसा कि वे एक्शन से बता रहे हैं कि वे करने वाले हैं आगे जाकर, इस शराबबन्दी का ऐलान करेंगे। आज से ६ महीने पहले अखबारों के द्वारा यह पढ़ने को मिला था कि राजस्थान सरकार कुछ जिलों में जिसमें भीलवाड़ा जिले का भी नाम था, एक अप्रेल से शराबबन्दी लागू करने वाली है। एक अप्रेल ऐसे ही निकल गई। उसके बाद यह मालूम हुआ है कि १ अप्रेल से पहले शराब के ठेकों का नीलाम हो गया और जिस जगह जो शराब का ठेका ३ हजार में छूटा था वही शराब का ठेका ७ व ८ हजार में छोड़ा गया। तो यह शराबबन्दी का तरीका नहीं है। इसमें तो और भी बढ़ौत्तरी की गई है।

इसके पीछे यह तथ्य कहा जाता है कि हमारी सरकार का बजट, अगर इसको बन्द कर दें तो चल नहीं सकता, क्योंकि इससे ५ करोड़ रुपये की आमदनी होती है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि ५ करोड़ रुपयों के लिए इस तरह के नीचे दर्जे के तरीके काम में लाने पड़ें, यह अच्छी चीज नहीं है। महात्मा गांधी ने साफ तौर से कहा है और वही बात में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

हिन्दुस्तान के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हिन्दुस्तान से नशा बन्द नहीं किया जायगा। और उन्होंने कहा है कि नशाबन्दी और शराब-बन्दी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से चोर को चोरी करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। शराब को चालू रखना या शराब पिलाना उसी तरह से है जिस तरह से कि चोर को चोरी करने के लिए बढ़ोत्तरी देना है। यह ठीक उसी तरह की बात है।

एक और बात उन्होंने आगे कही है कि चोरी करने की आदत खराब है, वेश्यावृत्ति की आदत खराब है और दोनों चीजें इस शराबखोरी से पैदा होती हैं। तो सरकार ने एक काम तो किया है कि वैश्यावृत्ति को खत्म किया है, लेकिन उसके साथ-साथ इस काम को खत्म नहीं किया गया है जिससे कि वैश्यावृत्ति पनपती है, उससे पैदा होती है। पहले एक ऐसी जगह थी जहां ये लोग अपनी कामवासना पूरी करते थे, पर आज यह शराबखोर गली-गली के अन्दर फिरते हैं और उसके जरिये लोगों के चरित्रों को खराब करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है लोगों के चरित्र को बनाये रखने के लिए इस तरह की गन्दी चीजों के ऊपर रोक हमारे प्रान्त में तो कम से कम लगाई जाये।

मेरा यह कटौती प्रस्ताव है जिसमें मैंने यह कहा है कि ८ हजार की जन संख्या से कम के जो गांव हैं उनमें शराब की दूकान नहीं होनी चाहिये। इसका एक मात्र कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी छोटे गांव हैं, अगर आज से कुछ अर्से पहले का इतिहास

(श्री उमरामसिंह ढाबरिया)

उठा कर देखें तो उन गांवों के खास रहने-वाला कोई भी वहां शराब की दूकान लगा कर शराब बेचने का धन्धा नहीं करता था। शहर के रहने वाले लोगों ने ठेके की प्रथा जब से चालू की तब से उन्होंने छोटे गांवों में शराब बेचना शुरू किया और जो लोग वहां पवित्रता ईमानदारी, नैतिकता और चरित्र से रहते थे उन लोगों का चरित्र इन शहर के लोगों ने ठेकेदार के रूप में वहां जाकर और इस शराब की प्रथा को चालू करके उन लोगों के पवित्र चरित्र को भृष्ट किया है। आप आज भी जाकर देखें तो जितने भी ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिनकी जन संख्या दो हजार है या ५ हजार से कम है उनमें जितने भी शराब के ठेकेदार हैं उनमें ज्यादातर ८० पर्सेन्ट आदमी शहर के रहने वाले हैं और वे लोग वहां शराब बेचते हैं।

शराब के अन्दर पानी मिलाया जाता है। उसके अन्दर स्पिरिट मिलाया जाता है। उसके अन्दर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो लोगों की तन्दुरुस्ती पर बहुत बुरा असर डालती हैं। जितने भी हार्ट फेल होते हैं तो आप अन्दाजा लगायें और आपने कभी जांच की हो तो ज्यादातर हार्ट फेल में वे लोग आते हैं जो इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं। स्पिरिट जो कि आग लगने पर जल जाती है वह जब आदमी पीता है तो उसके हृदय पर या उसके फेफड़ों पर क्या असर हो सकता है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। यह मेरा कटौती प्रस्ताव है कि ५ हजार की संख्या से कम के जितने भी गांव हैं उनके अन्दर इसी वक्त से शराबबन्दी करनी चाहिये और जितने भी ठेके हैं बन्द कर देने चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से पुरजोर शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं और हाऊस से और खास तौर से राज्य करने वाले साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे मायने में कांग्रेस के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं और वोट देने का मौका आये तो अपने सही सिद्धान्तों पर कायम रह कर इस मांग पर वोट देकर इसको खत्म करेंगे।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापति महोदय........

(श्री मोहनलाल सारस्वत के खड़े होने पर श्री सुराणा से)

श्री सभापति : आप अपना कटौती प्रस्ताव पेश नहीं कर रहे हैं?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं तो बोल रहा हूँ, साहब।

श्री सभापति: तो आप पहले बोल लें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप इनको (श्री मोहनलाल सारस्वत को) मौका दें।

श्री सभापति : फिर समय नहीं रहा तो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री मोहनलाल सारस्वत से) तो आप बोल लें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) :

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

सभापतिजी, आपरे सामने एक्साइज़ रा मसलों पर बातां आ रही है। ओ मसलो राजस्थान वास्ते एक बड़ो उलझ्योड़ो मसलो है। ई मसला पर जिती भी बातां कही जाय वे थोड़ी है। राज री तरफ सूं जगा जगा एलान हुयो के शराब बन्द करी जाय। और म्हारा जिका अभी नुआ मंत्रीजी हुया है वा अंग्रेजी शराब पर जिकी ड्यूटी लगाई है बीके वास्ते मैं वांकी प्रशंसा करूं। एक्साइज रो मसलो ई ढंग सूं उलझ्योड़ो है के ई महकमे की तरफ सूं इतो भ्रष्टाचार हुयो है। ई भ्रष्टाचार रो थोड़ो सो नमूनो आपरे सामने राखूं। जिता भी ठेकां री बोलियों हुई, सरकार आ बात जाणती होगी कि पांच–सात सौ रूपयों की आमदनी आ ठेकां में होती होगी, लेकिन चेष्टा करके हजारों रूपयों री बोलियों दिलावण वास्ते लोगां ने उकसावे और बोलियां दिवावे। बीं को परिणाम ओ निकलियो कि गरीब जनता जिकी है बीं ने ठेकेदार पानी मिला मिलाकर शराब देवे। और कुछ अधिकारी राज री तरफ सूं लग्योड़ा है बीं की आ स्थिति है कि छोटा से लगाकर बड़ा तो ई रो महीनो बांध्योड़ो है। वे लोग चपरासी सूं लगाकर इन्सपेक्टर तक, सभापति महोदय, मैं आपरी मार्फत मंत्रीजी सूं अर्ज करनो चावूं हूं कि कौन सो ऐसो इन्सपेक्टर है जिणरी सैकड़ों नहीं हजारों रूपयों री आमदनी नहीं होवे। ई सारा काम को बड़ा लोग जो है बीं पर असर पड़ने वालो नहीं है। छोटा मोटा आदमी, साधारण गरीब मजदूर शराब पीवे बीं पर सीधो असर पड़े। आप देखोला, जगह जगह शराब की दुकानों है जठे गरीबों री बस्ती है। या तो हरिजनों री बस्ती में दुकान मिलेगी या मजदूरों की बस्ती में मिलेगी। मैं म्हारे गांवरी बात आपरे सामने रखूं। बठे दो शराब के ठेके की दुकानों हैं। दोनों की दोनों गरीबों की बस्ती में है। ५,७ वर्षों से चेष्टा करते हुए भी बीं जगह स्यूं हटी कोनी। बींके नहीं हटने रो कारण ओ है कि मंत्रीजी तक बात नहीं आती होगी, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक शृंखला बंधी हुई है। सौ रूपयों री कमाई होवे तो सौ में से ९० रूपया बीं के घर में पहुंचे तो क्यू बंद करें ?

अब थोड़ी सी बातों जो मुकद्माबाजी री है वो सामने रखूं। जो लोग रात दिन शराब निकाले है बांरे साथे सांठ गांठ आपरे अधिकारियों री रेवे। कुण पकड़े और वां सूं जो आडा टेडा चले वांरे अठे झूठी शीशियां धर देवे, झूठा घड़ा धर देवे और बांने पकड़ लेवे। म्हारे अठे बछ गांव में एक ब्राह्मण रे घर में झूठी शीशी धर कर एक्साइजरा अधिकारियों बीं रे ऊपर मुकद्मो कर दिये। जिको काम नहीं करण जेड़ो है वो तो करे और जिको काम करण जेड़ो होवे वो करे नहीं। तो शराब बंदी रो मामलो है, शराब बंद कर दो तो गरीब जनता को बहुत भलो होगो, पर एक्साइज स्युं उम्मेद नहीं। बंद कर देवे तो कांग्रेस रो राज चले कैसे। वे मौन इण वास्ते है कि तरह तरह की कानूना चाहे न्याय सूं या अन्याय सूं लगाता रेवो और राज करो। ई सरकार सूं शराबबन्दी री मने उम्मेद नहीं कि शराबबंदी करेला। मैं एक बात सामने रखूं हूँ। मंत्रीजी विचारता होवेला कि शराब हटाणे में तो राज की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन थांरा डिपार्टमेन्ट री तरफ सूं गरीबों पर अन्याय हो रयो है उणने रोको।

Page No. 107

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

मसाहल के अंदर गरीब लोगों नें पकड़ लेवे, उणोने डरावे; धमकावे और पांच-सात सौ रुपया मसाहलत के नाम पर धरा लेवे। मसालत में नहीं आवे तो झूठा चालान कर देवे और अदालत में गरीबों नें फँसा देवे। कुण तो अदालत में उणारी पैरवी करे, कठा सूं वकील करे ? तो आप आप रे अधिकारियों ने धमकावो, शराब रे मामले में संभालोला नहीं तो काम बिगड़तो रहसी और जनता नें कोई न कोई आंदोलन चलाणो पड़सी।

अब थोड़ी सी बातां शराब रे सिवाय गांजे री आपरे सामने रखूं। गांजे रे पहले कुछ लोग-बाग सुलफो पिया करता हा, वो आज गांजे रे रूप में आयो। कांई अरज करूं, आपके सामने। पहली सुलफो हो, उणरी ठीक उपज नहीं करता सकिया। खेती ठीक नहीं हुई तो आपरे अंडर में जो राज चलावण नें बैठा बे अधिकारी बाहर सूं नेपाली गांजो मंगा कर बिकवाणो चालू करियो। मैं अर्ज करूं हूँ कि म्हारे बठे बीसियां नहीं तो चालीसियां दूकानां होसी जो रात-दिन नेपाली गांजो बेचे, कोई रोक-थाम लागी नहीं। रोक थाम नहीं लगावण रो एक ही कारण है कि अधिकारी गांजावालों सूं मिलियोड़ा रेवे। बांरो महीनो बंधियोड़ो है। कोई बातचीत बां के सामने रखे तो वे बेचणवालों रे सामने रख देवे और शिकायत करणवाला आदमियों रो निकलनो मुश्किल हो जावे। नाजायज गांजो आप रे शेखावाटी में आवे और म्हारे अठे भी आवे है। बीं पर पाबन्दी लगावो। बेचणवाला ५) रु० या १०) रुपया सेर में मोल लेवे और सैकड़ों रुपया कमावे। बांरी बदमाशियां कियां कम होवे ? राज में आबकारी वाला जो काम चलावे है, बीं पर थोड़ो सो प्रकाश डालियो।

अभी थोड़ासा दिनों पहली अमल रा डोडों रो ठेको हुयो। पहली जगह जगह अमल बिके हो। अमल पहली कोटा सूं आवतो और रुपये रो दो भरी मिले हो। ईं स्युं गरीब लोग अमल खाणो सीख गया। बीं रे बाद धीरे धीरे कीमत बढ़ती गई। आज दिन आ स्थिति पैदा हो गई कि सात-आठ रुपयां तोलो या १० रुपयां तोलो भी लेवणो नें जावे तो मिले नहीं। बीं मे ईं प्रकार बढ़ेड़ी कीमत री चीज गरीब ले सके नहीं। यदि कोई लेणो भी चावे तो डाक्टर सर्टिफिकेट देवे तो थोड़ो बहुत अफीम मिले। आपरे सामने अर्ज करूंला कि कुछ आदमी रात दिन अमल रो नशो करे हा, वे बीं बिना रह नहीं सके। अफीम की बजाय गरीबां अफीम रा डोडां नें साधन बणायो। सरकार डोडां रो भी ठेको देणो शुरू कर दियो और वो भी ऊंची ऊंची बोली पर; जब कि पहले बीं सूं सो या दो सो रुपयां री आमदनी होती ही बीं पर हजार रुपया बोली बोल कर ठेको ऊंचो चढ़ा दियो। जिका आदमी अमल नसई-हा, बिना अमल रे रह नहीं सकता हा वे अमल बंद कर दियो और डोडा सूं काम चलावण लागिया। ई तरह स्युं ऊंची बोली चढ़ा र डोडा ने भी मंहगा कर दिया! ओ आप रो जन-कल्याणकारी राज्य है! ईं में समाजवादी ढांचो लाणो चावो हो ! पर थारा सारा का सारा काम उलटा होवे है। हरएक जगह एक्साइज को टैक्स, चणां पर टैक्स, चणांरी दाल पर टैक्स, दूसरी चीजां पर टैक्स, टैक्स दिन दिन बढ़तो जावे है। टैक्स बढ़ाता

(श्री मोहनललाल सारस्वत)

तो जावो हो पर थां सूं एह टैक्स संभले नहीं, भ्रष्टाचार बढ़े है। कुछ आदमीथारा टैक्सां सूं मौज करते करे है, आ आमदनी थां के काम आवे है। साधारण जनता पर टैक्स पड़ जावे, साधारण जनता थीं सुं पीसी जावे। ईं तरह स्युं जनता री गाढ़ी कमाई रो पैसो आवे, वो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी खा जावे।

श्री सभापति : आप भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : भाषण कल कंटीन्यू रेवणो चाहिजे।

श्री सभापति : एक मिनट में समाप्त करिये।

श्री मोहनलाल सारस्वत : कल पर रखिये, बहुत बातां कहणी है–एक्साइज डिपार्टमेंट रे बारे में।

एक माननीय सदस्य : अफीम का इम्पोर्टेन्ट मसला है, ५ मिनट का समय और दिया जाय।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): काश्तकारों को नुकसान हो रहा है।

श्री सभापति : क्या सदन की मंशा है कि सदन का समय ५ मिनट के लिये बढ़ाया जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ५ बज कर १ मिनट हो गया है, इसलिए नियमानुसार अब समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर २ मिनट पर, गुरुवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ११ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३३१७

सड़क-निर्माण ।

जल प्रदाय योजना, नाथद्वारा ।

जल-प्रदाय योजना, नाथद्वारा का हस्तान्तरण ।

विद्युत-व्यवस्था ।

निम्बाहेड़ा-मंगलवाड़ रोड की मरम्मत ।

सड़क की मरम्मत ।

मछलियां पकड़ने का ठेका ।

सड़क-निर्माण ।

विद्युत्-व्यवस्था ।

दिनांक ३० मार्च, ६२ का स्थगित प्रश्न

सड़क निर्माण का ठेका ।

आयव्ययक, १९६२-६३

द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ३५- उद्योग ३३३७

स्कम्भ

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा २० और कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मुख्य मंत्री व उप-मंत्री, उद्योग के उत्तर के पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

(२) मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक १०-राजकीय आबकारी कर ३४२८

उपरोक्त मांग वित्त मंत्री श्री बालकृष्ण कौल द्वारा प्रस्तुत की गई । इस पर कुल २६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

गुरुवार, दिनांक १२ अप्रैल, १९६२ की कार्य-सूची

(१) मांग संख्या २-राजकीय आबकारी कर (पूर्व क्रम से) ।

(२) मांग संख्या ३-गाड़ियों पर कर ।

(३) मांग संख्या ४-बिक्री कर ।

(४) मांग संख्या १-भू-राजस्व ।

———

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, ११ अप्रैल, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३३२५	११	सड़क	सड़क
३३२६	११	ऑकश्न	ऑक्शन
३३५१	१६	इकन्म	इन्कम
३३५५	३	स्मॉल	स्मॉल
३३६३	१२	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
३३६६	अन्तिम से २	इन्डस्ट्रियलाइजेशन	इन्डिस्ट्रियलाइज़ेशन
३३७२	४	मानीय	माननीय
३३७४	१२	कह सकता है	कहता है
३३७६	१३	माहर	महार
३३९१	२५	कोऑपटेटिव	कोऑपरेटिव
३३९५	२–३	ईक्विपपमेन्ट्स	इक्विपमेन्ट्स
३४२४	शीर्षक	मुख्या	मुख्य
,,	२६	टेडर्स	ट्रेडर्स
३४५५	२०	जिन्मेदारी	जिम्मेदारी
३४५६	२१	स्टेंडर्ड	स्टैंडर्ड
३४८२	१२	exprssion	expression
३४८५	शीर्षक	शीषक	शीर्षक
३४८७	३	Sefer	refer
३४८८	८	always. a	always a
,,	१५	pleasel,	please.
३५१२	७	सम्बन्धित	सम्बन्धित
३५२७	१२	भ्रप्टाचार	भ्रष्टाचार